असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

16 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा 16 जुलाई, 2019 ई0

त्रयोदश सत्र मंगलवार, तिथि 25 आषाढ़, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । प्रश्नोत्तरकाल- अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

अभी अल्पसूचित चलने दीजिए न । आप समय पर उठाइयेगा । श्री ललित कुमार यादव, समीर कुमार महासेठ प्राधिकृत हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको चूड़ा-गुड़ कुछ भी नहीं खाने के लिए है, वे चूहा पकड़कर खा रहे हैं ।

अध्यक्ष : आज उसपर माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य होना है । चलिए, अल्पसूचित प्रश्न सं0-12 ललित कुमार यादव । श्री समीर कुमार महासेठ ने पूछा है ।

(व्यवधान)

ठीक है, उसको सरकार देखेगी ।

प्रश्नोत्तर-काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12(श्री ललित कुमार यादव)

(मा0स0श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा पूछा गया)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : 1-आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना मॉडल स्कूल योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में कुल 353 मॉडल स्कूलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

2- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्र प्रायोजित योजना होने के कारण भारत सरकार उक्त योजना से संबंधित दिशा-निदेश जारी किया है । जिसमें कार्य की विशिष्टता का उल्लेख था ।

3- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा मॉडल स्कूल की योजना को मार्च, 2015 में बंद कर दिया गया । वर्ष 2015 तक स्वीकृत 353 मॉडल स्कूल के विरूद्ध 216 मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका था और 81 मॉडल स्कूल के भवन अर्द्धनिर्मित थे ।

राज्य सरकार द्वारा उक्त 81 अर्द्धनिर्मित मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण राज्य योजना से कराया जा रहा है । वर्तमान में 240 मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण पूरा हो चुका है । इसके अन्तर्गत 224 विद्यालयों में उपस्कर उपलब्ध कराने हेतु राशि उपलब्ध करा दी गयी है । उक्त नव निर्मित मॉडल स्कूल के भवन जिन माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय बुनियादी विद्यालयों के प्रांगण में अवस्थित थे, के कक्षाओं का संचालन उक्त नव निर्मित भवन में कराने का निदेश दिया गया है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह मामला 2009 में जब भारत सरकार ने पैसा दिया, 5 साल डिले हुआ और जो माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 353 में 216 मतलब 137 नहीं बना, अर्द्धनिर्मित 81 है । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि मंत्री जी ने एक तरफ 61 किया कि मॉडल विद्यालय योजना भारत सरकार की योजना थी जिसमें कुछ दिशा निदेश था, कार्य में विशिष्टता थी लेकिन उसे लागू नहीं किया गया । जो पदाधिकारी नहीं लागू किये उसपर कार्रवाई के संबंध में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, डिले के चलते इस्टीमेट में हरेक साल 20 परसेंट से ज्यादा बढ़ता है उसके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए न ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अगर सरकार ऐसे मॉडल विद्यालय योजना को सही नहीं उतारने देनेवाले पदाधिकारी को कब तक पनिशमेंट देगी, निलंबित करेगी या चिन्हित करके क्या करेगी ?

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि ये केन्द्र प्रायोजित योजना थी और इसको बीच में ही बंद कर दिया गया तो जो राशि उपलब्ध हुई थी उससे भवन निर्माण का काम हुआ और बाकी जो अर्द्धनिर्मित रहे उसका राज्य सरकार के फंड से उसको पूरा किया जा रहा है । जहां तक उसमें कुछ खेल आदि की चर्चा की गयी है जिसे जानना चाहा माननीय सदस्य ने तो उसमें जो पैसे आये वह भवन निर्माण के मद में आये वह भी पूरे नहीं आये, शेष राशि तो राज्य सरकार को लगाना पड़ रहा है । अब हमलोगों ने उसमें फर्नीचर की आपूर्ति कर दी है, कुछ बचा हुआ है जिसमें कर रहे हैं । बाकी जहां फर्नीचर वगैरह हो गया है वहां हमलोग क्लास भी चला रहे हैं । इस तरह से केन्द्र की योजना बीच में बंद हो गयी तो थोड़ा व्यवधान इसमें हुआ है और इसको हमलोग रेगुलराइज कर रहे हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बात स्वीकार लिया है कि जो माध्यमिक शिक्षा अभियान से जो निर्माण होना था और भारत सरकार ने दिया है तो 2015 के बाद भारत सरकार देना बंद कर दी । यह बात स्पष्ट है कि जो वर्तमान केन्द्र की सरकार है वह मॉडल स्कूल के बारे में गंभीर नहीं है सवाल नं0-1 और सवाल नं0-2 में मेरा पूरक यह है कि जब निहित प्रावधान प्राक्कलन में था मॉडल स्कूल में कि इसमें बास्केट बॉल से लेकर के फर्नीचर सब देने हैं तो उसके बावजूद भी किन कारणों से पदाधिकारियों ने या आपके विभाग ने इसमें यह प्रावधान.....

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया है कि प्राक्कलन में सिर्फ और सिर्फ भवन का उसमें प्रावधान था, फर्नीचर का नहीं था ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, यही तो इनको बताया गया है । जो इनके मॉडल स्कूल का मानक था उसमें यह निहित था । यही सवाल इसमें भले इनको विभाग उत्तर दे न दे ।

अध्यक्ष : उन्होंने बताया कि उसमें फर्नीचर का नहीं था ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : नहीं महोदय, 2009 की जो.....

अध्यक्ष : अच्छा उसको देखवा लीजिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : मॉडल स्कूल में ये सारे प्रावधान थे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-17(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)

(मा0स0श्री सदानन्द सिंह द्वारा पूछा गया)

श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है । सरकारी विद्यालय में पढ़नेवाले तीसरी कक्षा के छात्र को पर्यावरण और हम भाग-1 नामक पुस्तक पढ़ायी जाती है ।

2- समग्र शिक्षा अभियान 2019-20 के अन्तर्गत बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लि0 द्वारा इन पैनल्ड मुद्रकों में तीन मुद्रकों तीसरी कक्षा के छात्र को पर्यावरण और हम भाग-1 की पुस्तक मुद्रण कर विक्रय करने के लिए खुले बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुद्रणादेश दिया गया था । इसके पश्चात् कुछ जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि एक मुद्रक मे0 तिरूपति कंप्यूटर स्टेशनर्स, पटना द्वारा पुस्तक के कवर पृष्ठ पर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र उल्टा तिरंगा मुद्रित कर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया है । इस कृत्य हेतु संबंधित मुद्रक से स्पष्टीकरण किया गया है । जवाब प्राप्त कर आरोप की गंभीरता को देखते हुए निगम के

पत्रांक–2869, दिनांक–24.06.2019 के द्वारा मे0 तिरूपति कंप्यूटर स्टशनर्स पटना का मुद्रणादेश रद्द करते हुए इनपैनल्ड मुद्रकों की सूची से संबद्धता समाप्त कर दी गयी एवं मुद्रक को काली सूची में डाल दिया गया है । साथ ही निगम के पत्रांक–8868, दिनांक–24.06.2019 द्वारा स्थानीय थाना बहादुरपुर, पटना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी । प्राथमिकी सं0–183/19, दिनांक–24.06.2019 के तहत थानाध्यक्ष के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निगम पत्रांक–2870, दिनांक–24.06. 2019 द्वारा यह निदेश दिया गया है कि वे अपने जिला अन्तर्गत सभी विक्रेताओं को सूचित कर यह सुनिश्चित करायें कि बाजार में त्रुटिपूर्ण कवर वाली पुस्तकों का क्रय–विक्रय न हो सके ।

अध्यक्ष : काफी विस्तार से है ।

श्री सदानन्द सिंह : महोदय, काफी विस्तार से तो कहा है । अध्यक्ष महोदय, दो–तीन बातें हैं तिरंगा का झंडा गलत और राष्ट्रगान गलत बहुत बड़ा अपराध है । सरकार के संज्ञान में यह बातें कब आयी, प्राथमिकी कब दर्ज की गयी और अब तक की स्थिति क्या है ?

टर्न–2/ज्योति/16–07–2019

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, सारी बात तो मैंने बतला दी ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने बताया है कि संबंधित एजेन्सी का एकरारनामा रद्द करने से लेकर उसपर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और आगे की सब कार्रवाई, इसमें तो सब संतोषजनक कार्रवाई बतायी गयी है ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा यह कि सरकार के संज्ञान में कब ये बातें आयीं और प्राथमिकी कब दर्ज की गयी, यह जानकारी हमको चाहिए ?

अध्यक्ष : कोई है तिथि आपके पास ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : महोदय, विभाग ने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया है और जैसे ही.....

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हल्के में ले रहे हैं ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : हल्के में कहॉ ले रहे हैं ।

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा साफ प्रश्न था ।..

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, गलती करने वाले का एकरारनामा रद्द करना और उसपर प्राथमिकी दर्ज करा देना, इससे ज्यादा गंभीरता क्या होती है ?

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ।

श्री कृष्ण प्रसाद नंदन वर्मा, मंत्री : निश्चित होगी, एफ.आई.आर. हुआ है तो गिरफ्तारी तो होगी।

अध्यक्ष : सदानंद बाबू क्या पूछ रहे हैं ?

श्री सदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह जवाब नहीं दिया कि उनके संज्ञान में या विभाग के संज्ञान में ये बातें कब आयीं ?

अध्यक्ष : तिथि नहीं उपलब्ध है तो उपलब्ध कराकर दे दीजियेगा ।

श्री सदानंद सिंह : उपलब्ध कराके नहीं, यह गलत है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न के जवाब में उस एजेन्सी पर कार्रवाई की बात कही है और उस पर एफ.आई.आर. किया गया है यह गंभीर विषय है जिस पदाधिकारी को वेरीफाय करके मार्केट में एलाउ करना चाहिए उन पदाधिकारियों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है । दूसरी बात है कि जो केन्द्र में सरकार है, माननीय महोदय, वह राष्ट्रीयता, देश भक्ति, भारत माता की जय के आधार पर अभी तक प्रताड़ित करते आयी है ।

अध्यक्ष : पूरक न पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : प्रधानमंत्री के बारे में कोई एक टिप्पणी करना राष्ट्रविरोधी गतिविधि है ..

अध्यक्ष : अब कहाँ से इन सब बातों पर जा रहे हैं, इसपर पूरक पूछिये । प्रधानमंत्री पर कहाँ जा रहे हैं, इनकी बात पूछिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : राष्ट्रविरोधी बात क्यों नहीं लगेगा । महुआ के एक बी.डी.ओ...

अध्यक्ष : महुआ के बी.डी.ओ. पर ये क्या जवाब देंगे ? यह नहीं होगा । माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि इस तरह का गंभीर गलत कार्य किया गया है, इसमें किस पदाधिकारी को देखने की जिम्मेवारी थी, जिनकी चूक की वजह से इस तरह की गलती हो गयी, उसकी भी जाँच कराकर जिम्मेवारी फिक्स करवाईये ।

अब तारांकित प्रश्न लिए जायेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 644 (श्री अजीत शर्मा)</u>

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : तिलकामांझी से जेल रोड सड़क के किनारे सूखे पेड़ों को पूर्व में ही वनो के क्षेत्र पदाधिकारी भागलपुर, भागलपुर नगर निगम के द्वारा काट लिया गया है । उस सड़क के किनारे एकमात्र सूखा पेड़ पाया गया जिसकी कटाई दिनाँक 05 जुलाई को हो चुकी है । वर्तमान में तिलका मांझी से जेल रोड के किनारे एक भी सूखा पेड़ नहीं है । सुंदरवती महिला कॉलेज

भागलपुर के सड़क के किनारे सूखे पेड़ों का निरीक्षण गया है उक्त सड़क में एक भी सूखा पेड़ नहीं है ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, आप यह जो रिपोर्ट आयी है, एक तो मेरे क्वेश्चन के बाद यह पेड़ काटा गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कि इनको मंत्री जी को कहिये कि फिर से जॉच करा लें और उसमें सूखा पेड़ दस पन्द्रह वर्षों से है और वह कभी कभी टूट कर नीचे आता है और जो बच्चे लोग जाते हैं उसका एक्सीडेंट होता है, इसमें एक की मृत्यु भी पॉच साल पहले हुई है फिर से उसको एक बार जॉच करा लीजिये, रिपोर्ट पर नहीं जाईये, निश्चित तौर पर आपको सूखा पेड़ मिलेगा, मैंने अपनी आंखों से देखी है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 684 (मो0 नवाज आलम)

श्री राम सेवक सिंह, मंत्री : महोदय, आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । राज्य में दो प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन संचालित है । इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना जो केन्द्र प्रायेजित योजना है । इस योजना में 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के बी.पी.एल. सदस्यों को पेंशन प्रदान किया जाता है जिसमें आयु संबंधित पात्रता की जांच के लिए कोई वैद्य प्रमाण पत्र सरकारी अभिलेख में दर्ज उम्र के आधार पर किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, दूसरा है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा संचालित है । राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लागू की गयी है जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु बी.पी.एल. या ए.पी. एल. परिवार जिन्हें कोई पेंशन पारिवारिक पेंशन, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रहा है, उन्हें पेंशन देने का प्रावधान किया गया है । इस योजना में आयु संबंधित पात्रता की जॉच के लिए आधार कार्ड को वैद्य माना गया है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजनान्तर्गत आधार कार्ड में अंकित जन्म तिथि उम्र संबंधित प्रमाण के लिए मान्य है । वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं है । आरा प्रखण्ड में वोटर कार्ड की मांग नहीं की जा रही है ।

3- कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मोहम्मद नवाज आलमः महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकारा है कि किसी एक ही कार्ड की आवयकता है या तो आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड की आवश्यकता होगी, उसको मान्य किया जायेगा, मैं सदन के माध्यम से चुनौती देता हूं माननीय मंत्री जी को कि जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, सर, यह

गंभीर मामला है, लगातार वहॉ जो वृद्धा पेंशन हो चाहे किसी मामले में जिसतरह से सरकार ने जो योजना चलायी है, पूरी तरह से वह सरजमीन पर नहीं उतर रही है महोदय और जिसका कारण है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं जो आपके पाास उत्तर विभाग के द्वारा दिया गया, इसमें एक कमिटी बना दें या उच्चस्तरीय जॉच करा दें । वहॉ के डी.एम. और डी.डी. सी. ने इस बात को स्वीकारा है कि बी.डी..ओ. के द्वारा उसपर प्रपत्र 'क' गठित हो चुका है और उस बी.डी.ओ. पर लगातार कार्रवाई हो रही है । कभी भी अध्यक्ष महोदय, उसने इस मामले में गंभीर तरीके से कोई ऐक्शन लेने का काम नहीं किया है और जिसका कारण है कि लाखों लोग वहॉ जो लाभान्वित हैं, इसतरह से दोनों तरह के कार्ड मांगने की व्यवस्था चलायी जा रही है जिसका परिणाम है कि जो लाभुक है, उस पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है इसलिए आपके संरक्षण के माध्यम से महोदय, हम सदन से जानना चाहतें हैं कि उसपर कौन सी कार्रवाई होगी ?

अध्यक्ष : नवाज आलम जी, आसन का पूरा संरक्षण प्राप्त है लेकिन आप जो कह रहे हैं और माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं दोनों तो एक ही बात है। मंत्री जी ने भी कहा है कि इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मांगी जा रही है। आपने किसी खास पदाधिकारी के बारे में कहा कि वो मांग रहे हैं । फिर आपने ही कहा कि वह मांग रहे हैं तो कलक्टर ने उनपर कार्रवाई की है प्रपत्र 'क' गठित किया है तो दोनों एक ही बात है । मंत्री जी कह रहे हैं- नहीं मांगना है उनको और जो मांग रहे हैं आप उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि जो पदाधिकारी मांग रहे हैं उसपर उनके वरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है तब तो दोनों एक ही बात है तो चुनौती किस बात की दे रहे हैं ?

श्री मोहम्मद नवाज आलम : महोदय, सदन में माननीय मंत्री जी ने बात रखी है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या जिनके द्वारा इनको रिपोर्ट मिली वो उसमें नहीं मांगा जाता है ।

अध्यक्ष : तब ऐसा करियेगा कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इसके अलावा भी आपकी समझ से कोई गलत काम किया जाा रहा है तो आप उसकी लिखित सूचना मंत्री जी को दीजियेगा मंत्री जी उसकी जॉच करा देंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 1216(श्री मुद्रिका प्रसाद राय)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकरात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय, बेलौर के निर्मित 14 कमरों में से 5 कमरो में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय,बेलौर का संचालन किय जा रहा है । राज्य संसाधन की

उपलब्धता अन्तर्गत क्रमिक रुप से उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है । तद्नुरुप प्रश्नगत विद्यालय में भी नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : महोदय, हम बार बार वहॉ जाते हैं वहॉ के स्थानीय लोग हमसे शिकायत करते हैं कि बच्चों को काफी दिक्कत है और एक भवन पानापुर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन आज 7 वर्ष से बन रहा है आजतक अधूरा है तो उसको कबतक पूरा करा दिया जायेगा यह मेरा पूरक है साथ ही इसको कबतक जो उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बेलौर जो है कबतक इसकी स्वीकृति देकर के कार्य करायेंगे एक समय सीमा इसमें निर्धारित किया जाय ।

टर्न-3/16.7.2019/बिपिन

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, जहां भी उत्क्रमित किया जा रहा है विद्यालयों का, उसके भवन के निर्माण का कार्य भी कराना आवश्यक है और कराना ही है इसको । संसाधन की उपलब्धता के आधार पर क्रमिक रूप से हम इस काम को कर रहे हैं । माननीय सदस्य ने जिस विद्यालय की चर्चा की है, हम उसको भी इसी वित्तीय वर्ष में भवन के निर्माण का काम करा देंगे ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : महोदय, जिस अधूरा भवन के बारे में अभी हमने चर्चा की है, सात वर्ष पूर्व उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है अब तक पूरा नहीं हुआ है । कब तक पूरा कराएंगे, इसके बारे में भी बताएं ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है पूरा करा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या: 1217 (श्री विनोद प्रसाद यादव)</u>

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ है । पूरक पूछिये ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3. विभागीय पत्रांक 939 दिनांक 1 जून, 2018 द्वारा उक्त माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है । संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को उच्च माध्यमिक शिक्षा का संचालन कराते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उच्च माध्यमिक विद्यालय का कोड प्राप्त करने का निदेश दिया गया है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने खंड-1 और खंड-2 को स्वीकारात्मक माना है और प्रश्नाधीन विद्यालय 2011 में उत्क्रमित किए गए थे और इन्होंने जवाब में दिया है कि 01जून 2018 को उसको उच्च

माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है । जब 01 जून 2018 को उत्क्रमित कर दिया गया महोदय, तो इस वित्तीय वर्ष में उच्च माध्यमिक विद्यालय का पठन-पाठन नहीं शुरू हुआ है तो इसके लिए माननीय मंत्री महोदय ने जिम्मेवार अधिकारी पर क्या कार्रवाई किया है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, जो चर्चा माननीय सदस्य ने की है उसका उत्क्रमण के पश्चात उसको कोड का आवंटन होता है और उस कोड के आवंटन के लिए डी.इ.ओ. को हमलोगों ने लिख दिया है । कोड प्राप्त हो जाएगा इनको, उसके बाद वहां वर्ग संचालन का काम शुरू हो जाएगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, 01 जून 2018 को उत्क्रमित हुआ है । तो कोड प्राप्त करने के लिए तो यहां पर इनका विभागीय मामला है महोदय, तो कोड प्राप्त करने के कारण जो वहां के स्थानीय बच्चों को एक साल तक उच्च माध्यमिक शिक्षा से जो वंचित किया गया, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वैसे जिम्मेवार अधिकारी पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, मैंने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से कोड आवंटित होता है । उसके लिए पत्र लिखा गया है । तो इसमें अगर विलम्ब हो रहा है तो मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से आज ही बात करूंगा और हम समझते हैं कि बहुत शीघ्र उसमें लक्ष्य संचालन का काम शुरू हो जाएगा ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनको ..

अध्यक्ष : आप एक विद्यालय का पूछ रहे थे, अब कह रहे हैं कितने विद्यालय? ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्याः 1218 (श्री जितेन्द्र कुमार)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, 1. आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय में क्रय किए गए प्रयोगशाला उपकरण के गुणवत्ता की जाँच एक टीम गठित करके कराने का अनुरोध अन्य जिलों के साथ ही जिला पदाधिकारी, नालन्दा से भी किया गया था । विभागीय पत्रांक-1372 दिनांक 15.07.2019 के द्वारा जिला पदाधिकारी, नालन्दा को स्मारित करते हुए याचित जाँच प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

जाँच में यदि किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित होती है तो दोषी प्राधानाध्यापक के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी । साथ ही,

प्रश्नगत् विद्यालय में प्रैक्टिकल कक्षाओं का संचालन शीघ्र कराने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा को दिया गया है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि प्रश्न आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । यह पूर्ण तौर से स्वीकारात्मक है । ये किस पदाधिकारी से जांच करवाना चाहते हैं ?

दूसरी बात है महोदय कि इन्होंने कहा है कि प्रैक्टिकल नहीं होता है । साफ-साफ कहा है । लेकिन यह जरूरी है बच्चों के लिए, तो लगातार प्रैक्टिकल हरेक विद्यालय में इसकी व्यवस्था सरकार करवाना चाहती है ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, हमने नहीं कहा है । यह आपका प्रश्न है महोदय ।

हमने बताया महोदय कि डी.इ.ओ. को इसकी जांच करने का आदेश दिया है और उसका प्रतिवेदन आ जाएगा तो हम कार्रवाई करेंगे ।

श्री जितेन्द्र कुमार:मैं कहना चाहता हूं महोदय कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, यह मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं और यह बच्चों के लिए जरूरी है । परीक्षाएं भी होती है प्रैक्टिकल की लेकिन स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होता है और बिना प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होती है तो सरकार क्या अनिवार्य रूप से स्कूलों में प्रैक्टिकल करवाना चाहती है ।

अध्यक्ष : इसकी व्यवस्था करा रहे हैं मंत्रीजी । जल्दी करा दीजिएगा ।

श्री जितेन्द्र कुमार: महोदय, एक बात और । यह जो प्रबंधकारिणी समिति स्कूल में है जिसमें स्थानीय विधायक अध्यक्ष होते हैं और सारे स्कूल में जो खरीद होती है उपस्कर, प्रयोगशाला तथा स्कूल की अच्छी व्यवस्था, पढ़ाई हो, अच्छे इन्वॉयरन्मेंट हो, तो प्रबंधकारिणी समिति की भूमिका क्या है महोदय, यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इसका जवाब अभी है कि वह अलग से दीजिएगा ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री: महोदय, हर ऐसे विद्यालयों के अध्यक्ष माननीय विधायक होते हैं और ..

(व्यवधान)

तो माननीय विधायक वहां के अध्यक्ष होते हैं प्रबंधकारिणी समिति के, कमिटी जो बनी है परचेज कमिटी, उसमें हेडमास्टर, साइंस टीचर और एक और शिक्षक को रखा गया है । आप चूंकि वहां के चेयरमैन हैं, आपके पास शक्ति है कि आप इसकी अपने स्तर से भी मोनिटरिंग करें, उसकी गुणवत्ता को देखें ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय विधायक अपने-अपने क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि अमुक-अमुक सदस्य हैं और चेयरमैन का कोई पूछ नहीं है हुजूर । उनसे कोई राय नहीं ली जाती है। अगर परचेज कमिटी है तो चेयरमैन का भी अधिकार उसमें दिया जाए, तभी सही हो पाएगा । सभी माननीय सदस्यों का मामना है, किसी एक आदमी का मामला नहीं है हुजूर । इसलिए परचेज में माननीय अध्यक्ष का भी सम्मिलित होना आवश्यक है । यह आसन से आप निदेशित कर दीजिए हुजूर ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, यह जो साइंस का सामान परचेज करना है उसमें कमिटी जो बनी है, उसमें तीन व्यक्ति की कमिटी है और आप चूंकि अध्यक्ष हैं वहां के, तो आप ओवरऑल उसकी मोनिटरिंग कर सकते हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा करिए माननीय मंत्री जी, पहले तो जो प्रबंधकारिणी समिति है जिसके विधायक अध्यक्ष होते हैं, उसके स्वरूप, गठन और उसके जो कार्य हैं, इसके बारे में जो आपका परिपत्र है या जो भी प्रावधान है, डिटेल लेकर विधायकों के बीच सर्कुलेट करा दीजिए । ठीक है न! सब जान जाएंगे और हमलोग फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे ।

(व्यवधान)

एक मिनट बैठ जाइए । अगर माननीय विधायक उसमें हैं तो विधायकों का या जनप्रतिनिधियों का काम ज्यादा नीति-निर्देशन में ही होता है। आप परचेज कमिटी में क्यों जाना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

बैठिये भाई वीरेन्द्र जी । परचेज कमिटी अगर अधिकारियों की समिति है तो हमेशा विधायकों या जनप्रतिनिधियों की भूमिका वह कमिटी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी देखरेख, उसकी मोनिटरिंग, उसकी जांच की होनी चाहिए। कमिटी में जाना कोई अच्छी बात नहीं है .....

(व्यवधान)

इसीलिए भाई वीरेन्द्र जी...

(व्यवधान)

आप बैठिये न ! एक मिनट सुन लीजिए !

इसीलिए हमने कहा है और उसको देखना यह है कि आखिर उस कमिटी के अधिकार, जो फंक्शन, कर्त्तव्य होते हैं उसमें परचेज कमिटी जो काम करती है उसका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह देखने का अधिकार जरूर प्रबंधकारिणी समिति को होना चाहिए, यह देख लीजिए ।

(व्यवधान)

वह माननीय मंत्री जी देखेंगे और परचेज कमिटी स्वाभाविक रूप से प्रबंधकारिणी कमिटी के अधीन ही काम करेगी ।

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न संख्या 1219 श्री महबूब आलम ....

(व्यवधान)

श्री राहुल तिवारी: पैरेलल कमिटी बन चुकी है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या है ? आप अपना लिखित दे दीजिएगा, घोटाले की जांच करा देंगे ।

श्री राहुल तिवारी: 12 लाख रूपया लेबोरेटरीज के लिए पैसा गया है और वह सारा पैसा लूट लिया गया है ....

अध्यक्ष : वह लिखकर दे दीजिए । हम जांच करवा देंगे ।

टर्न : 04/कृष्ण/16.07.2019

तारांकित प्रश्न संख्या : 1219 (श्री महबूब आलम)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । विभागीय संकल्प संख्या 1021 दिनांक 05.07.2013 के द्वारा राज्य सरकार का यह निर्णय संसूचित है कि प्रत्येक पंचायत में एक-एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाय । उक्त संकल्प को सम्यक् रूप से लागू करने हेतु माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों का सर्वेक्षण कराया गया है । सर्वेक्षण के फलाफल के अनुरूप वैक्लपिक व्यवस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग-9 का संचालन प्रत्येक पंचायत में अप्रील,2020 में प्रारंभ किया जायेगा ।

उक्त सर्वेक्षण में प्रश्नगत पंचायत में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिवानन्दपुर को चिन्हित किया गया है । अब इसमें आवश्यक संसाधन की व्यवस्था कर वर्ग का संचालन अप्रील,2010 से प्रारंभ किया जायेगा ।

श्री महबूब आलम : महादेय, भवन कब बना दिया जायेगा ?

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ग चालू हो जायेगा तो वह भी बन जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1220 (श्री अभय कुमार सिन्हा)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान) के पत्रांक 1675 दिनांक 13.07.2019 के प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि टिकारी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखंड कोंच के परसांवा पंचायत में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रूपसपुर नाम का कोई विद्यालय नहीं है । प्राथमिक विद्यालय, जंगली विगहा, प्राथमिक विद्यालय, मुडेरा, मध्य विद्यालय मुडेरा, प्राथामिक विद्यालय, जगदीशपुर ग्राम रूपसपुर से आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । अतएव रूपसपुर ग्राम के बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार उपरोक्त विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उक्त चारों विद्यालयों के रास्ते में कोई नाला, नदी नहीं है। सभी सड़क मार्ग से जुड़े हैं । इसलिए यहां कोई नया विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 1221 (श्री सुनील कुमार)

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि डुमरा प्रखंड स्थित रंजीतपुर पश्चिमी एवं भासर उत्तरी, विशनपुर में क्रमशः उत्क्रमित उच्च विद्यालय, तारा देवी रंजीतपुर, उत्क्रमित उच्च विद्यालय पकड़ी संस्कृत एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालय विशनपुर स्थित है ।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय पकड़ी संस्कृत में माध्यमिक शिक्षकों की संख्या 4 है जिसमें गणित, विज्ञान शिक्षक, संस्कृत तथा सामाजिक विज्ञान के क्रमशः एक-एक शिक्षक है ।

उत्क्रमित उच्च विद्यालय विशनुपर में माध्यमिक शिक्षकों की संख्या 2 है जिसमें हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान विषय के क्रमशः एक-एक शिक्षक हैं ।

साथ ही, उक्त उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध मध्य विद्यालय में पदस्थापित स्नातक योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा पठन-पाठन का कार्य किया जाता है ।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 2286 दिनारंक 24.12.2012 के आलोक में विभागीय पत्रांक 825 दिनांक 29.05.2013 के द्वारा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 41,871 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजित कराकर जिलों को आवंटित किये गये थे । उक्त सृजित पद के विरूद्ध नियोजन की कार्रवाई की गयी और योजना के आगामी छठे चरण जो दिनांक 29.07.2019 से प्रारंभ होकर दिनांक 29.11.2019 तक चलेगी में भी नियोजन की कार्रवाई इन पदों पर की जायेगी ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि जब नियोजन की कार्रवाई जायेगी तो विद्यालयों में जितने शिक्षकों की कमी है, सभी विषयों के शिक्षक उस विद्यालय में भेज दिये जायेंगे ? इतना सिर्फ गारांटी दे दीजिये सभी विषयों के शिक्षक विद्यालय में भेज देंगे ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब नियोजन की कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद तो निश्चित रूप से सारे विद्यालयों में जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप वहां पदस्थापित कर दिये जायेंगे ।

श्री सुनील कुमार : महोदय, शिक्षा एक महत्वपूर्ण विभाग है और सरकार इतनी असंवेदनशील है, भवन बड़ा-बड़ा बनकर तैयार है ।

अध्यक्ष : आप पहले पूरक प्रश्न पूछ लीजिये न ।

श्री सुनील कुमार : माननीय मंत्री से मेरा यही पूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री केवल इतना गारांटी कर दें कि जब नियोजन हो जायेगा तो सभी विषयों के शिक्षक विद्यालयों में भेज दिये जायेंगे ।

अध्यक्ष: उन्होंने कहा है कि हम यही कोशिश कर रहे हैं ।

श्री भोला यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब भी उत्तर देते हैं, शिक्षकों की जो नियुक्ति कर रहे हैं और उसके बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है।

पिछले सत्र में भी यह बात उठी थी, हमारे ही प्रश्न पर इन्होंने जवाब दिया था । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसकी कोई समय-सीमा इनके पास है या ऐसे ही करके अपना पूरा 5 साल क्रॉस कर जाईयेगा ?

अध्यक्ष : मोटा-मोटी एक समय का आईडिया आप दे दीजिये ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भोला यादव एवं अन्य माननीय सदस्य भी इस बात से अवगत हैं कि मामला न्यायालय में लंबित होने के कारण लगभग डेढ़ दो महीने कहिये या और ज्यादा 6 महीना कहिये।

अब सब कुछ क्लीयर हो गया है । माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और अब हम लोग नियोजन की कार्रवाई कर रहे हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, पौने ग्यारह बजे इनसे हमारी मुलाकात हुई, कहे कि आज क्वेश्चन बहुत है वाक-आउट कीजियेगा क्या ।

श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारी आप से मुलाकात ही नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : भाई वीरेन्द्र जी, जब-जब माननीय मंत्री का विभाग रहता है जो प्राय: मंगलवार को होता है, मंत्री जी पूरी तैयारी से आते हैं और जब सदन नहीं चलता है तो सबसे अधिक निराश माननीय मंत्री ही होते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या : 1222 (श्री निरंजन कुमार मेहता)</u>

श्री प्रमोद कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री खेल विकास योजनान्तर्गत प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण करने का लक्ष्य है । वस्तुस्थिति यह है कि मधेपूरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड मुख्यालय में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति हेतु जिला पदाधिकारी,मधेपूरा से विभागीय पत्रांक 524 दिनांक 15.05. 2017 पत्रांक 1372 दिनांक 08.12.2017 प्रथम स्मार पत्र संख्या 63 दिनांक 18.01.2018 द्वितीय स्मार पत्र संख्या 579 दिनांक 11.04. 2018, तृतीय स्मार पत्र संख्या 1073 दिनांक 16.07.2018 और पत्रांक 1630 दिनांक 22.11.2018 पत्रांक 188 दिनांक 07.02.2019, पत्रांक 494 दिनांक 07.05.2019 पत्रांक 671 दिनांक 21.06.2019 द्वारा प्रस्ताव की मांग की गयी है । प्रस्ताव प्राप्त होते ही विभागीय मानक के अनुरूप सरकारी भूमि उपलब्ध होने पर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इससे पहले कि माननीय सदस्य पूरक प्रश्न पूछें, जरा आप अपने उत्तर को देख लीजिये । जब आप समीक्षा करते हैं, आपने खुद 6-6, 7-7 पत्र जो यहां मुख्यालय से जिला पदाधिकारी को लिखे गये, प्रस्ताव प्राप्त करने के लिये, आप ही ने सब पत्रांक दिनांक 2017 से ही गिनाया । अब दो वर्ष हो गये, कलक्टर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहा है यह भी आपको देखना चाहिए ।

मंत्री जी, आप इसमें 15 दिनों के अंदर से इसके संबंध में डायरेक्ट संपर्क करके, दो साल से कलक्टर से प्रस्ताव मांग रहे हैं, वह नहीं दे रहे हैं और आप अभी भी स्मार पत्र दे रहे हैं तो इसको तो आप करा लीजिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : इसके बाद क्या बचता है ? इसके बाद आपको कुछ कहना है क्या ? माननीय सदस्य निरंजन जी, हमने कह दिया कि 15 दिनों में इसका कोई निराकरण कर दें । तो अब आपको क्या पूछना है ?

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कहना चाहूंगा कि मैंने क्या पूछा है । एस0बी0जे0एस0 हाई स्कूल, उदाकिशुनगंज प्रखंड सारी अर्हता पूरा करके जिलाधिकारी द्वारा मैंने स्वयं जमा कराया है और एक वर्ष पूर्व जमा किया गया है । अर्हता पूरी करके जिलाधिकारी द्वारा इनके यहां जमा है ।

क्रमशः

टर्न-5/अंजनी/16.07.19

श्री निरंजन कुमार मेहताः क्रमशः... और पूर्व के माननीय मंत्री महोदय द्वारा और्डर किया हुआ है एस0बी0जे0एस0 हाईस्कूल उदाकिशुनगंज का ।

अध्यक्ष : आपका क्या कहना है ?

श्री निरंजन कुमार मेहता - सारी अर्हता पूरी करके.....

अध्यक्ष : सारी अर्हता की बात नहीं है, उन्होंने भूमि के बारे में कहा है । भूमि का प्रस्ताव जिला से आ गया है ?

श्री निरंजन कुमार मेहता : आ गया है और मानक भी पूरा करता है ।

अध्यक्ष : इनका कहना है और इनके उत्तर में लिखा है कि निर्विवाद सरकारी भूमि, क्या ऐसा तो नहीं है कि विवाद वाले का प्रस्ताव है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : क्रीड़ा मैदान का अपना भूमि है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को बुलाकर 15 दिन में इसका निराकरण करें ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जी ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1223(श्रीमती अमिता भूषण)</u>

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वित्तीय वर्ष 2007 के बाद बी0पी0एल0 सूची का अदयतीकरण नहीं किया गया है एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (एस0ई0सी0सी0)-2011, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा

करायी गयी है । सर्वेक्षण एवं जनगणना में प्राप्त आंकड़ों का प्रकाशन वर्ष 2015 में भारत सरकार के वेबसाईट एवं राज्य सरकार के सभी जिलों में करायी जा चुकी है । सभी जिलों में इस सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े भी भौतिक रूप से सुलभ उपलब्ध है ।

3- एस0ई0सी0सी0-2011 में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की पहचान की संकल्पना नहीं है, जबकि यह योजना बी0पी0एल0 परिवारों के लिए है ।

4- कंडिका-2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्रीमती अमिता भूषण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद ही मान रहे हैं कि बी0पी0एल0 परिवारों के पहचान की कोई संकल्पना नहीं है तो फिर कबीर अंत्येष्टि योजना को बी0पी0एल0 से क्यों ढो रहे हैं ? जिस तरह से कई अन्य सामाजिक योजनाओं को एस0ई0सी0सी0 से जोड़ दी गयी है, उसी तरह से इसे भी एस0ई0सी0सी0 से जोड़ने का प्रावधान किया जाय, इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जायेगा । दूसरी बात, जो तीन हजार राशि पीड़ित परिवारों को दी जाती है, वह 2007 से दी जा रही है, इसको भी बढ़ाने का प्रावधान किया जाय ।

अध्यक्ष : क्या मंत्री जी को कुछ कहना है ?

(व्यवधान)

क्या मंत्री जी को कुछ अतिरिक्त सूचना देनी है ?

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या का कहना है कि उसमें कबीर अंत्येष्टि के माध्यम से तीन हजार रूपया देने का यह प्रावधान विभाग के माध्यम से है और जो प्रश्न अभी आया है, उस पर विभाग फिर पुनर्विचार करेगी ।

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अभी जो इसमें बी0पी0एल0 परिवार की जो पात्रता है तो क्या अन्य जो योजनायें गरीबों के लिए चल रही है तो मेरा यह पूछना है माननीय मंत्री जी से कि क्या बी0पी0एल0 के स्थान पर एस0ई0सी0सी0 डाटा को आधार मानकर क्या सरकार कबीर अंत्येष्टि योजना में करना चाहती है क्योंकि बी0पी0एल0 बहुत ही पुरानी सूची है और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य जो

योजनायें हैं, वह एस0ई0सी0सी0 डाटा के अनुरूप चल रही है । पहले राजीव आवास भी बी0पी0एल0 पर चलती थी, अब उसमें एस0ई0सी0सी0 है.....

अध्यक्ष : ऐसी कोई योजना है ?

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : नहीं है सर ।

(व्यवधान)

श्रीमती अमिता भूषण : मंत्री जी ने आश्वासन दिया....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि एस0ई0सी0सी0 से जोड़ने की कोई योजना सरकार के यहां विचाराधीन नहीं है । उन्होंने स्पष्ट कहा है । अब क्या पूछना है ?

श्रीमती अमिता भूषण : कई सारी योजनाओं को जोड़ा गया है । मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे कई सारी योजनाओं को जोड़ा गया है एस0ई0सी0सी0 से.....

अध्यक्ष : लेकिन इसको अभी जोड़ने का विचार सरकार नहीं रख रही है, अब क्या पूछना है, आप बताइए । जब सरकार ने अपना इरादा साफ बता दिया है तब इसमें क्या पूरक है ?

श्रीमती अमिता भूषण : मतलब सरकार फिर से विचाराधीन है ।

अध्यक्ष : आपके कहने पर सरकार विचार करेगी ।

तारांकित प्रश्न सं0–1224(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति ायह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 250 दिनांक 12.07.19 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नाधीन विद्यालय के प्रधान के विरूद्ध कतिपय आरोपों की जांच हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), मुजफ्फरपुर को प्राधिकृत किया गया था । जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने पत्रांक 1441 दिनांक 12.07.19 के द्वारा प्रधानाध्यापक को एक सप्ताह के अन्दर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया है । संबंधित से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : अब तो एक सप्ताह का टाईम दे रहे हैं अब कबतक कैसे पूछियेगा ?

तारांकित प्रश्न सं0–1225(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

अध्यक्ष : उत्तर दिया हुआ चन्द्रसेन जी, पढ़े हैं ?

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : पढ़कर बैठल हैं सर ।

अध्यक्ष : मंत्री जी पढ़ दीजिए ।

श्री रामसेवक सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत प्रखंड एवं पंचायत में आंगनवाड़ी केन्द्र भवन जर्जर की स्थिति में नहीं है परंतु उक्त भवनों की मरम्मति कराना आवश्यक है, जिसकी स्थिति निम्नवत है :-

केन्द्र-खरजम्मा-1, कोड संख्या-27, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन वर्ष 2012 में जिला परिषद की योजना से निर्मित है। भवन की स्थिति ठीक है परंतु केवल फर्श टूटा हुआ है, जिसमें आंशिक मरम्मति की आवश्यकता है। उपलब्ध आवंटन के आलोक में मरम्मति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दो माह के अन्दर मरम्मति का कार्य पूरा करा लिया जायेगा ।

केन्द्र- खरजम्मा-2, कोड संख्या-28, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन वर्ष 1999 में आई0सी0डी0एस0 की योजना से निर्मित है । भवन काफी पुराना है एवं खिड़की, दरवाजा, फर्श एवं शौचालय टूटा हुआ है, जिसमें मरम्मति की आवश्यकता है । उपलब्ध आवंटन के आलोक में मरम्मति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दो माह के अन्दर मरम्मति कार्य पूरा कर लिया जायेगा ।

केन्द्र दानापुर-1, कोड संख्या-32, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन 1999 में आई0सी0डी0एस0 की योजना से निर्मित है । भवन काफी पुराना है एवं खिड़की, दरवाजा, फर्श एवं शौचालय टूटा हुआ है, जिसमें मरम्मति की आवश्यकता है । उपलब्ध आवंटन के आलोक में मरम्मति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए दो माह के अन्दर मरम्मति कार्य करा लिया जायेगा ।

केन्द्र-दानापुर-2, कोड संख्या-35, आंगनवाड़ी केन्द्र भवन 2016 में 13वीं वित्त आयोग योजना से निर्मित है । भवन की स्थिति अच्छी है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1226 (डॉ0 अशोक कुमार)</u>

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत विद्यालय को वर्ष 2009-10 में उत्क्रमण के क्रम में अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु विद्यालय को 26,00,000/- राशि आवंटित की गयी थी, जिसे ए0सी0/डी0सी0 सामंजन के क्रम में वापस कर दिया गया । वर्त्तमान में इस विद्यालय में अवस्थित 03 कमरों में वर्ग संचालन, 02 कमरों में प्रयोगशाला कक्ष का संचालन, 01 कमरा में पुस्तकालय कक्ष एवं 01 कमरा में कम्प्यूटर कक्ष संचालित है । विभागीय पत्रांक 1371 दिनांक 15.07.2019 बी0एस0ई0आई0डी0सी0, पटना को यह निदेश दिया गया है कि प्रश्नगत

विद्यालय का स्थलीय निरीक्षणोपरान्त क्षतिग्रस्त कमरों के पुनर्निर्माण एवं नामांकित छात्र-छात्राओं को ध्यान में रखकर आवश्यक अतिरिक्त वर्ग कक्ष के निर्माण हेतु प्राक्कलन तैयार कर शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ।

क्रमशः.....

टर्न-6/राजेश/16.7.19

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री, क्रमशः तदनुरुप प्राक्कलन प्राप्त होने पर अपेक्षित निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

डा0 अशोक कुमारः महोदय, प्राक्कलन कब तक इनका आ जायेगा, ये 2009-10 का बता रहे हैं, उसी समय से पेंडिंग है, कब तक ये प्राक्कलन प्राप्त कर लेंगे ?

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, प्राक्कलन के लिए आदेश दे दिया गया है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द ही प्राक्कलन उपलब्ध हो जायेगा, तो निश्चित रुप से प्राथमिकता के आधार पर हम इनके विद्यालय के वर्ग कक्ष का निर्माण करा देंगे ।

डा0 अशोक कुमारः महोदय, इन्होंने स्वीकार किया है कि तीन कमरों में चल रहा है विद्यालय, जबकि वहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएँ हैं, बाकी में कंप्यूटर कक्षा एवं प्रयोगशाला है, तो मात्र तीन ही कमरों में इतना बड़ा उच्च विद्यालय चलता है क्या ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लीजियेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 1227 (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)</u>

अध्यक्षः इस प्रश्न को माननीय सदानंद सिंह जी पूछेंगे, जो प्राधिकृत हैं ।

श्री सदानंद सिंहः जी पूछता हूँ ।

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्डः 3: वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के बेनीपुर प्रखंडन्तर्गत ग्राम पंचायत राज देवराम अमैठी के 6 गॉव में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय खोलने के संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से स्थलीय जांच करायी गयी । जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम रामनगर पश्चिमी भाग में एक किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय अमैठी एवं प्राथमिक विद्यालय, रामनगर, अमैठी, महादेव मंदिर के निकट पूर्वी भाग में एक किलोमीटर के अंदर मध्य विद्यालय अमैठी एवं रामनगर पूर्वी भाग के एक किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय, रामनगर अवस्थित है । अतः बिहार

राज्य बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के अनुसार उक्त तीनों ही गॉवों में नया प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने की अर्हता पूरा नहीं करता है । देवराम दक्षिणी भाग नमती गॉव तथा नवटोलिया गॉव के एक किलोमीटर के दायरे में कोई विद्यालय नहीं है । अतः इन तीनों गॉवों में नया प्राथमिक विद्यालय स्थापना हेतु ग्राम पंचायत राज देवराम के अमैठी पंचायत के पंचायत सचिव को विधिवत् प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्वशिक्षा अभियान, दरभंगा को पत्रांक-968 दिनांक 09.07.2019 द्वारा अनुरोध किया गया है । विधिवत् प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त नये विद्यालय के स्थापना हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की
जायगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1228 (श्रीमती एज्या यादव)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-1229 (श्रीमती गुलजार देवी)

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रुप से स्वीकारात्मक है । निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के आदेश संख्या-822 दिनांक 28.6.2019 के द्वारा श्री शशि शेखर, प्रधानाध्यापक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, वृंदावन बालक, पश्चिमी चंपारण को स्थानान्तरित करते हुए मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जा चुका है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-1230 (श्री मिथिलेश तिवारी)

श्री रामसेवक सिंह,मंत्री : महोदय, 1. अस्वीकारात्मक ।

2. अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि 1. राज्य में कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना चालू है । इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु होने पर उनकी अन्त्येष्टिक्रिया हेतु पीड़ित परिवार को 3000/-(तीन हजार) रूपये एक मुश्त दिया जाता है । इस योजना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 50 करोड़ (पचास करोड़) रूपये व्यय किया गया एवं 1,66,666 लोगों को लाभान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 48.24 करोड़ (अड़तालीस करोड़ चौबीस लाख) रूपये व्यय किया गया एवं 1,60,800 लोगों को लाभान्वित किया गया । वित्तीय वर्ष 2018-19 में 27.15 करोड़ (सताईस करोड़ पन्द्रह लाख) रूपये व्यय किया गया एवं 45,907 लोगों को लाभान्वित किया गया । त्वरित भुगतान हेतु सभी पंचायतों के खाते में 05 लाभुकों के भुगतान के लिए 15000/-(पन्द्रह हजार) रूपये, सभी नगर पंचायत 10 लाभुकों के लिए रूपये 30000/-(तीस हजार)

रूपये, नगर परिषद 20 लाभुकों के लिए रूपये 60000/-(साठ हजार) रूपये, नगर निगम 30 लाभुकों के लिए रूपये 90000/-(नब्बे हजार) रूपये, की राशि वन टाईम एडवांस (One Time Advance) रखे जाने का प्रावधान है ।

2. राज्य के निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करने, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं बाल विवाह के रोकने के उद्देश्य से इस योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2007-08 से किया जा रहा है । वर्त्तमान में भी यह योजना चालू है ।

इस योजना के सुचारू संचालन एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वयन हेतु पूर्व की व्यवस्था के स्थान पर वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दिसम्बर, 2018 से योजना के लाभुकों को राशि का भुगतान ई-सुविधा पोर्टल से डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है और चरणबद्ध तरीके से राशि का अंतरण किया जा रहा है । प्रथम चरण में राज्य के 26 जिलों में 21940 लाभुकों को डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभ दिया जा चुका है तथा शीघ्र ही द्वितीय चरण में शेष 12 जिलों में भी डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दी जायेगी ।

उपर्युक्त कंडिका 1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अध्यक्षः उत्तर आपने पढ़ा है ?

श्री मिथिलेश तिवारीः जी, पढ़ा है ।

अध्यक्षः पढ़ा है, तो पूरक पूछिये ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर पढ़ा है और माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी कृपया यह बतायें कि बिहार में जो बी0पी0एल0 डेथ रेसियो है, उसके आधार पर कोई उनके पास मांग प्राप्त हुई है और यदि प्राप्त हुई है, तो उसके आधार पर क्या राशि का उपबंध किया गया है और माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में 8030 ग्राम पंचायतें हैं, 3039 नगर पंचायत एवं नगर परिषद् हैं और इसके आधार पर एक भी बी0पी0एल0 परिवारों को उनके डेथ होने पर उनके आश्रितों को मुआवजा की राशि नहीं मिल रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, इन्होंने जो जवाब दिया है कि 2016-17 में 50 करोड़ रुपया, 2017-18 में 48.4 करोड़ रुपया एवं 2018-19 में 27.15 करोड़ रुपया की इन्होंने जानकारी दी है...

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप पूरक पूछिये न ।

श्री मिथिलेश तिवारीः महोदय, इसीलिए मैं डेथ रेसियो के आधार पर जो बी0पी0एल0 के लोग मरते हैं, उनको ग्राम पंचायतों से पैसा नहीं मिलता है, तो वे हमलोगों के पास आते हैं, और हमलोगों को अपने पास से राशि देना पड़ता है, तो मैं माननीय मंत्री से डेथ रेसियो के आधार पर इसकी राशि का उपबंध करायेंगे और जो कन्या विवाह योजना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि फस्ट फेज का भुगतान जो 26 जिलों के लिए हुआ है, वह 21,940 का ऑकड़ा है और सेकेण्ड फेज में 12 जिलों में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और यह योजना चल रही है बिहार में 2007-08 से और इन्होंने यह भी नहीं बताया है कि किन वित्तीय वर्षों में कितने लोगों ने इसकी मांग की, कितने का भुगतान किये, तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते है कि माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें कि कन्या विवाह योजना की राशि कई जगह, कई जिलों में तो मिली ही नहीं है आज तक, इसलिए माननीय मंत्री जी बतायें ।

श्री राम सेवक सिंह, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1 देखा जाय, तो खण्ड । में माननीय सदस्य के माध्यम से प्रश्न किया गया है कि कबीर अन्तयेष्टि में मैंने वर्षवार उसका उल्लेख कर दिया है,जो जवाब उनके पास चला गया है, उसमें वर्षवार मैंने बता दिया है । दूसरा खण्ड में है कि जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जो राशि है, तो अध्यक्ष महोदय, मैंने जवाब दिया है 2018-19 के दिसम्बर, 2018 से योजना के लाभुकों की राशि का भुगतान ई-सुविधा पोटल में डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे उनके खाते में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है और चरणबद्ध तरीके से राशि का अंतरण किया जा रहा है । प्रथम चरण में 26 जिलों में 21,940 लाभुकों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खाता में दे दिया गया है और 12 जिलों में जो अवशेष है, उसको हम जल्दी से जल्दी उन 12 जिलों में जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि, जो अवशेष बची हुई है, उसको हम जल्द से जल्द भेजवाने का काम करेंगे ।

श्री मिथिलेश तिवारीः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में उन्होंने जो ऑकड़ा दिया है कि 21,940 लोगों को भुगतान हुआ है और यह 26 जिलों में हुआ है, तो जो 12 जिले बचे हैं, वह कब का था, वहाँ भुगतान क्यों नहीं हुआ, योजना में विलंब क्यों हुआ.....(व्यवधान)

अध्यक्षः ये बता रहे हैं कि डी0बी0टी0 से जा रहा है । यह प्रॉसेस में है ।

श्री मिथिलेश तिवारीः महोदय, इतने दिनों से नहीं हो रहा है, क्यों ?

अध्यक्षः अब तो हो रहा है, नहीं हो रहा था, अब बात खत्म हो गयी ।

श्री संजय सरावगीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो बोल रहे हैं कि डी0बी0टी0 से जा रहा है, वह जो करेंट आवेदन हो रहा है, वह जा रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि 2015 से जो कन्याएँ आवेदन की ऑनलाईन, ऑनलाईन इसका आवेदन होता है महोदय, यह पूरे राज्य का मामला है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं दरभंगा जिला के बारे में महोदय जानकारी देना चाहता हूँ कि 2015 से दिसम्बर, 2018 तक इन तीन सालों में जो आवेदन हुआ है, उसका एक भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में, अभी भी अध्यक्ष महोदय, मैंने परसों भी पता किया, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में जो अभी आवेदन हो रहे हैं, वह डी0बी0टी0 से जा रहे हैं लेकिन 2015 से दिसम्बर, 2018 तक विगत तीन सालों से, जो कन्याएँ घूम रही हैं प्रखंडों में, क्या उनकी राशि जो है, माननीय मंत्री जी कब तक भेजवाने का विचार रखते हैं ?

श्री रामसेवक सिंह, मंत्रीः महोदय, पूर्व में जितने भी आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर पर लंबित है, पूरे राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि जितने आपके यहाँ आवेदन लंबित हैं, सबका ऑनलाईन कराते हुए दो माह के अंदर पूरे राज्य में राशि का भुगतान कर दें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि पूरे बिहार में कबीर अन्त्येष्टि योजना लागू करने का उद्धेश्य क्या था ? सरकार के जो पदाधिकारी हैं, उस उद्धेश्य को एक प्रतिशत भी पूरे बिहार में लागू करने का काम नहीं किया, सिर्फ किसी जिला में, किसी क्षेत्र में, कोई एक्सीडेंट से कोई गरीब मरता है, तो सरकार के पदाधिकारी वहाँ जाकर तीन हजार रुपया कबीर अन्त्येष्टि का दे देते हैं और नॉर्मल मृत्यु में पेमेन्ट नहीं होता है, मेरे जिला में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में हजारों गरीब वर्षों वर्ष से उतरी लेकर घूम रहे हैं और पदाधिकारी उनको पेमेन्ट नहीं कर रहा है, तो मैं सरकार से जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष: बोगो जी, सरकार ने तो बता दिया है और उनके उत्तर में ही यह बात स्पष्ट है कि कुछ मामले लंबित चल रहे हैं जिसका उन्होंने कहा है कि दो महीने के अन्दर सब को करा देंगे नम्बर 1 । नम्बर 2 कि ये बात तो स्पष्ट है और स्वाभाविक रूप से आप जो कह रहे हैं, सरकार की मंशा है कि गरीब लोग जब मरते हैं तो उनको तुरंत अंत्येष्टि के लिए राशि उपलब्ध करा दी जाय, देर होने से तो दिक्कत होती ही है लेकिन अब सरकार इतनी तत्पर है कि ऑनलाईन सिस्टम लागू करके और आप सब लोग जान रहे हैं कि अभी करेंट चल रहा है, डी0बी0टी0 से लगातार जा रहा है । पिछला जो लंबित है उसको भी दो महीना में किया जा रहा है । अब तो हम समाधान की ओर हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: महोदय, कबीर अंत्येष्टि योजना का भी पैसा ऑनलाईन ही जलावन खरीदने के लिए जायेगा क्या ?

अध्यक्ष: बाकी बीच के गैप के लिए तो आप हैं ही न ? अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब जैसा कि मैंने कल सदन को सूचित किया था कि बाढ़ के संबंध में अद्यतन हालात और सरकार की तैयारियों के सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे इसके संबंध में मुझे एक चीज भी स्पष्ट करनी है, आज मैंने देखा है कि कई समाचारपत्रों में हमने सूचित कुछ और किया था परंतु उसकी रिपोर्टिंग कुछ और हो गयी है । हमने कहा था कि सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने सर्वेक्षण भी किया है, समीक्षा भी की है, वे स्वयं वक्तव्य देंगे लेकिन हमने देखा है कि समाचारपत्रों में कहीं कहीं लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर देंगे जबकि उत्तर तो कोई प्रश्न या ध्यानाकर्षण का होता है, ये तो वक्तव्य देंगे । कल कोई माननीय सदस्य बोले थे, उस पर हमने कहा भी था कि वक्तव्य पर कोई पूरक नहीं होता है या इस तरह का कोई वाद विवाद नहीं होता है इसलिए सही रिपोर्टिंग से स्थिति मूल रूप में समझ में आती है, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री ।

<u>माननीय मुख्यमंत्री का वक्तव्य</u>

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14 जुलाई, 2019 को मैंने जल संसाधन मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव-जल संसाधन विभाग एवं प्रधान-सचिव- आपदा प्रबंधन विभाग के साथ दरभंगा जिले के रसियारी, घनश्यामपुर ,मधुबनी जिले झंझारपुर, नरूवार, जयनगर, सीतामढ़ी जिले के रीगा, ढेंग, बैरगनिया, पूर्वी चम्पारण जिले के बेलवा तथा शिवहर जिले के पिपराही बाजार के साथ-साथ इन जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करीब ढाई घंटे का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया ।

कल दिनांक 15, जुलाई, 2019 को पुनः मैंने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव-जल संसाधन विभाग, प्रधान-सचिव-आपदा प्रबंधन विभाग के साथ अररिया जिले के अररिया, फारबिसगंज, सिकटी, कुरसाकांटा, पलासी, जोकीहाट,किशनगंज जिले के ठाकुरगंज, कोचाधामन, टेढ़ागाछ, पूर्णियां जिला के बैसा, बायसी, अमौर एवं कटिहार जिले के बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का करीब चार घंटे तक हवाई सर्वेक्षण किया । हवाई सर्वेक्षण के पश्चात् पूर्णियां के चूनापुर हवाई अड्डे पर पूर्णियां के प्रमंडलीय आयुक्त एवं पूर्णियां, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ एवं बचाव तथा राहत कार्य की स्थिति की मैंने विस्तृत समीक्षा की । लौटते वक्त मैंने कोशी नदी के बढ़े जल स्तर वाले सुपौल,

सहरसा जिलों के इलाकों तथा पुनः दरभंगा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का विस्तृत हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया ।

संभावित बाढ़ और सुखाड़ की आपदा की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों के सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ मैंने 03 जून को समीक्षा बैठक की थी । पुनः 6 जुलाई को मैंने उप मुख्यमंत्री, सभी संबंधित विभागों के मंत्रीगण, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण, मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागों के प्रधान-सचिव/सचिव के साथ बाढ़ की पूर्व तैयारियों एवं सुखाड़ की स्थिति की विस्तृत समीक्षा बैठक की । इस बैठक में सभी प्रमंडलीय आयुक्त सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक भी विडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित थे । इसके अतिरिक्त 12 जुलाई एवं 14 जुलाई, 2019 को बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति एवं उस पर उठाये गये कदमों के विषय में मुख्य सचिव सहित संबंधित विभागीय सचिवों के साथ विस्तृत समीक्षा की ।

विगत तीन-चार दिनों से नेपाल के तराई इलाकों में पिछले वर्षों में सामान्य तौर पर 50 मि0मी0 औसत वर्षापात की तुलना में इस वर्ष 280 से 300 मि0मी0 वर्षापात हुआ है । बहुत ज्यादा वर्षा होने के कारण फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है । इससे नेपाल से निकलने वाली कई नदियों यथा-कमलाबलान, बागमती, लालबेकिया, अधवारा समूह ही नदियों, कोशी, परमान, बकरा, कनकई और महानन्दा में अधिक जलश्राव के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी।

कमला नदी के नेपाल स्थित जल ग्रहण क्षेत्र में 12 जुलाई, 2019 को भारी वर्षापात हुआ और 13 जुलाई, 2019 को और अधिक वर्षापात हुआ एवं 230.60 से लेकर 319.80 मि0मी0 वर्षापात दर्ज किया गया । फलस्वरूप कमला नदी में अत्यधिक जलश्राव प्राप्त हुआ एवं मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर में कमला वीयर-सह-ब्रिज के लगभग 2 फीट ऊपर तक जल का बहाव होने लगा । झंझारपुर रेल-पुल के निकट वर्ष 1987 में कमला नदी का उच्चतम जलस्तर 54.34 मीटर था, उस जलस्तर में 16 से0मी0 की वृद्धि हुई और बढ़कर 54.50 मीटर का हो गया है । कमला नदी में अत्यधिक जलश्राव प्राप्त होने के कारण कमला बलान बायां तटबंध दो स्थलों पर एवं कमला बलान दायां तटबंध छः स्थलों पर क्षतिग्रस्त हो गया । इसके फलस्वरूप मधुबनी जिले के जयनगर, अंधराठाड़ी, झंझारपुर, बाबू बरही, लदनियां प्रखंड

तथा दरभंगा जिला के तारडीह, घनश्यामपुर एवं गौड़ाबौराम प्रखंड प्रभावित हुए हैं ।

बागमती नदी के नेपाल स्थित जलग्रहण क्षेत्र में अत्यधिक वर्षापात होने के कारण बागमती नदी के ढेंग स्थल पर दिनांक 14 जुलाई, 2019 को 73 मीटर का नया उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया जो अपने पूर्व के जल स्तर से 40 से0मी0 अधिक रहा । इसके अलावा बागमती नदी के सोनाखान स्थल पर उसी दिन 72.05 मीटर का उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया जो कि अपने पूर्व के जल स्तर से 1.28 मीटर अधिक रहा । बागमती नदी में आई बाढ़ के कारण शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले के लोग प्रभावित हुए हैं । वर्त्तमान में बागमती नदी पर निर्मित तटबंध सुरक्षित हैं ।

ललबकिया नदी में अत्यधिक जलश्राव प्राप्त होने के चलते पूर्वी चम्पारण एवं शिवहर जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । अधवारा समूह की विभिन्न नदियों यथा–रातों अधवारा, धौंस आदि में अत्यधिक जलश्राव प्राप्त होने के चलते सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले में मधवापुर ,हरलाखी, बेनीपट्टी प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हुए हैं । खिरोई नदी में कमतौल ब्रिज के पास मुरैठा गांव में बांध टूटने से दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में पानी का फैलाव हुआ है ।

कोशी नदी में हनुमान नगर स्थित बराज पर दिनांक 13 जुलाई, 2019 को 3,71,110 क्यूसेक का जलश्राव प्राप्त हुआ जो कि पिछले 15 वर्षों का सर्वाधिक है । कोशी नदी के सभी तटबंध सुरक्षित हैं परन्तु सुपौल, सहरसा एवं मधुबनी (मधेपुर, लखनौर प्रखंड) जिलान्तर्गत तटबंध के भीतर रहने वाले लोग प्रभावित हुए हैं ।

परमान, बकरा, कनकई एवं अन्य नदियों में अधिक जलश्राव के कारण अररिया जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है । मेची, डोंक एवं महानंदा नदी में अत्यधिक जलश्राव प्राप्त होने के चलते किशनगंज जिले के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ।

महानंदा नदी में दिनांक 15 जुलाई, 2019 को ढेंगराघाट में 37.18 मीटर एवं झौआ में 32.36 मीटर का जलस्तर रिकार्ड किया गया है । ढेंगराघाट एवं झौआ में महानन्दा नदी खतरे के निशान से क्रमशः 1.51 मीटर एवं 1.23 मीटर उपर बह रही है। महानंदा बेसिन में अवस्थित सभी तटबंध सुरक्षित हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-8/मधुप/16.07.2019

... क्रमशः ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : मैंने बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया है । राहत एवं बचाव कार्य के लिये 796 मानव बल तथा 125 मोटर बोट के साथ एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 की 26 टुकड़ियाँ तैनात की गयी हैं। इनके द्वारा अभी तक लगभग 1.25 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला गया है ।

आज दिनांक 16.07.2019 के 10.00 बजे पूर्वाह्न तक प्राप्त सूचना के अनुसार शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार एवं पूर्णियां कुल 12 जिलों के 78 प्रखंडों में 555 पंचायतों की 25,71,600 जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित है । प्राप्त सूचनानुसार बाढ़ से अबतक 25 लोगों की मृत्यु हुई है । कुल 199 राहत शिविर खोले गये हैं जिसमें 1,16,653 लोग रह रहे हैं । इसके अलावा 676 सामुदायिक रसोईघरों की व्यवस्था की गयी है । जरूरत पड़ने पर और भी राहत शिविर और सामुदायिक रसोईघर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है । साथ-ही, भोजन की गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल और साफ-सफाई पर समुचित ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया है । मानव दवा यथा- हैलोजन टैबलेट, ओ0आर0एस0 पैकेट, डायरिया की दवा, ब्लीचिंग पाऊडर प्रभावित जनसंख्या में वितरित की जा रही है । पशु दवा की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ पशुओं के लिये चारा इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था के लिये निर्देश दिया गया है ।

सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) बनायी गयी है । इसमें बाढ़ पूर्व तैयारियों से लेकर बाढ़ के समय तथा बाढ़ समाप्ति के बाद किये जाने वाले कार्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। सभी जिलाधिकारी इसी SOP के अनुसार ससमय पूरी तैयारी कर लेते हैं । इससे आपदा प्रबंधन का कार्य अधिक सुगम तथा दक्ष हुआ है । राहत कार्यों में कोई कठिनाई नहीं हो इसके लिये वित्तीय नियमों को सरल बनाया गया है तथा वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है । प्रत्येक जिले में तथा मुख्यालय में EOC (Emergency Operation Centre) की स्थापना की गई है जो सूचना संग्रहण, सूचना विश्लेषण, सूचना प्रेषण एवं नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है । यह 15 जून, 2019 से ही सभी जगहों पर कार्यरत है ।

पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को आज ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है । प्राप्त सूचनानुसार 335 ग्रामीण पथ क्षतिग्रस्त हुये हैं । यह संख्या बढ़ भी सकती है । इन सभी क्षतिग्रस्त पथों को जलस्तर के कम होते ही आवागमन योग्य बनाया जायेगा । तत्पश्चात् पूर्व की भांति इन पथों को अच्छी गुणवत्ता का बनाया जायेगा। इसी प्रकार पथ निर्माण विभाग को भी सम्पर्क से कटे हुये स्थलों पर अविलम्ब सम्पर्कता बहाल करने का निर्देश दिया है । वर्ष 2017 में अररिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 327E पर गोरैया (जोकिहाट) के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको नया बनाने के लिए एन0एच0ए0आई0 से इसकी स्वीकृति मिलने में विलम्ब हुआ । परन्तु तत्काल बाढ़ से राहत एवं बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा इस पुल स्थल पर बेली ब्रिज बनाकर आवागमन चालू करने का निर्णय लिया गया है ।

दिनांक 15.07.2019 को दरभंगा, मधुबनी, शिवहर और सीतामढ़ी के जिलाधिकारियों को उनके जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कराया गया । आज कटिहार, अररिया, किशनगंज और पूर्णियां के जिलाधिकारियों को अपने जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिये भेजा गया है ।

बाढ़ राहत हेतु सभी जिलों को आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है । अनुग्रह अनुदान हेतु तो सरकार ने हर जिले में चक्रीय निधि (Revolving fund) की व्यवस्था की है । आपदा में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 24 घण्टे के भीतर अनुग्रह अनुदान की राशि दे दी जाती है । हम हमेशा से कहते आये हैं कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला हक आपदा पीड़ितों का है । राहत कार्य हेतु जितनी भी राशि की आवश्यकता जिलों में होगी, उसे सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा । जो भी जरूरी होगा वे सभी कार्य किये जायेंगे तथा बाढ़ प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी ।

वर्ष 2017 में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को साहाय्य राशि वितरण के समय हमलोगों ने यह पाया कि राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच द्वारा काफी विलंब किया गया, पैसा बैंक में भेज दिया जाता है, बैंक में उनके एकाउंट में ट्रांसफर करने में बहुत समय लग रहा था, तथा सूची तैयार करने में कई प्रकार की शिकायतें आई थीं । इसके चलते वर्ष 2017 की बाढ़

से प्रभावित लाभुकों को साहाय्य राशि मिलने में थोड़ा विलंब हुआ था । इन परेशानियों को देखते हुये बाढ़ग्रस्त जिलों में प्रभावित परिवारों को Direct Benefit Transfer/Public Finance Management System (PFMS) के माध्यम से साहाय्य राशि के वितरण की व्यवस्था की गई है । इस प्रणाली के तहत अब लाभार्थियों के बैंक खाते में 6000 रूपये प्रति परिवार की दर से साहाय्य राशि सीधे PFMS के माध्यम से बिना किसी परेशानी तथा पारदर्शी तरीके से भेजा जा सकेगा । राशि के अंतरण में बैंक के ब्रांच पर कोई निर्भरता नहीं रहेगी । बाढ़ राहत के लाभार्थियों की सूची जिलों के द्वारा आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर अपलोड की जायेगी । बाढ़ प्रभावित परिवारों को साहाय्य राशि वितरण का कार्य शुक्रवार, दिनांक 19 जुलाई, 2019 से प्रारंभ कर दिया जायेगा ।

सम्पूर्ण स्थिति पर सरकार की नजर है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है । सरकार बाढ़ की इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ संकल्पित है । परन्तु यह ध्यान रखना होगा कि अभी जुलाई का महीना ही चल रहा है, विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर बिहार में बाढ़ सामान्यतः अगस्त माह में आती है । परन्तु हमारी तैयारी पूरी है तथा तत्परता के साथ बाढ़ आपदा पीड़ितों को हर संभव सहायता मुहैया करायी जा रही है। सभी जिलाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे पूरी मुस्तैदी से राहत एवं बचाव कार्य चलायें । किसी क्षेत्र में बाढ़ आयेगी तो प्रशासन द्वारा जल्द कार्रवाई होगी । सभी लोग पूरी संवेदनशीलता के साथ सजग हैं ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सूचित कर देना चाहता हूँ कि आज हमने पूर्णियां कमीश्नरी के चारों जिलाधिकारियों को और यहाँ से पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव और ग्रामीण कार्य विभाग के अपर सचिव को भी भेजा है । वे पूरा सर्वेक्षण करके लौट आयेंगे तो उसके बाद हम पुनः जायेंगे और गंडक नदी के दोनों किनारे, गंडक नदी के चलते जहाँ-जहाँ कहीं भी होता रहा है, उन सभी जगहों का आज हम खुद जाकर एक बार सर्वेक्षण कर लेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर हमलोग बहुत ही संवेदनशील हैं और उस संवेदनशीलता के कारण आप कल्पना कर लीजियेगा कि पहले कैसा राहत मिलता था और कितना समय लगता था । जिस तरह से 2007 से हमलोगों को मौका मिला है, उसके

हिसाब से धीरे-धीरे और बेहतर स्थिति में हम आपदा पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं । इसलिये हमने बता दिया ।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूँ, इनमें से हमारे कई माननीय सदस्य हैं, जिनके क्षेत्र के लोग प्रभावित हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी है । जहाँ कहीं भी कोई प्रभावित होता है, उसके बारे में जानकारी तुरंत मिलती है, एक तो जो हमारा सरकारी प्रशासन है उसके माध्यम से और दूसरा सीधे आज के समय में लोग डायरेक्ट फोन भी करते हैं और अपनी स्थिति बताते हैं । तो एक-एक स्थिति का जायजा हर समय लिया जाता है और मेरे कार्यालय में भी सजगता है, मुख्य सचिव के कार्यालय में सजगता है, आपदा प्रबंधन विभाग में पूरी सजगता है और हर तरफ से निरंतर ऐसी स्थिति में डी0एम0 और पूरे नेटवर्क के साथ लगातार सम्पर्क किया जाता है, कोई भी सूचना आती है, चाहे समाचार पत्र में कोई बात छप जाय या कहीं से भी कोई सूचना आ जाय तो उसपर भी ध्यान दिया जाता है और सीधे तौर पर हमलोग इस मामले को लेकर संवेदनशील हैं और सजग हैं, मैं आश्वस्त करता हूँ । यह तो प्रकृति की चीज है, 2017 में भी एक तरह से फ्लैश फ्लड ही आया था और इस बार भी फ्लैश फ्लड है जिसपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है ।

एक बहुत अच्छी बात हुई, हम सब लोग शनिवार को बैठे, पर्यावरण के संतुलन के लिए, जलवायु परिवर्तन के कारण जो पूरी स्थिति उत्पन्न हुई है, उसपर हमलोगों ने जो विमर्श किया है, बातचीत की है और उसका जो परिणाम निकलेगा, उसके बारे में भी हमलोग यथाशीघ्र योजना बनाकर कार्रवाई करेंगे । लेकिन यह सब तो प्रकृति की देन है, यह तो कुदरती चीज है ।

... क्रमशः ...

टर्न-9/आजाद/16.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री : आप तो कोई भी चीज बनायेंगे लेकिन जलश्राव बहुत ज्यादा हो जायेगा तो आपका जो स्टैंडर्ड है, उससे भी ज्यादा जलश्राव होगा तो ये दोनों बार हमने 2017 में भी देखा है और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ये जिस प्रकार से फ्लैश फ्लड है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है । बहुत दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी, अचानक नेपाल में हमलोगों के यहां भी

उस इलाके में काफी वर्षा हुई और नेपाल में तो बहुत ज्यादा वर्षा हुई तो आप जानते हैं कि बिहार के लोग तो प्रभावित होते हैं सबसे ज्यादा नेपाल के कारण प्रभावित होते हैं और किसी को यह पता नहीं है कि कब कितनी वर्षा होगी और आज के अवसर पर अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी सदन को बता देना चाहता हूँ कि एक तरफ तो बाढ़ की स्थिति है अभी जुलाई में, अगस्त में नोर्मली यह आता है, कभी-कभी सितम्बर में एक-एक चीज के लिए एलर्ट रहना पड़ता है और एलर्ट हमलोग हैं । इसके अलावे बहुत सारे जिले ऐसे होंगे जहां सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । उसके लिए भी हमलोग सचेत हैं और सजग हैं । हम यही चाहेंगे कि हम सब लोग मिलकर आपदा प्रभावित इलाकों में जो भी हम सेवा कर सकते हैं और आपदा पीड़ितों के लिए पूरी संवेदना के साथ जो हम उनकी सहायता कर सकते हैं, वह हम सब लोगों को करना चाहिए और सरकार की तरफ से जो काम किया जा रहा है, उसके बारे में जानकारी दे दी और इसके अलावे भी जो भी जरूरत पड़ेगी, अगर फसल का नुकसान हो गया तो हमलोग इनपुट सब्सिडी देंगे, फसल सहायता योजना का लाभ पहुँचायेंगे, हर तरह की मदद करेंगे । अगर जानवर की मृत्यु हो गई तो उसको भी मदद देंगे । इसलिए हर प्रकार से हमलोग इसके लिए सजग हैं, संवेदनशील हैं, सचेत हैं तो यही हम कहना चाहते हैं कि यही पूरी स्थिति है । इसमें सब लोगों को ऐसी परिस्थिति में आपदा प्रभावितों को सहयोग करने की पूरी संवेदना के साथ हम सबको मिलकर काम करना चाहिए । बहुत, बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब शून्य-काल । श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिला अन्तर्गत .....

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, लिखकर दे दीजियेगा न । विनोद जी, एक मिनट ।

हम सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं चूँकि वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद और अलग-अलग सलाह देने की प्रक्रिया हो नहीं सकती है। इसलिए जो लोग भी सलाह देना चाहते हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दें ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ , इन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया, निर्देशित किया, लेकिन निर्देश का पालन अभी सरजमीं तक नहीं पहुँच पाया है, यही मुझे कहना है ।

अध्यक्ष : ठीक है, कराया जायेगा ।

शून्य-काल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी, आप शून्यकाल पढ़िए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के कचौड़ी पंचायत एवं आस-पास के इलाके के लोगों को ईलाज हेतु करीब 15 कि0मी0 की दूरी तय करना पड़ता है । कचौड़ी स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है ।

मैं अविलम्ब कचौड़ी में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की मांग करता हूँ ।

मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत आरा मुख्यालय के व्यस्तम शहरी इलाका गोपाली कुंआ से मिल्की मुहल्ला तक भारी जल जमाव है । आवागमन बाधित होने से लोग त्रस्त हैं । मैं सरकार से जल-जमाव दूर कर नाला निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी विधान सभा क्षेत्र के मधुबनी शहर एवं पंडौल बाजार के निवासी स्वच्छ वातावरण में भ्रमण कर स्वस्थ्य रह सकें इसके लिए मधुबनी शहर एवं पंडौल बाजार में जमीन उपलब्ध कराकर ईको पार्क बनाये जाने की मांग करता हूँ ।

श्री ललन पासवान : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-नौहट्टा में कैमूर पहाड़ी से आने वाली टिटही नदी पर चेकडैम नहीं रहने से 2000 एकड़ खेती योग्य भूमि असिंचित रह जाती है ।

सरकार से मांग करते हैं कि उक्त उक्त नदी पर चेकडैम निर्माण करावें।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, देश की आजादी की घोषणा तत्कालीन गवर्नर द्वारा मध्य रात्रि 14-15 अगस्त, 1947 को होते ही पूर्णिया के भट्टा बाजार झंडा चौक पर तिरंगा लहराया गया । यहां आज तक मध्य रात्रि 14-15 अगस्त को प्रतिवर्ष झंडोतोलन होता है।

अत: मैं झंडा चौक के झंडोतोलन को राजकीय दर्जा देने की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : महोदय, बलसमपुर सहित पूरा उत्तरी बिहार आज भयानक बाढ़ की चपेट में है। 2017 की बाढ़ की विभिषिका से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया ।

अत: युद्ध स्तर पर राहत चलाकर जाल-माल की हिफाजत व स्थायी निदान की गारंटी करे ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण, जल संरक्षण के मद्देनजर अतिमहत्वपूर्ण बेगूसराय जिला में अवस्थित कांवर झील जो 16700 एकड़ में मौजूद था, भूमाफियाओं द्वारा उसमें से 11700 एकड़ भूमि का अतिक्रमण कर खेती की जा रही है ।

अत: उक्त जमीन को खाली कराकर फिर से झील के रूप में परिवर्तित करने की मांग करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, हरसिद्धि विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत अहिर टोला से मियाँ टोला मस्जिद, टाली धवही से L024 तथा मुशहर टोली धवही से L024 तक कच्ची सड़क होने के कारण घनी बस्ती के लोग काफी परेशान है । जनजीवन तबाह है ।

अत: सरकार उक्त पथ को अविलंब बनावें ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, केसरीनगर, राजीवनगर, जयप्रकाशनगर, नेपालीनगर के साथ-साथ दीघा के 1024.52 एकड़ में बसे अन्य निवासियों के द्वारा होल्डिंग टैक्स, बिजली विपत्र भुगतान करने के बावजूद स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होता है।

मैं निवासियों का शीघ्र स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करवाने की मांग करता हूँ ।

श्री मदन मोहन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के सुदूर ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पतालों में वर्ष 2006 से कार्यरत दन्त चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने तथा स्थायीकरण करने की मांग करता हूँ ।

श्री सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला स्थित श्रीकृष्णापुरी थाना केस नं0-1/19 में अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है । उस घटना में तीनों आरोपितों के द्वारा सुशांत सिंह की हत्या की गई थी । मैं गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्रीमती भागीरथी देवी : अध्यक्ष महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखण्ड रामनगर एवं गौनाहा के उच्च विद्यालय एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों में पिछले कई वर्षों से प्रंबंधन समिति कार्यान्वित नहीं हो रहा है ।

मैं मांग करती हूँ कि प्रबंधन समिति कार्यान्वित किया जाय ।

श्री चन्दन कुमार : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत खगड़िया सदर प्रखण्ड में जलकौड़ा-तिरासी के बीच बूढ़ी गंडक नदी पर पुल निर्माण से संबंधित सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है । आवंटन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम में फाईल लंबित है । शीघ्र पुल का निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री वशिष्ठ सिंह : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड पिरो पंचायत नोनार के वार्ड नं0-2 में आंगनबाड़ी केन्द्र के चयन हेतु अतिपिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है लेकिन अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का चयन हुआ है ।

मांग करता हूँ कि उपरोक्त आंगनबाड़ी केन्द्र के चयन की जॉच कर नियमानुकूल चयन किया जाय ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखण्ड में 12 जुलाई, 2019 को पहाड़ी परमान नदी के आने तेज प्रवाह से 27 पंचायतों एवं नगर परिषद्, फारबिगंज के 18 वार्डों, नगर पंचायत-जोगबनी के 12 वार्डों में बाढ़ ने जान-माल की भारी तबाही की है ।

अत: बाढ़ पीड़ितों को राहत, परमानी नदी में रिंग बॉध एवं सड़कों की मरम्मती की मांग करता हूँ ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड अन्तर्गत शिशवाखरार ग्राम की नेहा कुमारी पिता हिरालाल सहनी गुंजा कुमारी पिता-शत्रुधन सहनी दिनांक 14.07.19 को तालाब में डुबने से मृत्यु हो गई, दोनों अत्यंत गरीब परिवार की है।

आपदा राशि सहित प्रधानमंत्री आवास शीघ्र उपलब्ध कराने की सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत पिपरा विधान सभा के बीचोंबीच बूढ़ी गंडक नदी बहती है । सिकरहना दायें एवं बायें तटबंध के बीच नदी का पानी लबालब भरा हुआ है । तटबंध जर्जर होने से टूटने की संभावना है । बॉध टूटने से बाढ़ आ सकती है ।

अत: उक्त तटबंधों का तत्काल मरम्मती कराया जाय ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत नवीनगर अंबा रोड में शिवपुर के पास पुल ध्वस्त हो जाने से आवागतन बंद है । जनता परेशान है। नवीनगर से औरंगाबाद आने-जाने का मार्ग अवरूद्ध है । गाड़ियां चलना बंद है ।

अत: जनहित में तत्काल पुल बनाने की मांग सरकार से करता हूँ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पावान : अध्यक्ष महोदय, बेगुसराय जिला में मंसूरचक ब्लॉक के ग्राम- गणपतौल मंसूरचक में मोसमात रूकमणी देवी की जमीन को दबंग नाथो पंडित ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिसका खाता-318, खेसरा-527

है । खाली करने के कहने पर जान मारने की धमकी देता है । मैं इसकी जॉच की मांग करती हूँ ।

टर्न–10/शंभु/16.07.19

श्री शमीम अहमद : महोदय, नरकटिया विधान सभा में बनजरीया प्रखंड अन्तर्गत निकलनेवाली सिकरहना नदी, तिलावे नदी, बंगरी नदी, दुधौरा नदी के आसपास सभी गांव का संपर्क टूट गया है । सरकार से मैं नाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने की मांग करता हूँ ।

श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव : महोदय, जहानाबाद जिलान्तर्गत प्रखंड रतनी फरीदपुर, ग्राम पंचायत कसुआ, ग्राम गप्पोचक निवासी विमल यादव, पिता श्री हरि यादव की मृत्यु दिनांक 13.07.19 को बिजली के करेन्ट से हो गयी । हम सरकार से मांग करते हैं कि समुचित मुआवजा राशि उपलब्ध करावे ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित जे0एम0 उच्च विद्यालय कमतौल तथा प्लस टू रामश्रृंगारी कन्या उच्च विद्यालय कमतौल में एक ही दूकान से दो अलग–अलग दामों पर अति निम्न स्तरीय उपस्कर एवं प्रयोगशाला सामग्री की खरीदारी की गयी है । इसकी जॉच कराकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, बिहार में दलित उत्पीड़न की घटनाओं में कमी नहीं आ रही, बिहारशरीफ के नगरनौसा में सत्ताधारी पार्टी जदयू के ही नेता गणेश रविदास की हाजत में संदेहास्पद मौत हुई है । इस मामले की उच्चस्तरीय जॉच के साथ दलित उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महोदय, आपने सूचना पढ़ दी महोदय । उसके बाद इसमें कुछ नहीं बोलना है महोदय। आप बैठिए, सरकार संज्ञान में लेकर कार्रवाई कर रही है । आप बैठिए, अखबार में भी पढ़ते होंगे ।

डा0 राजेश कुमार : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले के संग्रामपुर प्रखंड के उत्तरी भवानीपुर पैक्स के जनवितरण प्रणाली दूकान गलत ढंग से बंद कराया गया है । हम सरकार से आग्रह करते हैं कि पैक्स जनवितरण का दूकान चालू कराने का कष्ट करें।

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचना । श्री मुनेश्वर चौधरी जी की ध्यानाकर्षण सूचना, यह पढ़ी गयी है और 9 तारीख से स्थगित है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी, मो0 नेमतुल्लाह एवं अन्य छह सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री ब्रजकिशोर बिन्द, मंत्री : महोदय, वर्तमान वर्ष 2019 में बालू का पर्याप्त भंडारण एवं बिक्री हेतु कुल 572 अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है जिसका यूजर आइ0डी0 और पासवर्ड भी निर्गत है। बाजार में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बंदोबस्तधारियों द्वारा बालू का भंडारण किया जाता है । इसके अतिरिक्त इच्छुक व्यक्तियों को भी बालू का भंडारण एवं बिक्री हेतु अनुज्ञप्ति दी जाती है । वर्तमान वर्ष 2019 में बंदोबस्तधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कुल 62 करोड़ 71 लाख घन फीट बालू भंडारित किया गया है एवं बालू की बिक्री की जा रही है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, पिछले 9 तारीख को जो माननीय मंत्री के तरफ से जवाब आया था उस दिन के जवाब में और आज के जवाब में अंतर है । माननीय मंत्री ने उस दिन 426 का जिक्र बताया और आज 572 की बात बता रहे हैं । यह बात है । दूसरा मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 572 जो लाईसेंस उन्होंने निर्गत किया कृपा करके मंत्री जी यह बतायें कि 572 के एगेंस्ट में कितने यूजर आइ0डी0 और कितने पासवर्ड इन्होंने इश्यू किया और कब-कब किया ?

श्री ब्रजकिशोर बिन्द, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है पर-डे अनुज्ञप्तिधारियों को यूजर आइ0डी0 और पासवर्ड दिया जा रहा है । उस दिन जरूर मैंने 426 का जिक्र किया था, लेकिन उससे अब तक कुछ दिन बीते उसमें बढ़कर टोटल 572 हो चुका है । सबको यूजर आइ0डी0 और पासवर्ड दिया जा चुका है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, एक सवाल और माननीय मंत्री जी का लगता है कि नियंत्रण नहीं है। माननीय मंत्री जी का विभाग पर नियंत्रण नहीं है । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जब लाईसेंस निर्गत किये जाते हैं तभी साथ-साथ यूजर आइ0डी0 और पासवर्ड निर्गत किया जाता है । इसमें कोताही हो रही है। माननीय मंत्री जी बतायें कि ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि जब जिला से अनुशंसित होकर मुख्यालय आता है, खुदरा विक्रेताओं की अनुज्ञप्ति के लिए तो उनकी स्वीकृति देकर यूजर आइ0डी0 और पासवर्ड दे दिया जाता है । यह सतत् प्रक्रिया है, ऑनगोइंग प्रोसेस है । आपने अपने ध्यानाकर्षण सूचना में जिन 172 दूकानदारों की चर्चा की है, उन्होंने कहा है कि अद्यतन 572 लोगों को दे दिया गया है । अब आपका क्या कहना है ?

श्री मुनेश्वर चौधरी : महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जब लाईसेंस निर्गत किया गया तो निर्गत के तुरंत बाद ही ये दे देना चाहिए ।

अध्यक्ष : ये दे देना चाहिए । ठीक है, बहुत धन्यवाद ।

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि 572 लोगों को निर्गत किया गया तो आवेदक कितने थे और जो आवेदन आये उसमें 572 लोगों को जो विलंब हुआ और आपने जो खदान से माल उठाव का कार्यक्रम जारी रखा, लेकिन अगर वह उठाव जब तक बंद रहा और इसके लिए जो तमाम लोग सफरर रहे तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं, वैसे पदाधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : नवाज आलम जी, आपने जो ध्यानाकर्षण सूचना दी है उसमें आपने कहा है कि 172 लोगों ने आवेदन दिया लेकिन उनको नहीं मिल रहा है और सरकार बता रही है कि हमने 572 को दे दिया है फिर क्या पूरक पूछ रहे हैं ? ये कोई जरूरी थोड़े है ।

श्री भोला यादव एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना श्री भोला यादव पढ़ें ।

सर्वश्री भोला यादव, आलोक कुमार मेहता एवं अन्य तीन सभासदों की <u>ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।</u>

श्री भोला यादव : महोदय, राजपत्रित तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन किया गया है, जिसमें तकनीकी सेवाओं जैसे-चिकित्सक, पशु चिकित्सक आदि महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा नहीं कराकर अंक के आधार पर नियुति का प्रावधान किया गया है । ज्ञातत्व हो कि प्राय: राज्य के सरकारी महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों का प्राप्तांक राज्य के अंदर या बाहर के प्राइवेट महाविद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के प्राप्तांक के अपेक्षा कम रहते हैं, जबकि सरकारी महाविद्यालय के छात्र अपेक्षाकृत ज्यादा मेधावी होते हुए भी नियुक्ति के अवसर से वंचित हो जा रहे हैं ।

अतएव राज्य हित एवं मेधा हित में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा तकनीकी पदों पर की जा रही नियुक्तियों में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : समय चाहिए ।

अध्यक्ष : डा0 रामानुज प्रसाद एवं अन्य से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना श्री रामानुज प्रसाद ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री डा0 रामानुज प्रसाद, मो0 नवाज आलम एवं अन्य दो सभासदों की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, प्रदेश में स्नातक स्तर की तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं को बिहार एवं बिहार से बाहर शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्त निगम द्वारा ''स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना'' के माध्यम से अधिकतम 4 लाख रूपये ऋण की व्यवस्था की गयी है, लेकिन स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई हेतु आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राएं स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं।

अतएव स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र/छात्राओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-11/ज्योति/16-07-2019

श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मंत्री : प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार की विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत् संचालित बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना राज्य सरकार की एक महत्वकांक्षी योजना है । इस योजना के तहत छात्रों के लिए 4 प्रतिशत जबकि छात्राओं, दिव्यांग एवं ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए केवल 1 प्रतिशत सरल ब्याज दर पर 4 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण की व्यवस्था की गई है ।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा स्नातक स्तरीय विविध सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित स्नातकोत्तर स्तर के भी अनेक पाठ्यक्रम यथा एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम., एम.बी.ए., एम.सी.ए. इत्यादि के लिए बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है ।

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि स्नातक तक देते ही है मंत्री जी ने सही बताया है कि जनेरल एजुकेशन के कंटेक्सट में वह पी.जी. में भी है लेकिन टेक्नीकल एजूकेशन में माननीय मंत्री जी जैसे कोई एम.बी.बी.एस. कोई छात्र कर लिया और पी.जी. में उसका सेलेक्शन होता है, अगर कोई

डेंटल में मेडिकल कर लिया, उसका अगर पी.जी. में सेलेक्शन हो गया, उसमें आप नहीं दे रहे हैं तो हमारी यह मांग है, आग्रह है कि उसमें भी दिया जाय टेक्नीकल एजूकेशन में पार्टिकुलरी इन दी मेडिकल कंटेक्सट, पार्टिकुलरी इन इंजीनियरिंग कंटेक्सट, आप तो दे रहे हैं मैं स्वाकार करता हूं कि आप एम.ए. में दे रहे हैं एम.कॉम में दे रहे हैं लेकिन आप मेडिकल, इंजीनियरिंग में भी दें, पी.जी. करने वाले गरीब छात्र-छात्राओं को यह मांग है।

अध्यक्ष : ठीक है, अब ..

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय,..

अध्यक्ष : जो आप मांग किए, मंत्री जी संज्ञान लेंगे । आप मांग कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं तो इसपर क्या है ? यह तो आपका सुझाव सरकार के पास चला गया।

अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/16.07.2019/बिपिन

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, भवन निर्माण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा -

राष्ट्रीय जनता दल -	60 मिनट
जनता दल (यूनाइटेड)-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी-	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस-	19 मिनट
सी.पी.आई.(एम.एल.)-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी -	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा-	01 मिनट
निर्दलीय -	03 मिनट

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''भवन निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 53,75,06,22,000/- (तिरपन अरब पचहत्तर करोड़ छः लाख बाइस हजार) रूपए की अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानंद सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये सभी व्यापक हैं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(अनुपस्थित)

श्री ललित कुमार यादव ।

(अनुपस्थित)

श्री सदानन्द सिंह ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्री भोला यादव ।

श्री भोला यादव :महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि -

''इस शीर्षक की मांग 10/- रूपए से घटाई जाए ।''

हमारे दल के अन्य साथी इसपर अपना विस्तृत वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष : श्री आलोक कुमार मेहता ।

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय, भवन निर्माण विभाग जो कि आज के डिस्कसन में सबसे ऊपर का सब्जेक्ट है और यह दुर्भाग्य की भी बात है कि वित्त विभाग गिलोटीन में और भवन निर्माण विभाग जो कि एक विभाग नहीं, सिर्फ एजेंसी मात्र रह गई है उसको फ्रंट पर रखा गया है । हमारे मित्र माननीय अशोक चौधरी जी विभाग के मंत्री हैं लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यह विभाग एक एजेंसी मात्र रह गया 1982 के बाद । इस विभाग के द्वारा, यह विभाग सिर्फ अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहा है लेकिन जो जिम्मेवारियां इस विभाग को मिलती हैं उसमें यह देखा जा रहा है कि इन जिम्मेवारियों का निर्वहन समयबद्ध ढंग से और जो नीतियां निर्धारित हुई, उस हिसाब से नहीं हो रही है । यह बात अलग है कि पर्यावरण से संबंधित विषयों की प्रासंगिकता गत दिनों में बहुत बढ़ गई है लेकिन इसकी योजना पहले से चल रही थी कि पर्यावरणपरख कंस्ट्रक्शन, निर्माण के कार्यों में पर्यावरण परख निर्माण का कार्य कराया जाएगा और उसकी शुरूआत सरकारी भवनों से होगी। बिहार के कितने भवन, माननीय मंत्री जी अपने जवाब में, हमलोग चाहेंगे कि बतावेंगे कि बिहार के कितने भवनों में ग्रीन हाउस भवन बनाने की बात की गई और निर्माण के क्रम में उसको इंट्रोड्यूस किया गया या जिसका इस्टिमेट बन रहा है, जिसका नक्शा बन रहा है उसमें उसको शामिल किया जा रहा है और कितने भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा और व्यवस्था की जा रही है । दूसरे जगह तो छोड़ दीजिए, अभी तो माननीय विधायकों का आवास बन रहा है, डुप्लेक्स बन रहा है, उस डुप्लेक्स को पर्यावरणपरख कैसे आप बना रहे हैं । इस बात को सदन में इसलिए बोलना चाहिए कि बिहार के सैकड़ों, हजारों की संख्या में लोग उस स्थल पर देखने

आवेंगे । प्रेरणा भी कम-से-कम लेकर जाएं कि यहां पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग हो रहा है और यहां पर गार्डेनिंग है और उसका पर्यावरण से संबंधित और सारी चीजें यानी कि ग्रीनहाउस, अभी स्थिति है कि जो भवन का आदेश दिया गया था निर्माण का, भवन विभाग ने, मतलब यह अभी एक साल लेट हो चुका उसकी डेलिवरी का टाइम बताया गया है कि इस दिसम्बर में एक सौ मकान डेलिवर किए जाएंगे तो एक सौ मकान डेलिवर किए जाऐंगे और लगभग 325 डुप्लेक्स बनाने का निर्देश दिया गया था तो फिर मुझे लगता है कि इस्टिमेंट जो ऑलरेडी लगभग एक सौ करोड़ से बढ़ चुका है, भविष्य में उसके और बढ़ने की संभावना है । आखिर यह डिले क्यों हो रहा है, किस स्तर पर कमी है, जब आप खुद सिर्फ एजेंसी हैं जो फिर जिसको आपने ऑफलोड किया, जिसको आपने दिया, उसकी क्षमता का भी आकलन होना चाहिए और उसके परफॉमेंस को भी असेस किए जाने की जरूरत है । बिहार भवन निर्माण निगम लिमिटेड की भूमिका की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो ऐसा लगता है कि वह मनी पार्किंग स्टेशन बन गया है । पैसा लैप्स न करे, सरकार उस बदनामी से बचने के लिए पैसे को एलौट कर दिया जाता है और ट्रेजरी से निकाल कर बैंक में डाल दिया जाता है और पिछले वर्ष का यदि हम आंकड़ा देखें तो मैं आपको बता सकता हूं कि लगभग फिफ्टी परसेंट, छः हजार कुछ करोड़ का पार्किंग किया था जिसमें से मात्र तीन हजार करोड़ का व्यय उसमें से हो सका, बाकी फिर तीन हजार करोड़ ? या फिर जो आकलन आपका आया है इस बार के लिए तो सिलसिला यही चलता रहेगा। बैंक में पैसे गए, उसपर इंट्रेस्ट आया, उस इंट्रेस्ट का क्या एकाउन्टेबिलिटी है, इसका भी असेसमेंट विभाग की तरफ से करने की जरूरत है । मैं आपको सचेत करना चाहता हूं कि भविष्य के लिए, मैं नहीं जानता कि ऑडिट डिपार्टमेंट्स की नजर उसपर है कि नहीं लेकिन नहीं भी है तो मैं समझता हूं कि सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि नीचे-से-नीचे स्तर तक यदि आप पैसे को देते हैं और उसकी पार्किंग बैंक में यदि होती है तो उसके इंट्रेस्ट पर उसकी नजर होनी चाहिए क्योंकि वह स्टेट रेवेन्यू का हिस्सा है ... क्रमशः..

टर्न : 13/कृष्ण/16.07.2019

श्री आलोक कुमार मेहता (क्रमशः) : और मुझे ऐसा लग रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस पर भी अपने भाषण के क्रम

में माननीय मंत्री प्रकाश डालेंगे । महोदय, मैं एक केस बताना चाह रहा हूं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्याय का । दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में 2 करोड़ 29 लाख उसके बाउंडरी वाल बनाने के लिये दी जा चुकी है । मुझे लगता कि 2 करोड़ से ज्यादा है, बहुत ज्यादा राशि है । महोदय, तीसरी बात कि निविदा हो चुकी है । निविदा दे भी दिया गया और अब कंस्ट्रक्शन के समय विभाग के तरफ से जो अभिकर्त्ता हैं, उनके द्वारा सूचित किया गया कि यह विवादित है जबकि इसी सदन में माननीय गृह मंत्री की तरफ से उसपर जवाब आ चुका है कि दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय की जमीन की घेराबंदी का तार तोड़ दिया गया है तथा भूमि का अतिक्रमण नहीं है । एक साल पहले जो तार से घेरा गया था, उसको तोड़ दिया गया । यह भी बताया गया कि वह भूमि अतिक्रमित नहीं है। उसके बावजूद अभिकर्त्ता के द्वारा सूचना दी जा रही है कि वह भूमि विवादित है । इसका निपटारा कौन करेगा ? यह 3 साल से, 4 साल से चल रहा है । महोदय, इस तरह की कई बिल्डिंग जिसकी एक तरह से बनाने की जिम्मेवारी इस विभाग की है, ऐसा लग रहा है कि आनेवाले दिनों में वह खुद पार्टी बन जायेगा। विपक्ष की ओर से जब सवाल पूछा जायेगा तो सरकार से पूछेगा या एजेंसी से पूछेगा । विपक्ष सवाल सरकार से पूछेगा और सरकार खुद एजेंसी है, अभिकर्त्ता है तो उसको यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस तरह के विवादों का निपटारा किस रूप में करना चाहती है ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दलसिंहसराय के दो विद्यालयों में से एक छत्रधारी विद्यालय की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके भवन क निर्माण 1918 के आस-पास हुआ था और वह देखने में हेरीटेज बिल्डिंग की तरह है, उसका एक बहुत बड़ा कैम्पस है । उस विद्यालय में करीब-करीब 3 हजार छात्र-छात्रायें पढ़ते हैं । 8 -9 कमरे हैं लेकिन पूरी का पूरी इतनी जर्जर अवस्था में है जिसके संदर्भ में मैं ने पहले ही पदाधिकारियों को, जिला पदाधिकारी से लेकर माननीय मंत्री तक सूचना दी थी और पिछले एक वर्ष से यह बताया जा रहा है कि उसको देखवा लिया गया है और उसका एस्टीमेट बन रहा है । महोदय, मैं सदन के माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि इस हेजार्डस सिचुएशन को संभालने की जरूरत है । महोदय, जब कोई बड़ी घटना घट जायेगी तब ध्यान जायेगा । महोदय, मैंने कई बार सदन को और संबंधित पदाधिकारी को इत्तिला कर चुका हूं । तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी । इसलिए मैं

समय रहते आपके माध्यम से माननीय मंत्री को कहना चाहता हूं कि वहां पर जल्द से जल्द भवन निर्माण की कार्रवाई की जाय और उसी दलसिंहसराय में।

अध्यक्ष : आलोक जी, इसको शिक्षा विभाग को देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग देखेगा ?

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, शिक्षा विभाग को भी लिखा गया है, बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना इन्फ्रास्ट्रकर कारपोरेशन को भी लिखा गया, चूंकि भवन निर्माण की बात है इसलिए मैंने उस संदर्भ में यहां पर चर्चा की ।

अध्यक्ष : आप इनको भी कह दीजिये कि शिक्षा विभाग को मामला रेफर कर दें ।

श्री आलोक कुमार मेहता : मैं माननीय मंत्री जी कह रहा हूं कि वहां पर एक बालिका विद्यालय है जिसमें 1800 छात्रायें पढ़ती है, आज वहां 3 कमरे में 3 शिफ्ट में पढ़ाई हो रही है और चूंकि पढ़नेवाली लड़कियां हैं, हमलोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, उसके पास जमीन बगल में सवा दो कट्ठा है, उसमें निर्माण के लिये हमलोगों ने निवेदन किया था, धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि उन्होंने शिक्षा विभाग के भवनों के निर्माण के लिये जो इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन, उसके माध्यम से 1 करोड़ 36 लाख की योजना बनाने का ओर उसको इम्प्लीमेंट करने का करने का निर्देश दिया था इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं । दो वर्ष बीत गये लेकिन अभी तक उसका फाउंडेशन स्टोन तक नहीं पड़ा है । चूंकि माननीय मंत्री शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं तो बार-बार उस पर ध्यान जाता है । महोदय, छत्रधारी उच्च विद्यालय के लिये 50 लाख से ऊपर की राशि का इन्होंने उस समय माननीय मंत्री रहते हुये आश्वासन दिया था । इसएि मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी को देखकर आपको शिक्षा विभाग याद आ रहा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह बहुत खेद की बात है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं । मेरी व्यवस्था यह है कि भवन निर्माण विभाग के बजट पर सदन में बहस चल रहा है और सदन में तीन ही माननीय मंत्री उपस्थित हैं और सत्ता पक्ष का संख्या बल भी देख लीजिये और विपक्ष का भी देख लीजिये । अगर वोटिंग करा देंगे तो ये लोग हार जायेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी आप जारी रखिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, वैशाली जिला के राजापाकड़ प्रखंड में और सहदेव बुजुर्ग प्रखंड में ए0एन0एम0 और पारमेडिकल कॉलेज एवं छात्रावास का निर्माण हो रहा है । भवन के प्राक्कन के हिसाब से वहां काम नहीं हो रहा है और गुणवत्ता में भी कंप्रोमाईज किया जा रहा है । इसलिये यह जांच का विषय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आलोक जी को बोलने दीजिये क्योंकि इनका एक मिनट ही बच रहा है।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, बिहार में जहां कहीं भी एजेंसी के रूप में भवन निर्माण विभाग काम कर रहा है चाहे वह भवन निर्माण विभाग इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड से काम करवा रहा हो, महोदय, दोनों को अपना एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए ताकि दूसरे विभाग उसको फौलो करे और समय पर काम पूरा हो, जो पैसा दिया गया, वह समय पर व्यय हो, पार्किंग के लिये जनता ने पैसा नहीं दिया है । Tax payer's money should be utilised properly. इन्टरेस्ट लेने के लिये और उसके पार्किंग की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ।

महोदय, मैं वित्त विभाग की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वित्त विभाग जो इस सरकार में पिछले पायदान का विषय बन चुका है, पहले बजट ही वित्त विभाग का हुआ करता था लेकिन आज यहां व्यवस्था बदल रही है । क्यों नहीं हो ? केन्द्र में भी रेल विभाग का बजट समाप्त हो चुका है तो ऐसा लग रहा है कि इस व्यवस्था को ही ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है । लेकिन सदन को इसके प्रति जिम्मेवारी महसूस करनी होगी । बजट का जो महत्व होता है, उसको बरकरार करने की कोशिश होनी चाहिए। महोदय, बिहार सरकार पिछले वर्षों में या जो कोई भी माननीय मंत्री हों, अपने बजट भाषण में, सदन में किसी प्रश्न का जवाब शुरू किया तो कहा कि 2005 में इतने हजार का बजट हुआ करता था लेकिन आज 2 लाख करोड़ का बजट है ।

महोदय, एक मिनट । मैं कहना चाहता हूं कि उस समय बजट का साईज आस-पास के राज्यों में कितना हुआ करता था ? उस समय केन्द्रीय सहायता, केन्द्रीय अनुदान कितना हुआ करता था और उस समय गाडगिल कमिटी की अनुशंसाओं के आधार पर जो समझौता हुआ था, उस आधार पर कितना हिस्सा राज्य का बनता था । यदि उसकी तरफ आप देखें तो हमारे सदस्य या माननीय मंत्रीगण या सरकार के लोग जो यह बार-बार बोलते हैं

और बार-बार उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूं कि आज कोई भी और किसी की भी सरकार होती यदि वर्ल्ड बैंक ने दरवाजा खोला, अनुदान मिल रहा है, यदि गाडगिल कमिटी के अनुसार यू0पी0ए0 गवर्नमेंट ने बिहार को हिस्सा देना शुरू किया, यदि नहीं किया होता तो आपके बजट का भी साईज वही होता ।

क्रमशः

टर्न-14/अंजनी/16.07.19

श्री आलोक कुमार मेहता : क्रमशः .. उस समय की आप तुलना करें, बिहार में उस समय महाराष्ट्र में बिहार की अपेक्षा पांच गुणा बड़ा बजट हुआ करता था और आज 17 गुणा बड़ा बजट है महाराष्ट्र का बिहार की अपेक्षा । इसलिए महोदय, इन बातों पर सख्त एतराज है हमें, इन बातों पर जो जिम्मेवार माननीय सदस्य और माननीय मंत्री इस बात की चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बिहार की हमारी पुरानी विरासत एवं परम्पराओं का अपमान होने लगता है । यह जो वित्त बजट है, वित्त बजट के माध्यम से यह अच्छी बात है कि हमलोगों का भी सहयोग है, बिहार की जनता का सहयोग है कि आपका रेवेन्यू बढ़ा है । मात्र 22 प्रतिशत, इस दो लाख करोड़ के बजट में 22 प्रतिशत मात्र बजट का हिस्सा बिहार के रेवेन्यू से आता है । मैं इसे कम नहीं मानता हूँ और मैं समझता हूँ कि उस समय के साइज के हिसाब से वही जो बजट था, वह आज के इस दो लाख करोड़ बजट से ज्यादे महत्व का हुआ करता था। यह मूल्य की बात है । आपकी प्राथमिकता क्या है ?

अध्यक्ष : अब आप समाप्त कर दीजिए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, उस समय जो ग्रामीण विकास का काम था, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोगों के प्रति जो सरकार का कमिटमेंट था, उसपर जो खर्च होता था, उसकी महत्ता आज जो इनफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होने वाले मूल्य जो हैं..

अध्यक्ष : बैठ जाइए ।

श्री आलोक कुमार मेहता : ज्यादा बेहतर था । महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री वशिष्ठ सिंह ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, भवन निर्माण विभाग पर, सत्ता पक्ष के द्वारा जो बजट लाया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, बिहार में सर्वांगीन विकास के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री, आदरणीय नीतीश

कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, संसदीय कार्य मंत्री जी को और भवन निर्माण मंत्री जी को । महोदय, भवन निर्माण विभाग ने अत्याधिक तेजी से प्रगति की तरफ बढ़ रहा है । महोदय, सात निश्चय के माध्यम से भवन निर्माण विभाग को इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलटेकनिक कॉलेज, एन0एम0जी0एम0 की भवन बनाने का भी काम भवन निर्माण विभाग को मिला हुआ है । आई0टी0आई0 एवं अन्य तरह के कॉलेजेज हैं । महोदय, कई जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं, 12-13 जिला में कार्य प्रगति पर है, उसमें रोहतास जिला में भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी करगहर में इंजीनियरिंग कॉलेज का काम लगभग 75 परसेंट हो चुका है । मैं इसके लिए भी भवन निर्माण विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ । महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसलिए रखा कि यह बिहार भारत का रूह कहा जाता था । एक समय में बिहार सोने की चिड़िया कहा जाता था और कुछ दिनों से, देश आजादी के बाद बिहार में जब कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासन के बाद जब आर0जे0डी0 का शासन आया, बिहार का लगातार डिमोशन होते चला गया और बिहार पिछड़ते चला गया । बिहार के लोगों में, बिहार के जनता के प्रति उन समय के सभी नेताओं ने मुख्य रूप से सचेत होकर बिहार के विकास के बारे में नहीं सोचा लेकिन जब बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने जब बिहार का चाभी दिया और उस चाभी से जब मुख्यमंत्री जी ने तिजोरी खोला तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खाली पड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने लगातार मेहनत से, परिश्रम से, बुद्धि से, विवेक से बिहार को सजाने एवं संवारने का काम किया, जिसका नतीजा है कि जहां इंजीनियरिंग कॉलेज था ही नहीं बिहार में, आज हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने विजन देने का काम किया है । पॉलटेकनिक कॉलेज बनाने का काम किया है । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भवन अच्छा बने और भवन सुसज्जित हो, भवन में हर तरह की सुविधा हो ताकि उसमें काम करनेवाले कर्मचारी, पदाधिकारी और जो भी हमारे जन-प्रतिनिधि हों, सही ढंग से उसमें काम कर सकें । यह मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच है, हमारी सोच है, हमारे नेता की सोच है। आज जब बिहार के लोग इंजीनियर बनेंगे, डाक्टर बनेंगे, तब बिहार का तरक्की होगा, उन्नति होगा, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कलम में स्याही

डालने की बात करते हैं लेकिन विपक्ष के लोग लाठी में तेल पिलाने की बात करते हैं । दोनों की सोच में कितना अन्तर है महोदय । यह सोचनेवाली बात है । मैं इस विषय पर आगे बढते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि इसका जीता–जागता है उदाहरण सरदार पटेल भवन, जो पटना की धरती पर बना है। सरदार पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय का काम चलता है, आपदा विभाग का भी काम उससे चलता है महोदय और 9 प्रतिशत भूकम्परोधी निर्माण के हिसाब से

(इस अवसर पर डॉ0 अशोक कुमार ने
माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

वह क्षमता वाला भवन बना है और इस देश में, विश्व में, विश्व के तकनीकी के आधार पर यह भवन बना है । हमारे बिहार के पदाधिकारियों ने और मुख्यमंत्री जी की सोच ने कि अगर जरूरत पड़ा बिहार में, अगर बहुत बड़ी आपदा आयी, भगवान न करे लेकिन अगर इस तरह की आपदा आयी तो जरूरत पड़ेगा तो उस भवन पर हेलिकॉप्टर भी उतारकर के बिहार को हम अमन, चैन, शांति देने का काम करेंगे और उस आपदा से निपटारा करने का काम करेंगे । यह बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो भवन पर भी हेलिकॉप्टर उतरेगा, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है । महोदय, इतना ही नहीं, कहने दीजिए, क्या कहते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछेंगे विपक्ष के लोग तो बता देंगे कि इन लोगों की क्या सोच थी और हमारी सरकार और हमारी नेतृत्व की क्या सोच है । आज के डेट में बिहार में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का निर्माण हुआ, सोच देख लीजिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी नली–गली और इंदिरा आवास बनाने के लिए तैयार रहते हैं, काम करते हैं तो अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर म्यूजियम भी बनाने का काम करते हैं । जिस म्यूजियम को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी जाकर उसको देखने का काम किया, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ । जल संरक्षण के लिए आज जलवायु परिवर्त्तन पर हमारे सभी सदस्य ने बैठने का काम किया और जलवायु परिवर्तन पर काफी लम्बा बहस हुआ । जल संरक्षण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार रेन वाटर, हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का भी निर्देश दिया है और इसपर भी कार्य योजना विभाग ने बनाकर इस काम को करने के लिए, उपलब्धि करने के काम में आगे बढ़े हुए हैं । महोदय, इतना ही नहीं, सम्राट अशोक कन्वेसन, बापू सभागार जिसमें पांच हजार लोग बैठ करके मीटिंग करने की क्षमता वाली यह

भवन बना है । यह हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की सोच है । इन लोगों को तो सोच ही नहीं था, सपना ही नहीं देख रहे थे कि इस तरह का भी हम काम कर सकते हैं और जो सपना नहीं देखेगा, जिसका सोच अच्छा नहीं होगा तो वह तरक्की क्या कर सकता है, उस बिहार की उन्नति क्या कर सकता है ? लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी के सोच का नतीजा है कि उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है और मैं भवन निर्माण विभाग के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ । महोदय, बापू सभागार में जब हमलोग जाते हैं तो लगता है कि पटना नहीं, देश के बड़े जगहों में आ गये हैं, ऐसा लगता है कि विदेशों के कोई बड़े सभागार में बैठे हुए हैं, यह देखने से ऐसा महसूस होता है महोदय । इतना-ही नहीं, उसमें सभ्यता द्वार बनाने का काम किया है कि कभी जायं विपक्ष के लोग तो आप लोग भी देख लीजिए कि वह सभ्यता द्वार है, सभ्यता सीखने की जरूरत है । इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने उस गेट का नाम सभ्यता द्वार लिखा है । महोदय, इतना ही नहीं, बिहार के गौरवशाली परम्परा, संस्कृति को देखने के लिए उसमें कई तरह की व्यवस्था कर रखी है और इतना ही नहीं, हमारे विपक्ष के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे एम0एल0ए0 भवन की बात । एम0एल0ए0 का भवन बनकर तैयार हो चुका है, कुछ काम जो बाकी है, मैं समझता हूँ कि दिसम्बर के लास्ट तक हो जाना है और 75 जो एम0एल0सी0 का भवन बन रहा है, उसमें 55 तैयार है और मुझे लगता है कि जल्दी उसमें एम0एल0सी0 लोग जाने का काम करेंगे और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज के डेट में चूंकि देश के आजादी के बाद बिहार में बहुत विधायक बने, बहुत लोग यहां से रिटायर होकर चले गये, जो पूर्व सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, बिहार निवास में रहने के लिए जगह नहीं मिलता है, काफी लोगों की कठिनाई होती है, उस कठिनाई को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नई दिल्ली में बिहार सदन निर्माण कराने का काम कर रहे हैं ताकि पूर्व के भी सदस्य जायें और वर्त्तमान सदस्य भी जायें तो उनको रूकने में कोई दिक्कत न हो और उनको होटल में जाने की जरूरत न पड़े । यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । बिहार निवास में जाने के लिए विपक्ष के लोग बेदम रहते हैं । सत्ता पक्ष को तो काम करना है, जाते हैं एक दिन में घूमकर आ जाते हैं ।

क्रमशः....

टर्न-15/राजेश/16.7.19

श्री वशिष्ठ सिंह : क्रमशः... लेकिन कुछ लोग तो पॉच-पॉच दिन वहॉ पर जाकर डेरा जमाते हैं महोदय, यह बात हम नहीं कहना चाहते थे महोदय, मुझे उनलोगों पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना है महोदय, अभी उच्च शिक्षा के बारे में कुछ लोग बात कर रहे थे लेकिन आज शिक्षा का बजट तो है नहीं, आज तो भवन निर्माण विभाग का बजट है लेकिन महोदय, क्या था 2005 से पहले, कहीं भी शिक्षा का भवन नहीं था, कहीं भी विद्यालय का भवन नहीं था, जो विद्यालय शिक्षा के मंदिर से जाना जाता है, वह कहीं नहीं था, जो कुछ था भी वह भी टूटा हुआ था, जर्जर था, अगर कहीं भवन था, तो ब्लैक बोर्ड नहीं था और कहीं अगर ब्लैक बोर्ड था, तो दरवाजा नहीं था लेकिन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आये, तो शिक्षा विभाग का एक-एक भवन बनवाने का काम किये, चाहे वह उच्च विद्यालय का भवन हो, चाहे मध्य विद्यालय का भवन हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय का भवन हो, सभी भवनों को बनवाने का काम किया और केवल बनवाने का ही काम नहीं किया महोदय बल्कि एक रंग में रंगवाने का काम भी किया और जब हमलोग गाड़ी से चलते हैं या पैदल चलते हैं, तो दूर से ही देखने से पता चल जाता है कि इस गॉव में यह विद्यालय का भवन है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है .....(व्यवधान)

सभापति (डा0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री वशिष्ठ सिंह: महोदय, इतना ही नहीं, हमारे माननीय मंत्री बैठे हुए ग्रामीण विकास मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कोचस ब्लॉक में दो रुम में प्रखंड मुख्यालय चलता था लेकिन हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने प्रखंड मुख्यालय बनाया है और यह प्रखंड मुख्यालय देखने से लगता है कि कितना सुन्दर, कितना सुसज्जीत, प्रखंड मुख्यालय को बनाया है, वे तो हर तरह का काम करते हैं, इसलिए मैं भवन निर्माण विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इस उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ कि बिहार में और अच्छे-अच्छे भवन बनेंगे, अच्छा-अच्छा काम होगा, बिहार प्रगति करेगा, बिहार उन्नति करेगा और पूरे देश में बिहार का नाम रौशन होगा, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0 अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री राजीव नन्दन, 10 मिनट ।

श्री राजीव नन्दन: सभापति महोदय, मैं विपक्ष के द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ । सभापति महोदय, मैं एक चार पंक्ति की कविता के साथ मैं अपना भाषण शुरु करुंगा कि:

''क्षमा कर देता है उनको ईश्वर, जिनकी किस्मत खराब होती है,

पर वे लोग कभी क्षमा नहीं किये जाते, जिनकी नीयत खराब रहती है।''

सभापति महोदय, इनलोगों को भी समय मिला था, आप आज हल्ला कर रहे हैं, समय आपको भी मिला था काम करने के लिए, तो आप एक भी भवन पटना का बता दीजिये कि यह हमारे कालखंड का बना हुआ है और आज आप बात कर रहे हैं, आज जितना एक भवन की लागत है इस कार्यकाल में, वह पूरा साल भर का बजट होता था आपके कार्यकाल का, पूरे साल भर का बजट होता था, अभी हमारे माननीय विधायक जी चले गये है बोलकर, बार-बार आपलोग कहते हैं कि आपने कितना पैसा वापस किया, तो मैं बताना चाहता हूँ कि:

''हम सोच बड़ी रखते हैं, लकीर बड़ी खींचते हैं,

हम पीछे से मिटाने के काम पर,विश्वास नहीं रखते हैं।''

हो सकता है किसी काम को करने में कठिनाईयाँ हो सकती हैं, प्रकृति का सामना करना पड़ सकता है लेकिन हम साफ नीयत से बिहार की जनता के साथ काम कर रहे हैं, विश्वास के साथ काम कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास और समाज के साथ विकास कर रहे हैं । आज भवन निर्माण विभाग ने जो काम किया है, यह बात निश्चित है कि हमारी सरकार बहुत से क्षेत्रों में काम कर रही है लेकिन आज जिस प्रकार से हरेक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का जो लक्ष्य मिला हुआ है, उसपर प्रगति के साथ हम काम कर रहे हैं, वह काबिलेतारीफ है, आज हमारे यहाँ पर सरदार पटेल जी की, एक सदस्य चर्चा कर रहे थे, कि वह भवन जो बना है, वह देखने लायक है, जाकर देखिये उसको, केवल टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा, आप निर्माण करने के लिए कुछ सुझाव दीजिये कि और इसमें अच्छा क्या हो सकता है और इसमें क्या करना चाहिए या आप प्रस्ताव देते कि हम क्या करने वाले थे लेकिन आपने तो केवल पीछे से समाज को भरमाने का काम किया, आज हमारा भवन चारों तरफ समृद्धि का प्रतीक है, जहाँ भी जाइये, गाँव में चले जाइये, जो आज भवन दिखाई देगा,

तो पता चलेगा कि यह स्कूल है, तो यह हमारी समृद्धि का प्रतीक है, बढ़ते हुए बिहार की समृद्धि का प्रतीक पटना में प्रवेश करने वालों को दिखाई पड़ता है कि यह प्रदेश न्याय के साथ विकास कर रहा है.....

(व्यवधान)

क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वह क्या विकास रॉची में नहीं हो रहा है, आप रॉची चले जाइये, तो आपको पता लग जायेगा । अभी बता रहे हैं और जितना चीज आप बता रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं आपकी नीयत में खोट है और आपको जनता ने जवाब दिया है, अगर नहीं चेते और आपकी दृष्टि नहीं बदली, तो आप जरुर जो आना वाला है वर्ष 2020, तो आप मात्र 20 के अंदर ही सिमट जाइयेगा.....(व्यवधान)

सभापति (डा0अशोक कुमार): माननीय सदस्य, आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलिये ।

श्री राजीव नन्दन: आपलोग लोक सभा की सीट चालीस की चालीस ला रहे थे लेकिन कहॉ चले गये और उसीतरह से 2020 में जब चुनाव होगा, तो फिर आपको इसी सदन में बताया जायेगा कि आपका हश्र क्या होगा, आप 20 के अंदर ही रह जाइयेगा, चिंता नहीं कीजिये, इसलिए आप अपनी नीयत को बदलिये और अपनी दृष्टि को बदलिये, तब आपको समाज में एक्सेप्ट होगा, नहीं तो समाज पुन: आपको दोबारा खारिज करने के लिए तैयार है, अगर यही रवैया रहा तो, इसलिए हमेशा सकारात्मक, विकाशशील दृष्टिकोण बनाइये, तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे । आपको भी मिला था मौका, ऐसी बात नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला था ।

महोदय, महिला औद्योगिकरण प्रशिक्षण केन्द्र का हम निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए अलग से महिला प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया जा रहा है विभिन्न स्थानों पर, अभी राजगीर में इन्टरनेशनल स्टेडियम, स्पोर्ट्स एकेडमी का निर्माण कराना है, लक्ष्य तय है, 2020 के पहले वह काम हम करेंगे और यह हमारा समर्पण है उसके प्रति, हम समाज के प्रति खेल को जिस भावना से आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम उस भावना के साथ उसका निर्माण कर रहे हैं, हम खिलाड़ियों को सुविधा देने के लिए अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है, यह एक सोच है और हमारी जो सोच है उसको हम सरजमीं पर उतारने का काम कर रहे हैं । आज हम इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने जो संस्कृति स्तूप का निर्माण पटना में और डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम साईंस सिटी का निर्माण कराने का काम किया जा रहा है, क्या किसी ने सोचा था कि साईंस सिटी हम ए0पी0जे0 अब्दुल

कलाम जी के नाम पर निर्माण करेंगे, मौका तो आपको भी मिला था लेकिन आपने तो लाठी ले आया किसानों का, आपलोग किसानों के हित की बात करते हैं लेकिन आपलोगों ने उसके हाथ से लाठी छीनकर ले आये पटना में और उसको तेल पिला रहे थे, आप क्यों नहीं साईंस सिटी की बात कर रहे थे, क्यों नहीं हाथ में पेन धरा रहे थे, आज आप देखिये कि हम अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए विश्वस्तरीय म्यूजियम का निर्माण किये हैं और इसका बिल्डिंग बनाने में भवन निर्माण विभाग ने अहम भूमिका अदा किया है और जो हमारा पुराना म्यूजियम था वर्षों पहले से, इन दोनों को अंदर से जोड़ने के लिए उसका प्रारुप भी तैयार किया जा रहा है ताकि जो लोग इस म्यूजियम में आए, तो वे म्यूजियम को भी जाकर देखें, उन्हें उपर से जाने की जरुरत नहीं है बल्कि नीचे-नीचे से वे पहुंच जाय, तो यह हम अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, तो काम तो करना पड़ेगा, इसके लिए एक विजन होना चाहिए और इस विजन के तहत हम काम कर रहे हैं । अब भवन निर्माण विभाग का कुछ हमारे क्षेत्र से भी मामला जुड़ा हुआ है..... (व्यवधान)

सभापति (डा0अशोक कुमार): आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करिये ।

श्री राजीव नन्दन: महोदय, हमारे गुरुआ विधान सभा क्षेत्र में 60 लाख रुपये की लागत से जो एस0सी0/एस0टी0 का आवासीय विद्यालय परिसर बनाया गया था, वह आर0सी0 कला गुरुआ में है लेकिन आज तक वह भवन बनकर तैयार नहीं हुआ.....(व्यवधान)

नहीं, काम का तो प्रशंसा होना चाहिए लेकिन जो कमियाँ हैं, मैं कमी को भी स्वीकार कर रहा हूँ और उसको जल्दी से करवाने के लिए मैं, यहाँ पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी, उनके माध्यम से और सभापति महोदय जी के माध्यम से, माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि उसका भी काम होना चाहिए..

क्रमशः

टर्न-16/सत्येन्द्र/16-7-19

श्री राजीव नन्दन (क्रमशः): और इस तरह से हमारा जो भवन का काम है, उसका जो हम देखते हैं, हम घर तो बनाते हैं ,उसकी जांच हेतु जो उड़दस्ता बना है, आपके हम रिपोर्ट में पढ़ रहे थे, आपने उड़नदस्ता जो बनाया है, उस उड़नदस्ता में सिर्फ सरकार के लोग ही रहते हैं, स्थानीय जन प्रतिनिधि का कोई सदस्य वहां पर नहीं रहता है, उसमें स्थानीय जन प्रतिनिधि को भी रखिये । आपके

उड़नदस्ता जो जाते हैं, संवेदक जो काम कर रहा है, रिपोर्ट क्या देना है उसमें वहां के स्थानीय किसी जनप्रतिनिधि को रखिये । मैं नहीं कह रहा हूॅ कि उसमें विधायक को ही रखा जाय, किसी को भी स्थानीय जन प्रतिनिधि को जहां वह बन रहा है, वहां के मुखिया है, जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, कोई भी जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, चूंकि वहां पर की समस्या का वह ही बतला पायेंगे ज्यादा अच्छा से ताकि हमारी पारदर्शिता के साथ काम होता रहे । उड़नदस्ता में जब भी चेक करने के लिए भवन निर्माण के लिए जो भी लोग जा रहे हैं, उसमें वहां पर स्थानीय प्रतिनिधि का एक सदस्य रहे कि हां आपने जाकर जांच क्या किया है। आप सोच रहे होंगे कि हम सरकार के बारे में बता रहे हैं, हम पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, हमारी नियत ठीक है इसलिए हम खुले सदन में बोल रहे हैं कि हम ये काम करेंगे ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) ठीक है, अब समाप्त कीजिये आप ।

श्री राजीव नन्दन: महोदय, एक मिनट और है, हम वाणिज्य कर के बारे में बोलना चाहते है। आज वाणिज्य पर गिलोटिन हो रहा है और आज हमारा जो वाणिज्य है, वह वाणिज्य का ही देन है कि आज हमारे गांव का धोबी, गांव का लोहार, गांव का बढ़ई रोड के किनारे, धोबी रोड के किनारे गुमटी लगाकर अपने श्रम को बेचता है,श्रम का व्यापार करता है और उस श्रम को आज हमें ताकत देने की आवश्यकता है । हम जिस प्रकार से आपने सात निश्चय के साथ जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लाया है, उन छोटे छोटे दुकानदारों जो गुमटी खोलकर अपना काम चलाते हैं, ठेला चलाकर अपना काम करते हैं, उनको भी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सहायता देना चाहिए ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) अब आप कंक्लूड कीजिये ।

श्री राजीव नन्दन: आज आरक्षण में बिहार निवास में जो ..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) समय हो गया है, बाकी बात आप लिखकर दे दीजियेगा न , अब समाप्त कीजिये।

श्री राजीव नन्दन: ठीक है। सभापति महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूॅ । महोदय, भवन निर्माण विभाग विकास की एक कड़ी है और भवन निर्माण विभाग के कारण ही हम अपने बिहार की स्थिति जान

सकते हैं कि हमारा बिहार किस रूप से और किस स्थिति में चल रहा है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और सरकार काम कर रही है इसके लिए हमलोग सरकार को बधाई भी देते हैं लेकिन कुछ ऐसी बातें है जिनको बाद में हमलोग बोलेंगे । महोदय, भवन निर्माण की एक योजना है कि सभी को घर दिया जाय और इसके लिए भवन निर्माण विभाग के अन्दर ही हमारे यहां ग्रामीण विकास विभाग है । 2018 में 10 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन बना कितना 10 से 15 प्रतिशत ही घर बन सका। वर्ष 2018-19 की अवधि में 11 लाख 76 हजार 617 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन अबतक 1 लाख 29 हजार 712 ही घर तैयार हो पाया है । इस निर्माण में कठिनाई क्या है, लोगों को पैसे दिये जाते हैं, सरकार की योजना है, सरकार द्वारा घर बनाने के लिए लोगों को पैसा दिया जाता है लेकिन होता क्या है प्रथम किस्त तो सभी ले लेते हैं और तृतीय किस्त बहुत कम लोग लेते हैं। प्रथम किस्त लेने वाले की संख्या 8 लाख 59 हजार 546 है और तीसरा किस्त लेने वाले की संख्या 1 लाख 52 हजार 836 दोनों में 8 गुणा का अन्तर हो गया । होता क्या है कि प्रथम किस्त लोग ले लेते हैं और तीसरा किस्त लेते भी नहीं है और थोड़ा सा भवन बनाकर के उसको खत्म कर देते हैं। एक किस्त मिल जाता है तो विभाग को देखना चाहिए, विभाग को मोनेटरिंग करना चाहिए कि जिनको हमने राशि दिया है, पैसा दिया है भवन बनाने के लिए तो वह बना रहा है कि नहीं बना रहा है और अगर नहीं बना रहा है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि सरकार की आस्था है या सरकार यह चाहती है कि सभी को भवन मिले और महोदय, भवन निर्माण विभाग के अन्दर ही एक प्रखंड कार्यालय है वहां कई चीजों का निर्माण जरूरी है उसके लिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे यहां कटिहार जिला में अमदाबाद प्रखंड है, उसका अंचल कार्यालय अभी भी नहीं है, वह बहुत पुराना है उसी में लोग बैठकर काम कर रहे हैं तो जबतक लोगों को आवास नहीं दिया जायेगा, कार्यालय नहीं दिया जायेगा, उसकी दक्षता ठीक ढंग से नहीं होगी, ठीक ढंग से काम नहीं हो सकेगा इसलिए उसको भी बनाने का काम किया जाय । वहां अमदाबाद प्रखंड में पशु चिकित्सालय है, उसका भी भवन नहीं है, उस पर भी कार्रवाई की जाय। एक सहकारिता भवन वहां बन रहा है, शुरू भी हुआ है, पिलिंथ तक आया फिर उसको रोक दिया गया इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । अमदावाद प्रखंड में स्वास्थ्य केन्द्र है और वहां रोगियों की बहुत भीड़ हुआ करती है

लेकिन उसका भवन बहुत ही छोटा सा है उसको बनाने की जरूरत है क्योंकि उसके भवन नहीं रहने से लोग जो बहुत सा सामान वहां गया है लेकिन भवन नहीं है जिस कारण से वहां पर काम हो नहीं पाता है इसलिए वहां भवन बनाने की जरूरत है । उनके कर्मचारियों का भवन होना चाहिए, जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनका भवन होना चाहिए तभी लोग अपने ढंग से काम कर पायेंगे, नहीं तो होता क्या है, लोगों को वहां रहने के लिए मकान है ही नहीं, कटिहार से आते हैं कोई कहीं से आते हैं तो कठिनाई हो जाती है लोगों को, इसके लिए वहां आवास का निर्माण जरूरी है। मनिहारी नगर में एक अनुसूचित जाति जन जाति होस्टल है, छात्रावास है, वह बिल्कुल जीर्णशीर्ण अवस्था में है, वहां छात्र तो नहीं रह पाते हैं, पशु जाकर रहते हैं उसमें वे शरण लिये हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका जीर्णोद्धार जरूरी है इसलिए उसका जीर्णोद्धार किया जाय ताकि छात्रावास वहां बने और वहां छात्र छात्राएं रहे । महोदय, मनिहारी प्रखंड में ही एक नीमा पंचायत है, उस पंचायत में एक अनु0जाति जन जाति स्कूल है, विद्यालय है, उस विद्यालय की स्थिति बहुत जर्जर है । जर्जर क्या है कि वह कभी भी गिर सकता है, वहां के छात्रावास में लोग रहते हैं, बहुत टूटे फूटे भवन में रहते हैं इसलिए उसको बनवाना जरूरी है, उसको बनवाया जाय। कटिहार जिला का जो मनिहारी प्रखंड हैं ,उस प्रखंड कार्यालय का घेराबंदी नहीं है,वहां अनुमंडल कार्यालय बना दिया गया, उसके कार्यालय परिसर में बहुत गड्ढ़ा था उसको तो हमलोगों ने भरवाकर ठीक करवा दिया है लेकिन उसमें घेराबंदी नहीं है, उसमें पशु बगैरह जाकर बैठे रहते हैं इसलिए उसके घेराबंदी की जरूरत है, भवन निर्माण के अन्दर ही यह पड़ता होगा । मनिहारी प्रखंड के अन्तर्गत अनुमंडल चिकित्सालय भवन है, वह बना हुआ है लेकिन उसका न तो घेरा है और न ही उनके चिकित्सकों के लिए कोई आवास है और वहां चिकित्सक सभी के सभी बाहर से आते हैं, कोई कटिहार से आते हैं कोई कहीं से । वहां पर 250-300 रोगी रोज आते हैं इलाज कराने के लिए तो उसके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आवास हो तो अपने दक्षता से वे काम कर सकें ।(क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/16.07.2019

... क्रमशः ...

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मनिहारी अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सकों एवं कर्मियों का आवासीय भवन हो जायेगा तो वे लोग ठीक ढंग से काम कर पायेंगे । वैसे तो वहाँ पर चिकित्सकों की कमी है लेकिन वह तो चिकित्सा विभाग की बात है । कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखंड के कार्यालय की घेराबंदी नहीं है, उसकी भी घेराबंदी हो जानी चाहिए ।

सबसे बड़ी बात है कि कटिहार का अमदाबाद जो प्रखंड है, उसके प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है, बहुत छोटा-सा घर बहुत पुरान है, उसी में रह रहे हैं । उसको कम से कम बना देना चाहिए, उसकी घेराबंदी कर देनी चाहिए ताकि वह लगे कि हाँ, कार्यालय है । सरकार की भी योजना है, सरकार का भी यह मन है कि कार्यालय देखने में अच्छा लगे और लगे कि हाँ, बिहार सरकार का एक कार्यालय है ।

महोदय, मनिहारी में पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वह अभी तक नहीं बना है। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज कटिहार में चल रहा है दो-तीन साल से । मैंने भी बहुत प्रयास किया कि उसको यहाँ पर स्थांतरित कर दिया जाय, उसके लिए हमलोगों ने प्रयास किया कि भवन बन जाय, फिर भी वह नहीं आया तो मैंने प्रयास यह किया है कि जो वहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल में एक बड़ा-सा उसका भवन है, उसके भवन में हमलोगों ने उसको स्थापित करवा दिया है लेकिन उसके लिए भवन की जरूरत है क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए कोई भवन नहीं बन पाया है । हालाँकि जमीन की उपलब्धता करा दी गई है, स्कूल की ही जमीन है, उसी जमीन पर हमलोगों ने ''नो ऑब्जेक्शन'' दिलवा दिया है और वहाँ पर जमीन हो गई है, सिर्फ भवन बनवाने की जरूरत है ।

महोदय, हमारा जो मनिहारी प्रखंड है, वहाँ अधिकांश अल्पसंख्यक हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, छात्रों की संख्या भी बहुत अधिक है । इसलिये अल्पसंख्यक छात्र- छात्राओं के लिए एक छात्रावास की जरूरत है । वहाँ एक छात्रावास बनाया जाना चाहिए ।

महोदय, मनसाही प्रखंड में एक कुरेठा जगह है, वहाँ पर पशु चिकित्सालय है, वह बहुत जर्जर स्थिति में आ गया है । उस पशु चिकित्सालय का जीर्णोद्धार करा दिया जाय ताकि ठीक-ठाक से चल सके ।

महोदय, बात हो रही थी, एम0एल0ए0 लोगों के लिए जो भवन बन रहा है, उसके बारे में बात हो रही थी, कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की है । हमलोग 2016 में विस्थापित हो गये, तोड़ दिया गया और हमलोगों को विस्थापित कर दिया गया, जहॉ-तहॉ हमलोग चले गये । उसी समय से भवन बन रहा है । अबतक इंतजार हो रहा है कि कब वह भवन बनेगा, वैसे कहा गया है कि दिसम्बर तक 100 भवन बन जायेगा । उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं -

''ये ना थी हमारी किस्मत के विसाल-ए-यार यार होता,
अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता ।''

और इंतजार कबतक किया जायेगा, यह हमलोगों की समझ में नहीं आता है । महोदय, हमलोग सरकार की नियत पर शक नहीं करते हैं लेकिन जिस ढंग से काम हो रहा है, जिस तेजी से काम करने की जरूरत है, वह काम अभी दिखाई नहीं पड़ता है । विभाग के माननीय मंत्री महोदय काम करने में बहुत चतुर हैं, चालाक हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उसमें इन्होंने बहुत सुधार किया, अभी भवन निर्माण विभाग में आये हैं तो मैं अनुरोध करूंगा, हमलोगों को आशा और अपेक्षा भी है कि काम तेजी से हो और जो गरीबों के लिए मकान बनना है, उनको जो सरकार मकान दे रही है, उसके लिए राशि दे रही है, उसका ठीक ढंग से मोनिटरिंग कर दिया जाय तो मैं समझता हूॅ कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, सरकार की उपलब्धि होगी और लोगों को अच्छा मकान भी मिल जायेगा ।

महोदय, वैसे तो जितने भी विभाग हैं, कला संस्कृति हैं, सब कुछ है, हमारा यह कहना है कि जो सरकार की योजना है और सरकार का यह संकल्प भी है कि प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए । मैंने बहुत पहले प्रस्ताव दिया था कि मनिहारी में एक स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए लेकिन अभी तक स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, उसपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है । मैं अनुरोध करूंगा कि वहॉ स्टेडियम बनना बहुत जरूरी है । दूसरी बात है कि मनिहारी एक अनुमंडल का शहर है। छोटा-सा शहर है लेकिन उसमें माघी पूर्णिमा के समय में, श्रावणी पूर्णिमा के समय से पूरे महीने में, फिर छठ पर्व के अवसर पर लाखों लोग आते हैं और उसके विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति होती है, पदाधिकारी भी आते हैं लेकिन ठहरने के लिए वहॉ कोई अतिथि-गृह नहीं है। लोग जहॉ-तहॉ रूकते हैं और उन्हें बहुत दिनों तक

रूकना पड़ता है । इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वहॉ पर एक अतिथि–गृह का निर्माण कराने का प्रयास किया जाय चूंकि वह अनुमंडल शहर हो चुका है । वैसे भी लोग जो वहॉ उस अनुमंडल में आते हैं तो ठहरने के लिए उनको कोई जगह मिलती नहीं है । पहले एक डाकबंगला था जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रह रहे हैं क्योंकि उनके पास वहॉ कोई आवास नहीं है, उसी में वे रह रहे हैं । उनको जबतक आवास नहीं मिल जाता है तबतक तो उनको हटाया नहीं जा सकता है लेकिन एक अलग से अतिथि–गृह अगर बना दिया जाय तो जो सरकारी सेवक जाते हैं, जो पदाधिकारी जाते हैं उनको बहुत सुविधा होगी और अच्छी तरह से रहकर काम कर सकेंगे ।

महोदय, खैदपुरा छात्रावास है जो अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए है, उसकी हालत ठीक नहीं है । इसकी स्थिति बहुत जर्जर है । महेन्द्रू में एक छात्रावास है, उसकी भी स्थिति ठीक नहीं है । इसलिये उसका भी जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। चूंकि सरकार काम करना चाहती है, हमलोगों को आशा भी है कि सरकार काम करेगी, हमलोग यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो जाय । चूंकि जो दलित हैं, जो दमित हैं, जो उपेक्षित हैं, उनके लिए सरकार अधिक ध्यान देती है । इसलिये हमलोग अपेक्षा करेंगे कि जिस अनुसार सरकार काम करना चाहती है, उस अनुसार काम हो ताकि लोगों को कहने का भी अवसर मिले कि सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, सरकार करके दिखाती भी है । हमलोग इतना ही आशा करते हैं ।

महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

श्री समीर कुमार महासेठ : सभापति महोदय, मैं भवन निर्माण विभाग से संबंधित सरकार द्वारा लाये गये बजट का विरोध और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ और यह विरोध केवल विरोध के लिये नहीं है बल्कि राज्य के गरीबों के हिस्से की धनराशि बड़ी–बड़ी गैरजरूरी अट्टालिकाओं पर लगाने के कारण है ।

महोदय, समाज में रहनेवाले किसी भी व्यक्ति के लिये तीन मूलभूत चीजें हैं और वह हैं रोटी, कपड़ा और मकान । भवन निर्माण लोगों के लिये तो नहीं लेकिन सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मियों के लिये कार्यालय भवन और क्वार्टर का निर्माण और संधारण करता है । इस तरह से

सरकार के लिये और सरकारी कर्मियों को भी छत देनेवाला विभाग है । इसलिये इस विभाग का कर्त्तव्य और दुरूह हो जाता है ।

महोदय, भवन निर्माण विभाग 16 मार्च, 1982 को एक अलग इकाई के रूप में गठित हुआ । इसके पहले यह लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत था ।

महोदय, विगत दिनों भवनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं बनी हैं । किसी भी शहर की पहचान उसकी बहुमंजिली इमारतों से होती हैं । सरकारी भवन भी शहरों की शान को बढ़ाते हैं ।

महोदय, मैं यह नहीं कहता कि ये भवन क्यों बनाये गये लेकिन जब बिहार राज्य गरीबी के मामले में देश में सबसे निचले पायदान पर है, यह बड़ा सोचनीय है कि पूरे देश में सबसे निचले पायदान पर है तो वैसी स्थिति में प्राथमिकताओं का निर्धारण करना हमारी विवशता है । हमारे राज्य में निवासियों को शुद्ध पेयजल, आवास, शैक्षणिक माहौल, चिकित्सीय सुविधा जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं हैं ... क्रमशः ...

टर्न-18/आजाद/16.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री समीर कुमार महासेठ : लेकिन हम कर्ज लेकर नित्य नये-नये भवन बनाते जा रहे हैं । कहावत सुनने में जरूर अच्छी लगती है कि -

'ऋणम् कृत्वा, घृतम पिवेत ।
यावत् जीवम् सुखम् जीवत् ।

यानी ऋण लेकर, कर्ज लेकर घी पीयो और जब तक जीयो तबतक सुख से जियो । सरकार कोई व्यक्ति नहीं है कि उसके दिवालिया हो जाने से एक परिवार बिगड़ेगा या तकलीफ में पड़ेगा । सरकार एक समूह है और इसी की नीति पर राज्य के निवासियों का जीवन सुखद होगा या दुखद होगा यह निर्भर करता है । राज्य के निवासियों पर निरंतर बढ़ते कर्ज में इस भवन निर्माण विभाग का योगदान संभवतः सर्वाधिक है क्योंकि भवनों का निर्माण एक अनुत्पादक व्यय है । इसी तरह के अनुत्पादक खर्चों के लिए कर्ज लेते रहने से राज्य की यह दशा हो गयी है कि मार्च 2018 तक 1,56,776 करोड़ रूपये का कर्ज हो गया है ।

महोदय, यहां आये दिन एस्टीमेट घोटाला की चर्चा होती रहती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, श्री जीतन राम मांझी जी ने सार्वजनिक रूप से एस्टीमेट घोटाला की बात को अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उजागर किया था । आप किसी भवन के निर्माण को उठा लीजिए, न समयबद्ध निर्माण हो पाता है, न तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप भुगतान होता है । प्रायः सभी भवनों के प्राक्कलन को बार-बार पुनरीक्षित किया जाता है । एक तरफ जहां एग्रीमेंट में यह प्रावधान होता है कि समय पर काम न किये जाने पर आर्थिक दंड के भागी होंगे और वहीं दूसरी तरफ आर्थिक दंड देने के बदले दर में बढ़ोत्तरी के तौर पर आर्थिक उपहार भी दे दिया जाता है ।

महोदय, इतना ही नहीं भवन निर्माण में प्राक्कलन की विशिष्टियों का भी ख्याल नहीं रखा जाता है और जितने भी सरकारी भवन है उनमें प्रायः कोई खामी रह ही जाती है ।

महोदय, मैं मुख्य बिन्दु की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भवन निर्माण विभाग संभवतः नये भवनों के निर्माण में अधिक रूचि लेता है और पुराने भवनों को उपेक्षित छोड़ देता है । वह चाहे आवासीय विद्यालय हो या दिव्यांगों के लिए विभिन्न छात्रावास बने हो । महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण से वापस लेकर पाईप लाईन का पी0एच0ई0डी0 का कार्य भवन निर्माण विभाग को दे दिया गया ताकि ससमय काम हो सके । लेकिन अभी भी भवन निर्माण विभाग के पास पी0एच0ई0डी0 वाली तकनीक नहीं है । जिसके कारण सरकारी भवनों में पाईपलाईन एवं नल वगैरह की समस्या आम बात है ।

महोदय, मैं भवन निर्माण की सुपरविजन की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । सुपरविजन के विभिन्न स्तरों में प्रधान सचिव से लेकर कनीय अभियंता स्तर के लोग होते हैं । इसमें सबसे अधिक कार्यपालक अभियंता पर भार होता है क्योंकि किसी भी योजना को कार्यान्वित कराने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी कार्यपालक अभियंता हैं । कार्यपालक अभियंता को भवन निर्माण विभाग के मैनुअल के हिसाब से निम्नांकित कुछ महत्वपूर्ण काम करने होते हैं :-

1. The Executive Engineer should inspect each Sub Divisional Office within the limit of his charge once in every year and each Sectional Office onec in every two years. आप बतायें महोदय कि अब यह व्यवस्था कहीं रह गयी है ?

आगे इंस्पेक्शन नहीं करने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता को रिपोर्ट करना होता है जो इस प्रकार है :-

Whenever inspection as prescribed above, could not be completed, a report stating reasons there of should be submitted to the Superintending Engineer by the date prescribed for this purpose by the latter.

2. The Executive Engineer will be required to inspcect, report on and suggest measures for the protection of historical monuments or buildings of architectural interest, which appear likely to fall into decay.

3. The Executive Engineer will in addition to his other duties, consider himself to be ex-official professional advisor of all departments of Government within the limit of his charge.

सभापति महोदय, निश्चित तौर पर इस तरह ध्यान इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि 2013-14 में 38,870 लाख रू0 का एक तरह से इन्होंने सरेंडर किया और 2014-15 में 1,20,825 लाख सरेंडर किया और 2015-16 में 83,465 लाख । इसी तरह मेरा सुझाव था कि जो भी भूकम्प विरोधी जो आज के आधुनिक ब्लिडिंग बन रहे हैं निश्चित तौर पर हमारे मधुबनी का जितना है, अभी बाढ़ आ गया । जितनी भी ब्लिडिंग बनी, कोई भी उस ढंग का केयर नहीं किया गया । कारण क्या है, यह हमें समझना होगा । मिल-बैठ करके एक प्लानिंग होती है तो जहां पर एक ब्लिडिंग बनाते हैं, इसके बाद वह ब्लिडिंग आपदा वाले को देखना पड़ता है कि आपदा वाले क्या करेंगे? ब्लिडिंग के मेंटेनेन्स से लेकर के जो पॉलिसी होना चाहिए, कहीं न कहीं डे वाई डे रूकावट आता जा रहा है । आज के दिन में हमारे अच्छे मंत्री हैं, अच्छे पदाधिकारी हैं, आगे इनके टाईम में निश्चित तौर पर जो पहले था, उससे इम्प्रुवमेंट देखा जा रहा है । अभी माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं, अभी शिक्षा विभाग से यहां आये हैं ।

कार्यपालक अभियंता सभी सरकारी विभागों के सलाहकार के तौर पर होते हैं लेकिन क्या कभी किसी विभाग द्वारा कोई सलाह ली जाती है ? यह कार्रवाई बंद कर दी गयी और बाहरी एजेंसी को डी0पी0आर0 आदि कामों के लिए नियुक्त करने के पीछे क्या कारण है, यह हम सभी डिपार्टमेंट में देख रहे हैं । एक अलग डी0पी0आर0 का विंग स्टार्ट हो गया है । कारण

क्या है, यह मेरी समझ से बाहर की चीज है । माननीय मंत्री जी इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण विंग, जो प्रायः सभी की नजरों से ओझल रहता है, की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रत्येक भवन प्रमंडल में डिविजनल एकाउंटेंट ए0जी0 की तरफ से पदस्थापित किये जाते हैं। ए0जी0 हमारा ऑख-नाक होता है, जो कहीं न कहीं बैठकर के हमेशा वह आपके फायदा के लिए आपको मदद करता है । उनका मूलतः काम वित्तीय नियमों के अनुरूप काम हो इसको देखना है अर्थात् हर काम को प्री-ऑडिट होता रहे । उदाहरण स्वरूप डिविजनल एकाउंटेंट के महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निम्न है :-

The Divisional Accountant is further required to inspect periodiacally under the orders of the Divisional Officer, the accounts records of subdivision all offices and to check a percentage of the initial accounts. The defects noticed should be reported to the Divisional Officer for orders, but the Divisional Accountant will be responsible, as far as possible, for personally explaining the defects for procedure and imparting necessary instructions thereon to the Sub-Divisional Officers and their staff.

हम समझ सकते हैं, पता नहीं पहले की सरकार और अब की सरकार में एक बहुत बड़ा अन्तर आता जा रहा है । ऑडिट डिविजन सभी सरकारों से और सभी डिपार्टमेंट में एक अलग स्टाईल में चल रहा है । पता नहीं वह स्टाईल क्या है, यह समझने का है ।

महोदय, Rate escalation से संबंधित एक-दो उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। पटना में स्थित इन्टरनेशनल म्यूजियम कनवेंशन सेंटर के संबंध में कुछ साथी बोल रहे थे, म्यूजियम कंवेंशन सेंटर बना 274 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी, परिमाण विपत्र 317 करोड़ का हुआ और निविदादाता द्वारा 417 करोड़ रूपये की निविदा दी गयी दिनांक 23.9.2013 को लेकिन आप हतप्रभ होंगे कि दो माह बाद ही दिनांक 18.11.2013 को इसे पुनरीक्षित कर 490 करोड़ रूपये कर दिया गया । महोदय, निश्चित तौर पर अच्छी सोच होगी, अच्छी बात होगी, अच्छी प्लानिंग होगी लेकिन इतना बड़ा डाईवरसन होगी कि यह कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगता है । एक

प्लानिंग आपका क्या है, इसका एजक्यूशन क्या कर रहे हैं , क्या सोच कर चले थे और क्या बना रहे हैं, धरातल पर पहले इसपर डिसकसन होना चाहिए, नहीं तो इतना पुनरीक्षित 490 करोड़ हो जाता है और महोदय, इसी तरह से बिहार म्यूजियम का भी मामला है । उसमें मोबिलाईजेशन एडवांस लगातार दिया जाता रहा है 27.44 करोड़ का । बिहार म्यूजियम के प्राक्कलन में भी बेतहाशा वृद्धि की गयी जिसका डाटा आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा । निश्चित तौर पर कुछ साथी कह रहे थे कि म्यूजियम के बारे में कि इन्टरनेशनल स्टेंडर्ड का बना, मेरा इसमें कोई विरोध नहीं है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि बिहार में क्या-क्या कहां-कहां निकल गया, जिसको ये संरक्षण या रखना चाहते हैं, क्या हमारा पुराना म्यूजियम छोटा पड़ गया, हो सकता है बड़ी-बड़ी सोच होगी, अच्छे-अच्छे चीजों को रखने के लिए बना है, एक इन्टरनेशनल होना अच्छी बात है । जब हमलोग देश-विदेश घुमते हैं, एथेंस में भी देखें तो बड़ा इन्टरनेशनल एवार्डेड सब था और यहां भी एवार्डेड बना, मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन हम यह जानना चाहते हैं कि कंवेंशन के नाम पर कहां-कहां, नालन्दा, बिहार, मधुबनी कहां-कहां ऐसी चीजें निकली, जिसको संरक्षित रखने की आवश्यकता है वैसे म्यूजियम में, नहीं तो पता नहीं हमलोग जो साथी सोच रहे हैं, म्यूजियम जायं और उस तरह का नहीं लगेगा तो शायद वह एक धक्का लगेगा ।

..... क्रमशः .....

टर्न-19/शंभु/16.07.19

श्री समीर कुमार महासेठ : क्रमशः....महोदय, भवन निर्माण बजट की मांग कर रहा है, लेकिन प्रायः जो मेरा सुझाव था वह उतना ही है कि जो सरेंडर हुए उसकी प्लानिंग अगर आप अपने प्लानिंग के साथ जो आप 60 साल के बाद सारे बुजुर्ग एक दिव्यांगता के तरफ चले जाते हैं, लेकिन हमको दिखता है कहीं भी किसी बिल्डिंग में चले जाइये उनके अनुरूप सोच नहीं है । वह बिल्डिंग बन जाता है जमीन घटता जा रहा है हेडक्वार्टर में थ्री फ्लोर फोर्थ फ्लोर आप दो ही फ्लोर का बना रहे हैं क्यों नहीं पहले प्लान कर देते हैं कि लिफ्ट होगा । कोई डी0एम0 और एस0पी0 भी विकलांगता के साथ आ सकते हैं । आप निश्चित रूप से इस सोच के साथ आप जो भी बनायेंगे जिस एरिया के लिए बनायेंगे उसका कम से कम ध्यान रखना बहुत आवश्यक है । जहां पर दिव्यांगता का पूरे देश में बिहार अब सेकेण्ड स्थान पर जा रहा है, लोग

कहने के लिए जितना कह दीजिए 60 वर्ष के बाद जितना जीवन जीना चाहते हैं, हमलोग भी विकलांगता की ओर बढ़ रहे हैं । 80 साल, 85 साल में लाठी चाहिए, कुछ न कुछ सपोर्ट चाहिए, रैंप चाहिए, लिफ्ट चाहिए हरेक चीजों की आवश्यकता पड़ती है जब आपका ओल्ड ऐज होता है और उसकी प्लानिंग पहले से उस बिल्डिंग में नहीं होता है । अब नये-नये ढंग से नये लोग उसमें जोड़ रहे हैं, खर्चा तिगुना हो रहा है । हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन कह देते हैं कि बिहार में एक हाईकोर्ट के जज साहब थे और जब वे रिटायर किये तो उन्होंने जब अपना बिल्डिंग छोड़ा था तो वे चले गये और जाने के बाद दूसरे जज साहब आये- अब तक वह बंद था - तो पता चला कि पुराने जज साहब को नये जज साहब ने कहा कि भाई किस तरह से आप इस बिल्डिंग में रह रहे थे बड़ा खतम स्थिति था तो उन्होंने कहा कि अरे इतना बढ़िया था हम तो लगातार रहे, क्या हो गया ? पता चला जज साहब जब छोड़कर गये थे तो उसी बीच में कौन सी प्लानिंग हुई कि सारा टाइल्स टूट गया, पूरा बाथरूम टूट गया, सारा चीज टूट गया । इसलिए मेरा आग्रह होगा माननीय मंत्री जी कि कोई व्यक्ति कहीं से जाते हैं, चाहे मंत्री हों, विधायक हों तो आप फोटोग्राफी करा लीजिए ताकि जानेवाले और जैसे अभी देख रहे होंगे देश में खाता बही के नाम से है । सभी फ्लैट का खाता बही तैयार कर दीजिए कि कब क्या लगा । हम तो देखते थे फादर के टाइम में 66 के बाद कि एक ट्वाइलेट बनाने में 2 हजार, 4 हजार खर्च करने में लंबा समय लगता था ।

सभापति(डा0 अशोक राम) : अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ : आज के दिन में आप लाखों-लाख खर्च करते हैं और जो जाते हैं और दूसरा जो आते हैं पता चलता है कि पहले जैसे अभी बता रहे थे कि ये जो सरकार आयी थी न फलां सरकार के पास कुछ था ही नहीं, कोई फंड नहीं था ये यहां पर बातें होती थी । आपलोग भी जायेंगे तो जो सरकार आयेगी वह भी कहेगी कि कोई निधि नहीं था, पैसा नहीं था ।

सभापति(डा0 अशोक राम) : समाप्त कीजिए अब । अब समाप्त किया जाय ।

श्री समीर कुमार महासेठ : तो निश्चित रूप से चाहेंगे कि पुराना जो बिल्डिंग है और नये बिल्डिंग में जो प्लानिंग है उसमें स्ट्रक्चर से लेकर भविष्य का प्लानिंग करें ताकि हम कह सकते हैं कि बिहार की तुलना दूसरे जगह से हम कर सकें । पहले देश में ही कर लें, विदेश से तुलना न करें तो ज्यादा बेहतर होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(डा0 अशोक राम) : माननीय सदस्य श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : सभापति महोदय, आज भवन निर्माण विभाग के बजट के पक्ष में और विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति(डा0 अशोक राम) : 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : समय मेरा काट दिया गया, इस समय में बहुत बात तो नहीं बोल पायेंगे ।

सभापति(डा0 अशोक राम) : आसन ने नहीं काटा है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आज भवन निर्माण विभाग भवन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है- चाहे सरदार पटेल भवन बनाकर उसने दिखाया हो या ज्ञान भवन बनाकर उसने दिखाया है और सरकारी भवनों के मुताबिक सिर्फ सरकार ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्र में तो पहले से था, ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं तो जो प्राइवेट लोग हैं वे भी अच्छे-अच्छे भवन बना रहे हैं । इसलिए मैं आदरणीय भवन निर्माण विभाग के मंत्री जी को और इस विभाग के सभी पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र कल्याणपुर की जनता के साथ सहृदय धन्यवाद देता हूँ । आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आपको देना है । महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि पटना में जो विधायक आवास है- अभी कुछ विधायक जो आवासित हैं दारोगा राय पथ में, आर0ब्लॉक में, राजवंशी नगर में मैं विभाग से आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से कि आप जरा उसको देखवाइये कि वह भवन रहने लायक है कि नहीं है, नहीं तो जो आज बंबई का चल रहा है टेलीविजन पर- मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि बिहार में भी वैसी परिस्थिति नहीं आ जाय कि भवन गिरे, लोग मरे और जो खासकर विधायक रह रहे हैं । मैं पुनः एक बार आग्रह करूँगा कि एक बार सर्वे करके उसको देख लीजिए कि दारोगा राय पथ वाला भवन विधायकों के रहने लायक है या नहीं है । कई बार इस विषय में पहले भी प्रश्न आया है । महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूँ कि अन्य भवन भी अभी पिछले दिन पटना में देखा गया कि संचार भवन का दीवाल ढहा और कितना बड़ा प्रोब्लम उसको लेकर क्रियेट हुआ लॉ ऐंड आर्डर का, कितने बच्चे मर गये । अब बरसात के समय में इस बार आकस्मिक बरसात हो रहा है मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के पटना सहित बिहार के अन्य जगहों पर ऐसे भवनों को चिन्हित करा लीजिए और जो भवन रहने के लायक नहीं है आप उनको निश्चित रूप से नोटिस दे दीजिए रहनेवाले

लोगों को कि आप अगर रहियेगा और कोई खतरा होगा तो यह आपकी जवाबदेही होगी । मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ महोदय, मैं भवन निर्माण विभाग के एक और आग्रह करना चाहूंगा कि आपने एस0बी0डी0 में कंडिका–4.5 बी0 का जो जिक्र किया है । जिसमें आपने कहा है कि आपके समरूप कार्य के लिए 2 करोड़ से अधिक का कोई टेंडर डालता है तो 50 प्रतिशत का उसको अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा । जबकि बाकी विभागों में आप देख रहे हैं आर0सी0डी0 हो या आर0डब्लू0डी0 हो या अन्य हो इसको कम करके मात्र 25 परसेंट समरूप कार्य के 25 परसेंट का ही अनुभव लगता है । आप इसमें जरूर सुधार कीजिए और निश्चित रूप से आप इसमें सुधार कीजिएगा तो अधिक से अधिक बीडर, अधिक से अधिक संवेदक आपके यहां आयेंगे और आपको भवन बनाने में सुविधा होगी । दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप अपने प्लीन्थ एरिया को बढ़ाइये । आपने जितना एरिया को भवन विभाग में लिया है । जैसे आर0डब्लू0डी0 ने अपना अनुरक्षण नीति बनाया है कि चाहे कोई भी ग्रामीण सड़कें हो, कोई भी विभाग बनाया हो, मुखिया बनाया हो, ग्राम पंचायत बनाया हो, चाहे उनका अपना विभाग बनाया हो, एम0पी0लैड बनाया हो, एम0एल0ए0 लैड बनाया हो आज सबका अनुरक्षण वे कर रहे हैं, करने की योजना बना लिये हैं । आपको भी ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जितने भवन लाख, 2 लाख के लिए बेकार पड़े हुए हैं । उन भवनों को अपने प्लीन्थ एरिया में शामिल करें और उसपर जीर्णोद्धार की कार्रवाई करें । मैं एक और सुझाव आपको देना चाहूंगा सभापति महोदय के माध्यम से कि जो भवन विभाग में कुछ खतियानी कारोबार चलता है, खतियानी कारोबार का मतलब ये होता है कि बड़े पदाधिकारी जब आते हैं और उनके घर से फरमाइश जाता है कि आप हमारे गैरेज को इधर से उधर कर दीजिए, आप हमारे किचेन को इधर से उधर कर दीजिए– 6 महीना में उनका ट्रांसफर हो जाता है और फिर जब दूसरे पदाधिकारी आते हैं तब भवन विभाग इंजीनियर के यहां सूचना जाती है कि जरा आइये मेरे भवन को देखिए । 6 महीना के अंदर 5 लाख रूपया खर्च कराकर पहले वाले चले जाते हैं पदाधिकारी और दूसरे आते हैं तो वे कहते हैं कि 7 लाख का काम और कर दीजिए । ऐसे पैसों को आप अपना प्लीन्थ एरिया बढ़ाकर चाहे विद्यालय हो जिसमें गांव के गरीब बच्चे पढ़ते हैं उसको ठीक करना हो, सामुदायिक विकास भवन हो, पुस्तकालय हो, शौचालय हो इस प्रकार के कामों में आप लगाइये ताकि उस पैसे का दुरूपयोग न हो, उस

पैसे का सदुपयोग हो और एक साल में जो खतियानी लोग तीन-तीन बार काम कराते हैं- मेरा विशेष आपसे आग्रह और निवेदन होगा आदरणीय सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा और विभाग के सभी पदाधिकारियों का कि आप खतियानी काम- इमरजेंसी काम आप जरूर कराइये, लेकिन खतियानी काम उसमें मत कराइये जिसमें पैसे का दुरूपयोग हो रहा है । आप उन पैसों को वैसे गरीब बस्तियों लगायें।

सभापति(डा0 अशोक राम) : समाप्त करें अब ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जो भी भवन मरम्मति के लिए जरूरी है आप उसका अनुरक्षण नीति बनाइये । महोदय, मैं आपके माध्यम से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि वह जो तारामंडल का भवन है दरभंगा के इलाके में 5-6 वर्षों से वह पेंडिंग पड़ा हुआ है, कई बार उसका सवाल विधान सभा में आते रहता है । आप जरा उसको देखवाइये महोदय । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मेरी पार्टी ने मुझे बोलने का अवसर दिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-20/ज्योति/16-07-2019

सभापति(डा0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश ।

श्री विजय प्रकाश : सभापति महोदय, आज हम सबसे पहले सदन में माननीय अध्यक्षमहोदय को धन्यवाद देते हैं कि हमें बोलने का मौका मिला । साथ साथ हम अपने दल के नेता को हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें आज भवन निर्माण विभाग के ऊपर बोलने का मौका दिये । आज भवन निर्माण विभाग सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग होता है जो प्रदेश में विकास की एक महती भागीदारी और अपनी पहचान बनाने का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है । लेकिन महोदय, बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर, बड़े बड़े इमारत में डेंन्टिंग- पेन्टिंग करके शोभा दिखाने का काम करते हैं लेकिन उसको जब आप पूर्ण रुपेण हकीकात कीजियेगा तो आपको उस इमारत में ढाक के तीन पात का एहसास होगा । जितने भवन आज तक बनाए गए हैं हम कहना नहीं चाहते हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय हैं, मंत्री महोदय जी, हम आपको कहना चाहते हैं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आपको मौका मिला भवन निर्माण विभाग संभालने के लिए लेकिन आप उत्साहित थे और उम्मीद लगाए हुए थे कि मेरे हाथ में कलम और कागज मिलेगा लेकिन सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके हाथों में करनी और ईंटा दिया गया और बसूली दी गयी लेकिन

चलिए जो भी मिला काम करके अपनी पहचान बनाने का काम कीजिये क्योंकि आप मेरे बड़े अच्छे मित्र है , अभिन्न मित्र हैं, आपसे आशा और उम्मीद बहुत है । एक बात और माननीय मंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जिस डब्ल इंजन की सरकार में आप अपनी भागीदारी निभाने के लिए तीसरा इंजन लेकर जाना चाहते थे, पटरी वहीं छूट गयी, डब्बा वहीं छूट गया, सिर्फ ड्राईवर उतर कर चला गया और आज ड्राईवर को कुछ भी भार मिला इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं । हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, ज.द.यू. में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी उम्र हो गयी है । अब हो सकता है कि ज.द.यू. का भविष्य आपके हाथों में मिले इसलिए आप अच्छा काम करके अपने मंत्रीत्वकाल में दिखाने का काम कीजिये । यही आपसे आशा और उम्मीद है महोदय । बड़े कष्ट के साथ पीछे में बोल रहे हैं महेश्वर हजारी जी जो ईंटा को गले लगाए हुए थे, उनके हाथ से ईंटा निकल गया । बड़ा कष्टमय, विदारक शब्द हैं नहीं आगे बोलना है । इसलिए महोदय, जो पूरे विभाग की स्थिति है चमक और दमक जो दिखाया जाता है, वह चमक दमक, एक कहावत है '' खण्हर देखकर इमारत कितनी बुलन्द है '' उसका एहसास किया जाता है लेकिन जब इमारत देखते हैं और जब उसके नीचे का सतह देखते हैं तो आज कुछ दिन पहले एक नया भवन बना है । उसके नीचे के सतह को देखिये, आज भी पानी जो पड़ा हुआ रहता है । उद्घाटन करने में तो हमारे मुख्यमंत्री जी माहिर हैं । आनन-फानन में उद्घाटन भी कर देते हैं, शिलान्यास भी कर देते हैं और यदि कुछ बचता है तो कार्यारम्भ भी कर देते हैं लेकिन उसकी स्थिति और परिस्थिति देखें तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ दिन में ही चांद दिखाने का काम करते हैं । हमारे नेता को तो सिर्फ 18 महीना मौका मिला । तेजस्वी यादव जी ने यह तय किया था, शिलान्यास के दिन ही तय कर देते थे कि समय सीमा कि अमुक दिन को अमुक साल में मैं उद्घाटन करुंगा, कई रोडे और कई बिल्डिंग समय सीमा पर तय कर उद्घाटन करने का काम किया । हम यह बतला दें कि यह जो विधायकों का आवासन बन रहा है, यह 2018 में 100 बिल्डिंग विधायकों को मिलने वाला था, आज भाड़े के घर में लोग रह रहे हैं सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है । आप समय पर देने का काम क्या किए ? आप बताएं कि विधायक फ्लैट बन रहा है, लोगों को रहने के लिए एक डुप्लेक्स की तरह बनाने का काम कर रहे थे । एस्टीमेट बना था कि डुपलेक्स बनेगा । डुपलेक्स का मतलब होता है दो मंजिला मकान और

उसका एक छोटा सा बाउन्ड्री क्या उसमें बाउन्ड्री दिया गया है । इसमें भी घपला किया गया है माननीय मंत्री महोदय । इसको भी लिखने का काम करें कि एक बिल्डिंग और दूसरे फ्लैट को दोनों को जोड़कर एक ही दिवाल में किया गया, इसमें भी एस्टीमेट घोटाला हुआ है, इसकी जॉच होनी चाहिए । हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसकी जॉच होनी चाहिए । हमें दिसम्बर 2018 में मिलना था हमलोगों को, क्या कारण है कि आजतक नहीं मिला है, जिसके कारण 350 करोड़ को आज 450 करोड़ किया गया है । 100 करोड़ अधिक बढ़ाया गया है ।यह किसका पैसा जायेगा, यह आम जन का पैसा जायेगा , हमारे और आपके पैसे जायेंगे लेकिन जा रहा है संवेदक के हाथों में । वह संवेदक कौन है ? वह संवेदक कौन सा है, वह किस पार्टी के माननीय सदस्य हैं, उस संवेदक के नाम बताने का काम करें । यह घोटाला दिन प्रति दिन बढ़ते जा रहा है समय सीमा की अवधि बढ़ाकर करोड़ करोड, अरबों अरब रुपया प्रत्येक बिल्डिंग में बढ़ाने का काम किया जा रहा है और उसके माध्यम से भयादोहन करके टेस्ट के रुप में प्रेम से कैंची मार कर वसूली किया जा हरा है । हमें बताने का काम करें कि पूरे बिहार में जितनी जगह बिल्डिंगे बन रही हैं चमचमाती बिल्डिंगे बन रही हैं, एक दिन के बाद, दूसरे दिन ध्वस्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जिसतरह बाढ़ के दिनों में चूहा खा जाता है । वही स्थिति आज इस सुशासन सरकार में हो रही है । हमें उम्मीद है माननीय मंत्री महोदय आपसे कि आप कम से कम तेज-तरार मंत्री हैं । आप सैभाग्यशाली है कि आपने सरकार के बिल्डिंग में, सरकार के आवास में ही पैदा लिए और आज आपको भवन निर्माण मंत्री बनाया गया है। यह कोई बिहार में आजतक भवन निर्माण मंत्री नहीं बना कि सरकारी भवन में पैदा लिया और सरकार के भवन निर्माण मंत्री बने, आप सौभाग्यशाली हैं । आपको नहीं मालूम है तो आपको क्या बोला जाय । आप जाईये माननीय मंत्री महोदय, विजय सिन्हा जी को कहिये जितना आ.टी.आई. बिल्डिंग बना हुआ है या बन रहा है, हमारे टाईम का, ये सब बिल्डिंग में घूम रहे हैं फिर भी सब बिल्डिंग खराब हो रहा है । क्यों ये घूमते हैं, इसकी भी आप जॉच कीजिये कि बिल्डिंग विभाग आपका और जॉच करने ये जातें हैं । आई.टी. आई. भवन की जॉच करने ये जाते हैं । क्या कारण है ? क्यों जाते हैं ? इसलिए इसको जॉच करने का काम करें । आप जॉच करें । आप जॉच करें कि जो यह बगल का बिल्डिंग बना है, यह आज की तारीख में, यह चमचमाता हुआ सैकड़ो वर्षो का महल, आज भी लगता है जीता जागता

उदाहरण देखने को मिलता है । आत्मा सुकून के साथ और यहाँ बैठने का मौका मिलता है और लगता है कि अच्छी जगह बैठे हुए हैं लेकिन बगल के जब हॉल में हमलोग जाते हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी शनिवार को मीटिंग किए थे, वहाँ जब जाते हैं तो हमें लगता है कि जिनका आत्मा जागा हुआ होगा, जिन माननीय सदस्यों का, एक बार उधर जाने के बाद अंतरात्मा से सर झुक जाता होगा और लगता होगा कि यह सुशासन नहीं, दु:शासन की सरकार है । ठेहुना भर पानी, घुटना भर पानी जम जाता है, इसको भी देखने का काम कीजिये ।(व्यवधान) मेरी तो सोच यह थी, माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ाई की सुशासन राज की, डब्ल इंजन ट्रीपल इंजन की कि भवन बहुत चमकता चमकता बना है ।

क्रमश:

टर्न–21/16.07.2019/बिपिन

श्री विजय प्रकाश: क्रमश: .. हम बताना चाहते हैं कि बापू सभागार का क्या स्थिति है ? हम पूछना चाहते हैं कि संग्रहालय की क्या स्थिति है ? कितना इस्टिमेट बना है ? पटेल भवन का क्या स्थिति है जिसको कि आप कहते थे, अभी कहें हैं कि हेलीकॉप्टर उतर जाएगा लेकिन आज पहला वर्षा में पानी क्यों चू रहा है पटेल भवन में । जाकर जांच करने का काम कीजिए । आप जाकर जांच कीजिए कि पहला ढ़ाई सौ करोड़ का मकान बना हुआ, उसमें आज से 10 दिन पहले क्यों चू रहा था, क्यों पेपर में आया, क्यों टीवी पर चलने का काम किया, क्यों चैनल वाले लोग, इलेक्ट्रोनिक मिडिया वाले, प्रिंट मिडिया वाले क्यों चलाने का काम किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए । यही तो आपका चमचमाता चेहरा है । जिस तरह से माननीय महोदय, बता रहे हैं, यह चमकता हुआ चेहरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, कितने अच्छे लग रहे हैं ! माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी और बगल में पटेल भवन भी, कितना अच्छा लग रहा है लेकिन हमें नहीं मालूम कि यह चेहरा जितना अच्छा है उतना दिल साफ है कि नहीं है । उसी तरह से जितना बढ़िया पटेल भवन बाहर से लग रहा है उतना ही उसमें छेद है । यह दुर्भाग्य की बात है । यह सुशासन पर कलंक लगाने की बात है । इसे भी जांच करने का काम कीजिए। महोदय, क्या कारण है कि पटना उच्च न्यायालय ....

(व्यवधान)

15 साल की यदि चर्चा करते हैं .....

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): आप इधर देखकर बोलिए । दो मिनट और ।

(व्यवधान)

श्री विजय प्रकाश:हम करेंगे, करेंगे । 15 साल की जब चर्चा करते हैं, महोदय, हम कहना चाहते हैं कि सत्ता के लोग बीते 15 सालों की बात करते हैं, जबतक बीते 15 सालों का बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, इनके पेट का पानी कभी पच नहीं सकता है । कभी नहीं पच सकता है । मतलब जब तक ये आदरणीय लालु यादव का नाम नहीं लेंगे, तब तक इनको रात में चैन का नींद नहीं आ सकता है । उनके बिना, तेजस्वी यादव के बिना नींद का चैन नहीं आ सकता है इनको । यह मजबूरी है, बाध्यता है । इनको उनका नाम लेकर जपना पड़ेगा और सोने के लिए निश्चिंत होकर सोएंगे । यह जो बाध्यता है ।

आज हम बताते हैं, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने बताने का काम किया, कि आदरणीय लालू यादव का काम था कि जो किस तरह के बिल्डिंगे बनाने का काम करते, आदरणीय लालू यादव बनाया करते थे गरीबों के रहनुमाई करते थे, गरीबों को आसरा देने के लिए अम्बेदकर भवन पटना में बनाने का काम करते थे । कर्पूरी भवन पटना में बनाने का काम करते थे और आप बुद्धा पार्क बनाते हैं । यदि 20 कि0मी0 दूरी पर बना देते तो वहां का भी संस्कार बढ़ता ...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री विजय प्रकाश:महोदय, एक मिनट । महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात बोलना चाहता हूं । हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कि क्या कारण है कि जितने भी बिल्डिंगें बनती हैं, जितने भी हैं, प्रत्येक जिला में लगभग 10 करोड़ रूपया प्रतिवर्ष जाता है और वह मेंटेंनेंस में जज के कोठी, डी.एम. के कोठी, एस.पी. का कोठी, जिलाधिकारी का कार्यालय, एस.पी. का कार्यालय, उसी का लीपापोती में पैसा खतम हो जाता है ...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए ।

श्री विजय प्रकाश:और बिना टेंडर का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लूट-खसोट का काम करता है । इसको जांच करने का काम करना चाहिए ।

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

अब समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । पांच मिनट ।

(व्यवधान)

श्री विजय प्रकाश : यह पूरे बिहार का है । चाहे जितना बिल्डिंग कॉलेज बन रहा है, आई. टी.आई. आरा का बन रहा है, मुंगेर का बन रहा है, तारापुर का बन रहा है, खड़गपुर का बन रहा है, आप पता लगावें एक ही ठीकेदार, एक ही संवेदक, कौन-सा ऐसा उसके पास है जिसके कारण ऐसा होता है, ...

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): समाप्त कीजिए आप । अब समाप्त कीजिए ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री चन्द्रसेन प्रसाद । पांच मिनट समय है आपका ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आज 53 अरब का जो भवन निर्माण विभाग का जो बजट रखा गया है उसके पक्ष में हमलोग बोलने के लिए खड़ा हुए हैं। महोदय, हम उस दिन की याद करते हैं जब बिहार का बंटवारा हुआ था। आप सोच सकते हैं बिहार का बंटवारा हुआ था और बिहार झारखंड दो भागों में बंट गया था । उस समय हम याद करते हैं महोदय तो बिहार में भवनों की क्या स्थिति थी ? एक तरफ झारखंड जो वहां पर विकास के नए किरण थे, भवन उधर चला गया था । चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जो भी व्यवस्था था, वह झारखंड की ओर चला गया । महोदय, आज भवन निर्माण एक इम्पॉर्टेंट विभाग पर हमलोग बातचीत कर रहे हैं । लोग कहते हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा बिहार जब देश के नहीं, बल्कि विदेशों से लोग देखने के लिए जब पटना घूमने के लिए आते हैं तो चर्चा करते हैं । चर्चा किस बात का ? कुछ लोग आए थे म्यूजियम देखने के लिए । पटना में घूमें कहां ? 15 साल लोग राज किए, कोई भवन तो बनाए नहीं, तो घूमने का जो स्थल है, अब म्यूजियम लोग जाते हैं । म्यूजियम जब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि यह तो म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में हमलोग इसको देखने का काम करते हैं महोदय । वहीं विधान सभा परिसर का विस्तार हुआ । सेंट्रल हॉल बना । पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली में संसद भवन के बाद अगर कहीं सेंट्रल हॉल है तो वह है बिहार का सेंट्रल हॉल । आपके बगल में है महोदय । इसकी चर्चा हम करना चाहते हैं । हम चर्चा करना चाहते हैं कि आज खेल के क्षेत्र में भवन निर्माण विभाग ने उतना ही कदम उठाया । आप राजगीर को लीजिए । खेल स्टेडियम का आधारशीला माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखने का काम किया और वहां ऐसा खेल स्टेडियम जहां ट्रेनिंग देने काम किया जाएगा । टेनिंग भी और खेलने का भी व्यवस्था, एक-से-एक व्यवस्था

भवन निर्माण विभाग के तरफ से हो रहा है महोदय । हम चर्चा करना चाहेंगे कि विधायक लोग, बहुत सारे विधायक लोग कह रहे थे कि आवास तो है लेकिन आवास रहने लायक नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री भवन निर्माण के नेतृत्व में विभाग ने विधायकों के लिए सौ आवास दिसम्बर तक कंप्लीट करने का वादा किया है और 50 विधान परिषद के लिए । एक तरफ बिहार के लिए सोचना, दूसरी तरफ माननीय विधायकों के लिए सोचना । क्या विभाग है महोदय कि दोनों के लिए एक सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बनाया जा रहा है । महोदय, वहीं जिस बिहार का रक्षा हमारे सुरक्षाकर्मी करते हैं और उसका कार्यालय सरदार पटेल भवन गया। आप जानते हैं महोदय, लोग देखने का काम नहीं करते हैं । महोदय, सरदार पटेल भवन ऐसा भवन है जिसका वहां पर पुलिस का मुख्यालय खोलने का काम किया गया है और वहीं से हमारे भाई बशिष्ठ जी कह रहे थे, हेलिकॉप्टर वहीं से उड़ेगा । महोदय, यह व्यवस्था देश के कोई राज्य में सरकार पटेल भवन छोड़कर नहीं है .....

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए ।

श्री चन्द्रसेन प्रसाद: महोदय, एक इम्पार्टेंट विभाग होने के नाते भवन निर्माण विभाग, आपको भी तो भवन का जरूरत होगा महोदय, आदमी जब खुशहाल होता है, तब सबसे पहले सोचता है कि हमारा बढ़िया मकान होना चाहिए ...

(व्यवधान)

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार): अब समाप्त कीजिए अपना भाषण ।

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : सभापति महोदय, भवन निर्माण विभाग का जो अनुदान मांग आया है 44 अरब 23 करोड़ 19 लाख 35 हजार रूपए का, उसके विरोध में जो कटौती प्रस्ताव सम्पूर्ण विपक्ष के तरफ से लाया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं ।... क्रमश:

टर्न 22 /कृष्ण/16.07.2019

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव (क्रमश:) : महोदय, सभी वक्ताओं ने लब्बो-लुवाब विभाग के कार्य-कलापों पर कहीं न कहीं जो चूक हैं, उस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुये सरकार को सचेत करने की कोशिश किये हैं, ध्यान आकृष्ट करने का काम किया है ।

महोदय, यह सच है और सर्वविदित भी है कि भवन निर्माण विभाग की जितनी योजनायें बिहार के अंदर चल रही है, उसमें बड़ी-बड़ी इमारतों की चर्चा कई लोगों ने की, विस्तारित विधान सभा की बात कर दी, सरदार पटेल के नाम पर जो भवन बना, उसकी भी चर्चा लोगों ने कर दी, बापू सभागार की भी चर्चा हुई ।

महोदय, भवन बनने पर मुझे कोई एतराज नहीं है । राज्य के अंदर में भवन बनने चाहिए और स्वाभाविक तौर पर उसकी गुणवत्ता का भी ख्याल होना चाहिए । अगर आप गुणवत्ता को ताख पर रख करके, अगर केवल भवन निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ऊंगलियां खड़ी होगी, चाहे आपको पंसद आये या न आये । एक बात सच है महोदय कि यह कोई इंकार नहीं कर सकता, आज हम जब बगल में देखते हैं, जिस मुस्तैदी के साथ, जिस लगन के साथ हम कल्पना करके विस्तारित भवन का निर्माण करवाया, आज उसमें जो चीजें सामनी आई हैं, वह कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है हमारे निर्माण पर । हमें लगता है कि चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इन बातों को दबे जुबान से सब कोई स्वीकार करता है और स्वीकार करना भी चाहिए। चूक को अगर कोई स्वीकारता नहीं है तो अच्छी बातें नहीं होती है । चूंकि सुधार की दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे । महोदय, जो अंडरग्राउंड ऑडोटोरियम है, जिसमें सीपेज है, आज तक हम उसकी पड़ताल नहीं कर पाये, उसका निदान नहीं कर पाये कि किस कारण से सीपेज है जिसके कारण अंडरग्राउंड जो ऑडोटोरियम है, अभी तक हम उसको मूर्त्त रूप नहीं दे सके ।

महोदय, सरदार पटेल भवन में पानी चूने की बात हुई, जिस तरह से अल्प वर्षा में वहां जगह-जगह सीपेज देखने को मिला, जहां-तहां से पानी चूने लगा, यह चिन्ता का विषय है और इसे हर हाल में आत्मसात् करना चाहिए मंत्री जी आपको । जब तक इन चीजों को आत्मसात् नहीं कीजियेगा तो स्वाभाविक तौर पर आप इन चीजों को आगे बारिकी से नहीं देख पाईयेगा। सदन में दो-दो भवन निर्माण मंत्री आज बैठे हुये हैं, आदरणीय हजारी जी कुछ दिन पहले इस विभाग को छोड़े है और इधर आये हैं माननीय श्री अशोक चौधरी जी ।

सभापति महोदय, भवन निर्माण के क्षेत्र में जितनी भी योजनों में कार्य चल रहे हैं, उनमें कई विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और श्रम संसाधन

विभाग की योजनायें भी हैं । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, पूर्व माननीय मंत्री श्री विजेन्द्र बाबु हमलोगों के अभिभावक भी बैठे हैं । हमारे पूर्व के साथियों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि पार्किंग के माध्यम से दिखा देते हैं कि हमने पैसे खर्च कर दिये, इस सदन से वित्त मंत्री जी खर्चे का अनुमति लेते हैं और खर्च करते हैं लेकिन महोदय, हम पार्किंग करके निगमों में, हम 4 हजार करोड़, 5 हजार करोड़ पार्किंग करते हैं, उस से जो सूद प्राप्त होता है, उसके लिये सदन से कोई अनुमति नहीं लेता है । वे पैसे किस फाईनेन्सियल ऐक्ट के तहत खर्च होते हैं, यह कहीं न कहीं सवाल है । हम अनुदान मांग पर चर्चा करते हैं, अनुदान मांग मांगते हैं और उसे सदन से पास भी कराते हैं और उसे खर्च करते हैं लेकिन वैसे पैसे जिन पर कहीं न कहीं ब्याज आते हैं, उस पैसे का खर्च किस नियम के तहत करते हैं यह भी सरकार को सदन को बताना चाहिए । चूंकि आज गिलोटीन में वाणिज्य कर विभाग है, वित्त विभाग भी है । महोदय, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, बिहार के कई ऐसे रहे हैं, आप एक बात बताईये, आपको सरकार के उत्तर में सदन को बताना चाहिए कि जब हम योजनाओं को बनाते है और हम उसमें जो भी प्राक्कलित राशि रखते हैं और एस्टीमेंट का आकार जब बनता है करोड़ों में लेकिन हम जब उस योजना को पूर्ण करने का टाईम फिक्स करते हैं, और समय पर वह कार्य पूरा नहीं होता है तो कार्य पूरा नहीं होने पर फिर एस्टीमेट को फिर से पुनरीक्षित करके सैकड़ों करोड़ों रूपये का इजाफा करते हैं । उसके एवज् में आपने क्या उसे दंडित किया ? उसको समय सीमा के अंदर बनाना था लेकिन उसने समय सीमा के अंदर योजना को पूरा नहीं किया तो उसपर आप कौन-सी कार्रवाई करते हैं ? लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय उसको रीवाईज्ड एस्टीमेट के तौर पर उसको करोड़ो रूपये का कहीं न कहीं पारितोषिक देते हैं । आखिर क्या कारण है, कैसी व्यवस्था है कि 200 करोड़ का एस्टीमेट बनाते हैं और वह बढ़कर साढ़े 3 सौ करोड़ का हो जाता है । साढ़े तीन सौ करोड़ की विधायकों की योजना बढ़कर साढ़े 4 सौ करोड़ का हो गया तो आखिर समय सीमा के अंदर काम नहीं करनेवालो कौन-सी कार्रवाई किया ? जो संवेदक हैं, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की ? आखिर किन लोगों ने किन कारणों से सैकड़ो करोड़ रूपये बढ़ा दिये गये, यह बात माननीय मंत्री जी को अपने उत्तर में सदन को बताना चाहिए । महोदय, एक बात तो जरूर है, ऐसा नहीं था कि बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों को अवासन की

व्यवस्था नहीं थी, थी अवासन व्यवस्था लेकिन उसको नया आकार दिया गया। हम जिस हॉल में, वेश्म में, सदन के अंदर बैठे हैं, यह कितना पुराना बना हुआ है । यह कितना खूबसूरत है । महोदय, आदमी धीरे-धीर चांद पर चला गया । लेकिन कौन-सी ऐसी व्यवस्था है, आज हमलोग जो भी एस्टीमेट बना रहे हैं, उसमें जो भी नये-नये चीज बन रहे हैं लेकिन उसकी आयु कम हो रही है तो कहीं न कहीं यह एक चिन्ता का विषय है ।

महोदय, हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, चले आईये हमारे जिले के अंदर, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक परबलपुर प्रखंड है, प्रखंड का भवन बन गया और उसको ब्लॉक को सौंप दिया गया लेकिन प्रथम बारिश में ब्लॉक चूने लगा चलनी की तरह । क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है ? महोदय, हम एक किताब पढ़े थे, कर्पूरी जी विनियोग विधेयक पर बोलते हुये कहा था कि राज्य का खजाना किसी के बाप की जागीर नहीं, यह राज्य की आम आवाम जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है । यह पैसा किसी को गुलछर्रे उड़ाने के लिये नहीं दिये जा सकते । सत्य है कि सरकार का पैसा आमजनों के उपयोग के लिये हैं उनकी सुविधा के लिये है, उस पैसे का अगर कोई बंदर बांट करता है महोदय, क्वालिटी में कहीं न कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है तो हमारे लिये चिन्ता का विषय है और माननीय मंत्री महोदय, चिन्तन का भी विषय है।

लेकिन सिर्फ चिन्ता करने से काम नहीं होगा । चिन्तन करके अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी । आप विधि विभाग का भी भवन बनाते हैं । हमारे ही विधान सभा में हिलसा में जो आप बना रहे हैं आवास, वह लगभग तीन वर्षों से बन रह है, घटिया सिमेंट इंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया निर्माण जिसके बारे में कई बार विभाग को सूचित किया गया फिर भी उस पर अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गयी । Who are responsible Hon'ble Minister साहब ? Department is fully responsible. इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता । विपक्ष होने के नाते कोई सुझाव देते, सकारात्मक दिशा में का करने के लिये हम आपको कोई राह दिखाते तो यह मेरा सकारात्मक विरोध है । जिस तरह से हम कटौती प्रस्ताव लाते हैं, यह पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी का एक पार्ट है । हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं लेकिन कई वक्ता कह देते हैं कि कटौती प्रस्ताव आप क्यों लाये हैं? यह हमारे पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी का एक हिस्सा है । यह परम्परा है, जो सदन में चलता रहा है और उस परम्परा का निर्वहन करके हम सचेत करते

हैं कि जो पैसा आपको दिया गया उन पैसों का सदुपयोग आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं।

महोदय, अब चले आईये अल्पसंख्यक कल्याण के सवाल पर । अल्पसंख्यक कल्याण की जो योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं के संबंध में आपने वक्तव्य में दिया है, आपने जो किताबें छापी है, उसमें आपने योजनाओं के बारे में कितना पूर्ण और अपूर्ण की बात की है । आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिये । आपका भी ध्यान खुल जायेगा महोदय। कब आपने सात योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की और अभी तक काम आरंभ नहीं किया गया । फिर उसका प्राक्कलन पुनरीक्षित होगा, फिर उसका आकार बढ़ जायेगा। तो हम जो लेट करते हैं योजनाओं का पूरा करने में, वह कहीं न कहीं हमारी विफलता है । अगर हम 100 करोड़ की योजना को पुनरीक्षित प्राक्कलन कर के 150 करोड़ कर के अगर हम पीठ थपथपाते हैं तो यह पीठ थपथपानेवाली बात नहीं है । यह हमारा फेल्योर है । महोदय, मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं हम काम करने में अक्षम साबित हुये हैं । हमारे विभाग ने सही समय पर सही काम नहीं किया, जिसके कारण सामानों का जो रेट बढ़ गया और उसके आधार पर हम पुनरीक्षित करके कहीं ने कहीं एस्टीमेट का कॉस्ट बढ़ाने का काम किया। महोदय, पूरे बिहार में भवन निर्माण के तहत चाहे वह पॉलिटेनिक हो, चाहे वह आई0टी0आई0 हो जहां-जहां योजनायें चल रही हैं आपकी, उसको हम सरसरी निगाह से देखते हैं तो एक बात खुलकर सामने आती है । महोदय बहुत कम ऐसी योजनायें हैं, जिनको पूरा करने के लिये समय सीमा का ध्यान रखा गया हो। समय सीमा के अंदर कोई योजनायें पूरी नहीं की गयी बल्कि उसके प्राक्कलन में कहीं 25 प्रतिशत, कहीं 30 प्रतिशत तो कहीं 40 प्रतिशत की वृद्धि करके रिवाईज्ड एस्टीमेट बनाकर उसको बनाया गया ।

क्रमश :

टर्न-23/अंजनी/16.07.19

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : क्रमशः.... माननीय सभापति महोदय, चूंकि आदरणीय मंत्री जी अभी हाल ही में आये हैं, विभाग में चार्ज लिये हैं, शिक्षा में अच्छा काम किये तो कोई भी व्यक्ति अपने क्लास में उर्त्तीण होता है और जिस सब्जेक्ट में जिसके अन्दर मर्मता जग जाता है तो कहीं-न-कहीं कस्टोडियन होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी विषय का उसको जिम्मेवारी सौंपता है । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इनके अन्दर जो स्कील था, उसको देखकर,

शिक्षा विभाग में अच्छा काम किये तो इनको तुरंत प्रोन्नति दिया और इनको भवन निर्माण विभाग में बैठाने का काम किया, चूंकि शिक्षा विभाग में अच्छा काम किये । सब लोगों के लिए काम किये, सब के लिए काम किये, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड हम ही लोगों के साथ बैठकर काम किये, चाहे सात निश्चय के जितने भी कार्यक्रम हैं, वह भी हुआ । कल हमारे आदरणीय नेता नाराज हो गये, हम तो नहीं कहेगे । हम आदरणीय विजेन्द्र बाबू का सम्मान करते हैं, वरिष्ट हैं, हमलोगों के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक भी हैं । कल जब उन्होंने कहा कि 2014 में हमलोग बहिगर्मन कर गये थे, हमने कहा कि 2015 में सात निश्चय में निर्णय हुआ था कि हर घर में बिजली देंगे । जनता ने विश्वास करके वोट दिया और जो अजेय की स्थिति देश में बनी हुई थी, उनपर कहीं-न-कहीं लगाम लगा था । आदरणीय नेता को कहीं-न-कहीं इस बात की नाराजगी हुई, नाराजगी होना स्वाभाविक ही है, कोई वरिष्ट आदमी अगर किसी कनीय सदस्य पर कोई अपनी नाराजगी जाहिर करता है तो स्वीकारना चाहिए । उससे सीखने का मौका मिलता है, हम और आप सीखने के लिए ही आये हैं । बहुत सारे ऐसे सदस्य सदन के अन्दर है, जिन्होंने पांच-पांच बार लगातार निर्वाध तरीके से सदन का सदस्य रहे हैं लेकिन इसका कतई मतलब नहीं होता कि जो आदमी लम्बे समय तक हल चला रहा हो, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है, जो आ गया बिल्कुल अक्षम है, अनकम्पीटेंट है, यह भी नही मानना चाहिए । स्वाभाविक तौर पर लेकिन जीवन जो है, वह प्रतिदिन सीखने के लिए होता है । आदरणीय भवन निर्माण मंत्री ....व्यवधान.... मैं दार्शनिक नहीं हूं, ये ठीका तो आप ले लिये हैं । एक बात आप जान लीजिए..

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : आप आसन की ओर मुखातिब होकर बोलें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : देश में इन चीजों का ठीका आपके पास है कि देश में कौन राष्ट्रभक्त है, हम तय करेंगे । राष्ट्रीयता किसके पास है, हम तय करेंगे। आप एक ऐसे गंगोत्री हैं कि आदरणीय रामविलास जी की पूरी पार्टी आपके पास चला जाता है फिर भी परिवारवाद आपको समझ में नहीं आता है । आप ऐसे पार्टी हैं, जिसमें कोई नहा लेता है तो वह पवित्र हो जाता है चाहे वह भ्रष्टाचार के आकंठ में क्यों नहीं डूबा हो लेकिन वह व्यक्ति जब आपके पार्टी में जाता है तो कहीं-न-कहीं उसपर गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण किया जाता है, यह सब ठीका आपने ले लिया है । कौन पाकिस्तानपरस्त है और कौन हिन्दुस्तानपरस्त है, यह सर्टिफिकेट तो आप बांट रहे हैं, जिनका

इतिहास देश के आजादी में एक दिन का न रहा हो । आपने छेड़ा है तो सुनिए । ग्वालियर के थानों में किनके नाम पर मुखबरी करने का आरोप लगा है, मैं नहीं दुहराना चाहता हूँ, मैं भी इतिहास के पन्नों को खोलना चाहूं विन्दुवार तरीके से तो असहजता होगी आपको । हम इन चीजों को नहीं कहना चाहते हैं चूंकि मैं अनुदान मांग पर चर्चा करने के लिए आया हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक सिंह): आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : इसलिए हमें इतिहास के पन्नों में मत ले जाइए । उन इतिहास के पन्नों में मत ले जाइए, उन इतिहास के पन्नों पर परत-दर-परत खोलेंगे तो आपको सहजता फील होगी ।

सभापति(डॉ0 अशोक सिंह) आप एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : यह मतलब नहीं होता है कि हम किसी विभाग के अनुदान मांग पर सरकार को सचेत करते हैं और उनके खामियों को गिनाकर आगे का रास्ता प्रशस्त करने के लिए अगर कोई बात सुझाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका विरोधी हूँ । सही रास्ता दिखाने के लिए प्रतिपक्ष होता है और संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष सरकार का ही अंग होता है, वह दर्पण होता है, जिसमें अपना चेहरा देखकर लगे हुए धूल को कहीं-न-कहीं साफ करने की कोशिश करता है ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार): अब आप समाप्त करिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : आदरणीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हम दो-तीन चीजें खास करके लास्ट में जो कोई सदस्य बोलता है तो अपने विधान सभा क्षेत्र की बात रख देता है । अभी वाणिज्य-कर मंत्री नहीं है, चूंकि गिलोटीन में है । जो जी0एस0टी0 कर प्रणाली है, जो आपके किताब छपे, आपने स्वयं स्वीकार किया है कि हमारे जो राजस्व प्राप्ति के आंकड़े हैं, वह कहीं-न-कहीं जी0एस0टी0 होने के बाद गिरा है । आखिर इतनी जो जटिल चीजें हैं छोटे-छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे-छोटे जो उद्मी हैं, उनके लिए जी0एस0टी0 कर प्रणाली जो लागू है, उसमें कहीं-न-कहीं आपको उनमें खोजना पड़ेगा समाधान ताकि उनको सुविधा मुहैया कराकर इतने लंबे पैरामीटर जो तैयार कर दिया है, उसमें प्वाइंट दिया है, उसको कहीं-न-कहीं लचीला बनाना पड़ेगा । आदरणीय मंत्री जी को लास्ट में एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करेंगे कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो अनुमंडल भवन बना है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है, सामान्य प्रशासन विभाग के समय आदणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, आदरणीय बैठे हुए संसदीय कार्य

मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री जी, उनके समक्ष, महोदय, एक सेंकेंड हम कनकलुड कर देते हैं । हमने मांग की थी, हमने कहा था कि एक बड़ा पुराना अनुमंडल है, जहां पर आई0ए0एस0 ट्रेनिंग के लिए आते हैं, यहां आकर अपना समय व्यतीत करते हैं 6 महीना, साल भर, फिर उसके बाद डी0एम0 और डी0डी0सी0 बनते हैं, उस भवन का आप एक नया मॉडल इस्टीमेट बनाकर, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भाषण में नहीं बल्कि उन्होंने कमिटमेंट किया, यह सब ख्याल कीजियेगा, नहीं तो यह बात फिर आगे जाकर होगा कि मुख्यमंत्री जी ने कह दिये और हमने नहीं किया ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करिए ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : आपने नहीं किया तो अच्छी बात नहीं होगी । जो योजनायें चल रही हैं, उसकी क्वालिटी की जांच करायी जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

(व्यवधान)

आप बोलिए न ।

श्री महबूब आलम : महोदय, मुझे लगता है कि बिहार में भवन निर्माण विभाग लूट का विभाग बन गया है । मैं मंत्री महोदय को चुनौती देता हूँ, कटिहार जिला के बारसोई प्रखंड के आबादपुर उच्च प्लस टू विद्यालय हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख रूपये के एक भवन, जिसका निर्माण....

(व्यवधान)

भवन निर्माण देखेगा कौन ? भवन कौन बनाता है, बिहार सरकार बनाती है न । महोदय, एक करोड़ का भवन आबादपुर उच्च विद्यालय में, बलरामपुर उच्च विद्यालय में, बोचारा उच्च विद्यालय में, अर्द्धनिर्मित है, इसकी स्थिति बहुत जर्जर है, यह पैसा किसने दिया महोदय, इसका हिसाब-किताब कौन देखेगा ? बीच में टोकने की आदत बन गयी है इनलोगों की । महोदय , लूट का अड्डा बन गया है महोदय । इसकी जांच पड़ताल हो, विधान सभा देखे इसको, मैं सही तस्वीर पेश कर रहा हूँ । सरकार की जग हंसायी हो रही है, विधायकों की किरकिरी हो रही है महोदय । महोदय, बारसोई जो सब-रजिस्ट्री है महोदय, उसका भवन जर्जर है । उस रजिस्ट्री ऑफिस में जो दस्तावेज है, वह बर्बाद हो रहा है महोदय, मैंने इस सवाल को 2017 में उठाया था लेकिन माननीय मंत्री जी ने जबाब दिया कि भवन बहुत मजबूत है और किसी तरह की कमी नहीं है । कार्यपालक अभियंता, भवन, कटिहार ने

दो साल में इस भवन को जर्जर घोषित करके एबनडेंड कर दिया । मैं वहां पर नये भवन बनाने की मांग करता हूँ । महोदय, मैं मांग करता हूँ कि जितने भी एक करो़ड़ से अधिक का भवन बनना शुरू हुआ है, दस साल से जो अर्द्धनिर्मित है, उन भवनों की जांच करे और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे, जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया संवेदक को । मैं मांग करता हूँ कि बारसोई उच्च विद्यालय का भवन जर्जर है, वहां एक अच्छी भवन बने ।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करिए ।

(व्यवधान)

श्री महबूब आलम : मैं समाप्त कर रहा हूँ। महोदय । आप जो टिक-टिक कर रहे हैं, यह आदत आपकी खराब है । आप सुनिए पहले । आप करोड़ों का लूट करवा रहे हैं और आप बीच में खलल पैदा कर रहे हैं ।

सभापति (डॉ0 अशोक कुमार) : अब आप समाप्त करिये ।

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ । व्यवस्था यह है....

(व्यवधान)

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री महबूब आलम : माननीय विधायक को बोलने से आप रोक रहे हैं । मैं लिखकर दूंगा माननीय भवन निर्माण मंत्री जी को कि इन भवनों की जांच करायी जाय।

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : क्या व्यवस्था है ?

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : सभापति महोदय, व्यवस्था यह है कि चार दिन पहले शिक्षा विभाग का बजट था, उस दिन बोल रहे थे शिक्षा विभाग पर तो कहे थे कि स्कूल का भवन ठीक था फिर चार दिन के बाद भवन खराब हो गया ?

सभापति(डॉ0 अशोक कुमार) : कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान)

टर्न 24/राजेश/16.7.19

सभापति (डा0अशोक कुमार): माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी, 5 मिनट ।

श्रीमती भागीरथी देवी: माननीय सभापति महोदय, आज भवन निर्माण विभाग द्वारा पेश किये गये मांग के पक्ष में, मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ लेकिन आज हम विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि अपने-अपने दिल पर हाथ रखकर कहें कि कहाँ भवन निर्माण विभाग द्वारा काम नही हुआ है और कहाँ हुआ है, ये लोग झूठो-मुठो चिल्ला रहे हैं कि भवन निर्माण विभाग द्वारा काम नहीं

हुआ है लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को, पहले आप शिक्षा मंत्री भी थे, उस समय भी बहुत अच्छा काम किये थे, आज आप भवन निर्माण मंत्री है, आज आपके काम को विपक्षी साथी चलकर देखें कि आज बिहार का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे सामुदायिक भवन नहीं हो, किसान भवन नहीं हो या अन्य भवन नहीं हो, सारा भवन बना हुआ है, हर माननीय सदस्यों के यहॉं.....(व्यवधान)

भवन नहीं बना है कि बना है, आप अपने क्षेत्र में जाकर देख लीजियेगा, हमलोग भी वोट से जीतकर यहॉं आए हैं, आपलोगों के जैसा नहीं कि जनता को बेवकूफ बनाकर, जनता का वोट लेकर यहॉं चले आये, हमलोग अपने-अपने क्षेत्र में काम करके आये हैं, आपलोगों के जैसा नहीं है, इसलिए हम आज माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर जिले में भवन का काम हुआ है और इसपर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पूर्व में भी बताये हैं कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा इन-इन कामों को किया गया है लेकिन हमारे विपक्ष के साथी पीछे वाले बात को आगे ले आते हैं लेकिन ये लोग 15 साल तक हमारे विपक्षी भाई ने इस प्रदेश में तो राज किया लेकिन एक भी कार्य को ये लोग बताये लेकिन ये नहीं बता पायेंगे, इनके कार्यकाल में सिर्फ चरवाहा विद्यालय, अब उस विद्यालय में भवन बनें या उसमें गाय चरावे लोग और बैठे लोग, हमलोग दिन रात रास्ता में चरवाहा विद्यालय को देखते थे लेकिन आज आपलोग हल्ला करते हैं भवन के लिए, ठीक है भवन निर्माण के लिए हम भी कहेंगे माननीय मंत्री जी से कि माननीय मंत्री जी महादलित क्षेत्र में जहॉं-जहॉं भवनों की कमी हैं, उस महादलित क्षेत्र को भी देखा जाय और जहॉं पर छूट गया है, वहॉं महादलित क्षेत्र में सामुदायिक भवन बना दिया जाय, ज्यादातर जगहों पर तो बन गया है लेकिन जहॉं छूट गया है, वहॉं कम से कम सामुदायिक भवन को बना दिया जाय ।

सभापति (डा0अशोक कुमार): अब समाप्त किया जाय ।

श्री भागीरथी देवी: सभापति जी, एक मिनट और सर । हमारे क्षेत्र का मामला है, अब हम अपने क्षेत्र के बारे में बोलेंगे सर । सभापति जी, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में बहुत महादलित, दलित, आदिवासी लोग हैं, इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, आप पता लगा लें हमारे क्षेत्र में गमनाहा में, रामनगर में देख लिया जाय हुजूर, वहॉं सामुदायिक भवन नहीं बना है, वहॉं सामुदायिक भवन को बनवाया जाय, सभी जगह भवन पास हो गया है और सभी जगह भवन का काम हो रहा है लेकिन शहरी क्षेत्र में भी

गरीब लोग हैं कि नहीं, यह बताया जाय कि शहरी क्षेत्र में गरीब, दलित है कि नहीं, हर जगह गरीब बा, हर जगह दलित बा, हर जगह झोपड़ी बा, हर जगह खपड़ा बा, तो हम निवेदन करेंगे माननीय मंत्री जी से कि इसको शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाय, इसलिए कि शहरी क्षेत्र में भी काफी लोग गरीब हैं, इसलिए इसको देखकर आगे बढ़ाया जाय, इतना ही कहकर हम धन्यवाद देते हैं माननीय मंत्री जी को, कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (डा0अशोक कुमार): माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग पर मांग संख्या- 3, 12, 17 के समर्थन पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से विकास पुरुष सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने न्याय के साथ विकास का वादा किया था, जो आज राज्य भर में पूर्णत: विकास का काम हो रहा है । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप-मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री महोदय, भवन निर्माण विभाग का, माननीय मंत्री महोदय वित्त विभाग का, माननीय मंत्री महोदय, पेंशन, वाणिज्यकर विभाग का तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ भवन निर्माण विभाग पूरे अवसर से काम कर रहे हैं और उनके अधिकारी प्रधान सचिव जी का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ ।

सभापति महोदय, भवन निर्माण विभाग एवं वित्त विभाग, पेंशन एवं वाणिज्यकर विभाग में भी सरकार के नीति निदेश पर काम आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, भवन निर्माण विभाग के माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा तथा विभाग द्वारा आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में सिर्फ अगर पटना में ही देखे, तो हरेक तरह का भवन निर्माण का कार्य हुआ है और वह नई तकनीक से बनाया जा रहा है । आज राज्य के अंदर जो भी विभाग है, सभी का अपना भवन है और जहाँ पहले बिना भवन के ही उसमें बैठना होता था, जहाँ बैठना भी दुष्वार था, इसलिए भवन निर्माण विभाग वह है, इसका इम्पौरटेंट इतना है कि आज जहाँ अभी हमलोग बैठे हुए हैं, यह भी भवन निर्माण विभाग की कार्यशैली है या भवन निर्माण विभाग का कार्य है

और इसतरह का काम सभी जगहों पर दिख रहा है, चाहे वह कार्यालय हो, आवासन हो, निरीक्षण भवन हो, अतिथिशाला हो या किसी भी प्रकार का भवन निर्माण हो, यह भवन निर्माण से ही संभव है । आज जो तरह-तरह के भवन का विधि सम्मत तैयार किया जा रहा है, उसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ । भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 388.22 करोड़ की लागत से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बिहार पुलिस मुख्यालय के लिए सरदार पटेल भवन का कार्य पूर्ण किया गया है, यह भवन निर्माण विभाग के इमरजेंसी ऑपरेशन केन्द्र के रुप में भी उपयोग में लायी जा सकती है, इस भवन का निर्माण लीड रबरबेरिंग तकनीक से किया गया है, जो भूकंप रोधी निर्माण में विश्व की एक उन्नत तकनीक है । इस वित्तीय वर्ष में सरकार के 7 निश्चय के तहत पूर्णियाँ में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण भी पूर्ण कर लिया गया है, भवन निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजगीर में इन्टरनेशनल स्टेडियम सह स्पोर्ट्स एकेडमी, बोध गया में महाबोधि कन्वेंशन केन्द्र, पटना में बहुदेशीय प्रकाशपुंज तथा उद्यान का निर्माण, जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है । महोदय, वैशाली में बुद्ध समन्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का निर्माण, पटना में डाक्टर ए0पी0जे0अब्दुल कलाम साईंस सिटी पटना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

इसके अतिरिक्त पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण में प्रेक्षागृह, पटना स्थित शास्त्रीनगर के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी आवास, पटना स्थित गर्दनीबाग में बापू टावर प्रशासनिक प्रबंधन संस्थान, पटना स्थित फुलवारीशरीफ में ट्रान्सपोर्टर कम्प्लेक्स, पटना म्यूजियम विस्तारीकरण इत्यादि योजना के लिए भी कार्रवाई की जा रही है । महोदय, भवन निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में गर्दनीबाग, शास्त्रीनगर में 928.90 करोड़ की लागत से अतिमहत्वपूर्ण अधिकारी, कर्मचारी की आवासन योजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है, जिसका निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा रहा है । विश्वेश्वरैया भवन, सिंचाई भवन, विकास भवन, सूचना भवन, का भी आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है । राज्य सरकार के 7 निश्चय के आलोक में राज्य के 10 विभिन्न जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज का कार्य प्रगति पर है तथा 10

अन्य जिलों में कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई भी की जा रही है ।

क्रमशः

टर्न–25/सत्येन्द्र/16–7–19

श्री निरंजन कुमार मेहता(क्रमशः): राज्य सरकार के सात निश्चय के आलोक में 10 स्थानों पर महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य प्रगति पर है तथा 12 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है । 17 स्थानों पर सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य प्रगति पर है तथा 40 स्थानों पर कार्य प्रारम्भ करने की कार्रवाई की जा रही है । इसके अतिरिक्त 139 करोड़ की लागत से प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया का निर्माण, 18 करोड़ की लागत से बिहार लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त भवन का निर्माण, 78 करोड़ की लागत से द्वारिका नई दिल्ली में बिहार सदन का निर्माण, 59.58 करोड़ की लागत से पटना में इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, विभिन्न स्थानों पर कोर्ट एवं आवासीय भवन, 169.50 करोड़ की लागत से पटना उच्च न्यायालय का भी विस्तारीकरण कार्य किया गया है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा भवन निर्माण पर बहुत हमारे माननीय सदस्य यहां बोले हैं, आज पटना में जितना भी बड़ा बड़ा भवन बनाया गया है वह देखने लायक है, चाहे बापू सभागार हो या ज्ञान भवन हो या म्यूजियम का नया भवन हो, यह सब जो काम किया गया है, आज पुलिस भवन हो या माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ...

अध्यक्षः निरंजन जी,बत्ती देखे न ?

श्री निरंजन कुमार मेहताः एक क्षेत्र की बात महोदय..

अध्यक्षः अब एक मिनट में ।

श्री निरंजन कुमार मेहताः एक मिनट सर, राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रखंड कार्यालय भवनों तथा प्रखंड सूचना प्रोद्योगिकी भवन का निर्माण पूरी तत्परता से किया जा रहा है । इसी संदर्भ में हमारा ग्वालापारा प्रखंड है मधेपुरा जिला में, डेढ़ साल से निरंतर वहां के, मधेपुरा के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया जा रहा है, वहां प्रखंड कार्यालय के सूचना प्रोद्योगिकी भवन का सब चीज किया हुआ है और जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि टेंडर में है । एक साल पूर्व हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय मधेपुरा में रिव्यू किये थे तो उस समय भी बताया गया है यह टेंडर में है और आज भी बताया जाता है कि टेंडर में है इसलिए मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से , विभाग के अधिकारी भी हमारे प्रधान–सचिव

महोदय भी बैठे हुए हैं, उस कार्य को जल्द से जल्द करवा दिया और इन्हीं शब्दों के साथ चारों विभाग के माननीय मंत्री महोदय का आपके माध्यम से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पुनः हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द जय बिहार ।

सरकार का उत्तर

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आज विधान-सभा के अन्दर वाणिज्य कर विभाग और वित्त विभाग इन दोनों विभागों के अनुदान की मांग भी आज यहां रखी गयी है तो मैं संक्षेप में कुछ बातों का जिक्र यहां करूंगा । अध्यक्ष महोदय, पहले मैं वाणिज्य कर विभाग को लेता हूँ । सदन को यह ज्ञात है कि जी0एस0टी0 जब से देश के अन्दर आया है तो 17 तरह के करों को मिलाकर एक कर बना गुडस ऐंड सर्विस टैक्स और बिहार के अन्दर पहले वैट लगता था, केन्द्रीय विक्री कर लगता था, इंट्री टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, लक्जरी टैक्स था, कुछ राज्यों में परचेज टैक्स था ,कुछ राज्यों में चुंगी थी और उसी प्रकार केन्द्र की सरकार भी एक दर्जन टैक्स लगाती थी तो केन्द्र और राज्य जो 17 तरह का टैक्स लगाती थी, उन सबों को मिलाकर एक टैक्स इस देश में लागू किया गया जो गुडस ऐंड सर्विस टैक्स यानी जी0एस0टी0 के नाम से जाना जाता है और अध्यक्ष महोदय, बिहार की सीमाओं पर जो चेक पोस्ट थे वाणिज्य कर विभाग के वे सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिये गये और अब पूरे हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में कोई चेकपोस्ट नहीं है । कोई सामान अगर चेन्नई से चलेगा तो गुवहाटी तक बिना चेकपोस्ट पर जांच कराये वह जा सकता है । अब बालू के लिए होगा चेक पोस्ट या शराब के लिए या अन्य चीजों के लिए लेकिन जो मुख्य चेक पोस्ट थे पहले हिन्दुस्तान में, वह सामानों के आवाजाही को चेक करने के लिए था तो पूरे हिन्दुस्तान में सारे बैरियर खत्म कर दिये गये, सारे चेकपोस्ट जो थे खत्म कर दिये गये । एक और खासियत है जी0एस0टी0 की कि सारा काम ऑनलाईन है, निबंधन लेना ऑनलाईन, विवरणी दाखिल करना ऑनलाईन, टैक्स जमा करना ऑनलाईन, स्क्रुटनी ऑनलाईन यानी अब किसी काम के लिए किसी भी व्यापारी को या कर दाता को वाणिज्य कर विभाग के दफ्तर में आने की आवश्यकता नहीं है , यह 100 प्रतिशत ऑनलाईन व्यवस्था है । अब अध्यक्ष महोदय, छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए जी0एस0टी0

कौन्सिल ने निर्णय लिया कि जहां पहले वैट के अन्तर्गत 10 लाख का जिनका टर्नओवर था उनको वैट के निबंधन के आवश्यकता नहीं पड़ती थी लेकिन जी0एस0टी0 में इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया, अगर 40 लाख जिसकी वार्षिक विक्री है या व्यापार करता है तो 40 लाख से ज्यादा जिसका व्यापार होगा, उसी को जी0एस0टी0 में निबंधन कराने की आवश्यकता है और बिहार में लाखों की संख्या में ऐसे छोटे लोग है जिसको जी0एस0टी0 के दायरे में मुक्त कर दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, एक महत्व की बात यह है कि हिन्दुस्तान में दुनिया में भारत पहला देश है, जहां जी0एस0टी0 के बाद महंगाई घटी, महंगाई बढ़ी नहीं, दुनिया के सभी देशों में जी0एस0टी0 के बाद महंगाई बढ़ी और दूसरी बात है कि जितनी चीजों पर टैक्स जी0एस0टी0 में लगता था, पहले अधिकांश चीजों पर टैक्स की दर पहले की तुलना में और काफी कम हो गयी है और अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है बिहार के अन्दर जहां पहले 1 लाख 63 हजार टैक्स पेयर थे वैट के जमाने में और पिछले डेढ़ साल में 2 लाख 44 हजार नये कर दाता ने अपने निबंधन कराया है । बिहार में व्यापार बढ़ा है, टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ रही है तो 1 लाख 63 हजार था पहले से पुराना और 2 लाख 44 हजार नये व्यापार करने वाले, उद्योग करने वाले लोगों ने अपना निबंधन कराया गया है और यह संख्या बढ़कर बिहार में 4 लाख 7 हजार हो गयी है । अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2018-19 जो बीत गया, उसमें वार्णिज्य कर विभाग ने 25 हजार 583 करोड़ का कर संग्रह किया है, 25 हजार 583 करोड़ जो 17-18 की तुलना में 26.17 प्रतिशत ज्यादा है यानी रेकर्ड वाणिज्य कर विभाग का पिछले 4-5 वर्षों के अन्दर और संग्रह हुआ है । उसके पहले 2015-16 में भी 26.31 प्रतिशत के वृद्धि हुई थी लेकिन 2016-17 में केवल 8 प्रतिशत ग्रोथ हुआ, 2017-18 में केवल 8.14 का ग्रोथ हुआ लेकिन 2018-19 में 2017-18 की तुलना में हमने 26.17 प्रतिशत ज्यादा कर संग्रह किया और अध्यक्ष महोदय मैं सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि बिहार चूंकि कंज्युमिंग स्टेट है, हमारे यहां उत्पादन कम होता है और बाहर से चीजें ज्यादा आती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या आया बाहर से तो बाहर से जो सामान आता है ई-वे बिल की व्यवस्था है । सबसे ज्यादा बिहार में आयी दवा, 9098 करोड़ की दवा और 1 साल के अन्दर बिहार के बाहर से आयी, चूंकि बिहार में तो कोई दवा की फैक्ट्री है नहीं, यहां सारी

दवा बाहर से आती है तो जो सामग्री सबसे ज्यादा बिहार में आयी उसमें 9098 करोड़ की दवा है । फिर बिहार में निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है तो सीमेंट आया कितने का, 5849 करोड़ रू0 का सीमेंट बिहार के अन्दर आया । उसी प्रकार आयरन ऐंड स्टील 3368 करोड़ का, आयरन लोहा जो है ये बिहार के बाहर से आया फिर टेलीफोन और मोबाईल 5524 करोड़ का, टेलीफोन और मोबाईल जो है बिहार में विक्री करने के लिए आया, मोटरसाईकिल 4859 करोड़, मोटर कार 4180 करोड़, ट्रैक्टर 3000 करोड़ का और जो कपड़ा है, ये फैब्रिक्स सेंथेटिक जो है वह 4987 करोड़ का और कॉटन का कपड़ा 3672 करोड़ का, इन दोनों को जोड़ लें तो 8672 करोड़ का कपड़ा जो है रेडीमेड गारमेंटस बिहार में बाहर से बिकने के लिए आया। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए संक्षेप में वाणिज्य कर विभाग के बारे में थोड़ा बताने का प्रयास किया है ।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक वित्त विभाग की बात है, मैंने पिछले बार भी बताया था कि जो कोषागार, हमारा ट्रेजरी है, वह पूरी तरह से ऑनलाईन हो गया है । अब कोई भी काम के लिए किसी को ट्रेजरी में जाने की जरूरत नहीं है, न किसी कर्मचारी को और न किसी और को । (क्रमशः)

टर्न–26/मधुप/16.07.2019

... क्रमशः ...

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : सारी चीज ऑनलाईन हो रही है और बिहार देश के गिने–चुने राज्यों में है जिसने अपनी ट्रेजरी की पूरी प्रणाली को ऑनलाईन कर दिया है । नहीं तो बिल पास कराने के लिए लोगों को ट्रेजरी जाना पड़ता था, अब जाने की जरूरत नहीं है। इसलिये डिजिटल पेमेन्ट के मामले में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी0बी0टी0) और डी0बी0टी0 दो तरह से होता है, एक होता है कि हमने बैंकों को पैसा भेज दिया, लिस्ट भेज दिया और बैंक लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर करता है, यह डी0बी0टी0 का एक प्रकार है । दूसरा प्रकार है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों तक पहुँचाने के लिए एक नई व्यवस्था PFMS – यह जो PFMS लाभार्थी पोर्टल है, इसके माध्यम से भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अब लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जा रहा है । अभी तक इसमें 17 विभाग शामिल हैं और 17 विभागों की 110 योजनाओं का पैसा PFMS e–लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से लोगों के खाते में जा रहा है और मुझे बताते हुये खुशी

हो रही है कि 2018-19 में 16,271 करोड़ रू0 PFMS e-लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से सीधे लोगों के खाते में गया है । जो बैंकों के माध्यम से राशि भेजे, वह राशि अलग है, यह केवल जो PFMS e-लाभार्थी पोर्टल के माध्यम से हम भेज रहे हैं, वह यह राशि है ।

अब सरकार ने एक नई व्यवस्था की है कि जो लोग पैसा जमा करते हैं सरकार के खजाने में, वह चाहे राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, निबंधन विभाग हो, परिवहन विभाग हो, श्रम संसाधन विभाग हो, उनके लिए e-कोषागार, इलेक्ट्रोनिक कोषागार और e-रिसीट, जो कर राजस्व है, उसे प्राप्त करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अमेरिका में भी बैठकर अपना टैक्स बिहार का जमा कर सकता है इस पोर्टल के माध्यम से । तो सरकारी राशि जमा करने हेतु कोषागार या बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी । राजस्व, स्वास्थ्य, निबंधन, परिवहन तथा श्रम संसाधन विभाग में इसको लागू कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष में सभी विभागों में e-रिसीट, e-कोषागार के माध्यम से जिनको भी कोई फीस जमा करना है, पेनाल्टी जमा करना है, कोई राजस्व जमा करना है, पैसा जमा करना है सरकार के खजाने में, यानी यह पूरी तरह से वित्त विभाग में कागजी कार्रवाई कम से कम हो गई, अब कागज की खपत भी कम हो गई और सारी चीजें ऑनलाईन हमलोगों ने करने की दिशा में कदम बढ़ाया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा, 12वें वित्त आयोग ने राज्यों को अनुशंसा की थी कि आप जो कर्ज लेते हैं, 5 साल के बाद वापस करना पड़ेगा, 10 साल के बाद वापस करना पड़ेगा, तो जिस साल वापस करना पड़ेगा, उस साल आपके पास वापसी का संकट नहीं हो, तो हरेक साल कुछ पैसा निकालकर एक फंड में रखते जाइये ताकि वह फंड इतना बड़ा हो जाय कि जब वापसी का समय आये तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका नाम दिया गया है - कांसोलिडेटेड सिंकिंग फंड । हम पर जितना दायित्व है, लायबलिटीज है, आउटस्टैंडिंग है, जो कर्जा लिया है या आउटस्टैंडिंग है, प्रतिवर्ष कम से कम उसका 0.5 प्रतिशत आपको सिंकिंग फंड में जमा करते जाना है । यानी अगर 100 रू0 का कर्ज आपके उपर है तो आप 0.5 परसेंट कम से कम पैसा अपने खजाने से निकालकर उसमें रखते जाइये । मैं सदन को बताना चाहूँगा

कि 31 मार्च, 2019 तक 6,370 करोड़ रू0 सिंकिंग फंड में जमा हो चुका है, हर साल हम 500-700 करोड़ रू0 उसमें रखते जाते हैं ताकि जब भुगतान का समय आयेगा तो उस समय खजाने से तो भुगतान करेंगे लेकिन यह एक सुरक्षित राशि हमारे पास रहेगी । 2019-20 में 875 करोड़ रू0 हम अपने कांसोलिडेटेड फंड से निकालकर इस सुरक्षित कोष में जमा करेंगे । 31 मार्च, 2019 तक 6,370 करोड़ रू0 अभी तक जमा है और यह हम ब्याज पर लगाते हैं, यानी आर0बी0आई0 उस पैसे पर बांड खरीदती है, उसका ब्याज हमको मिलता रहता है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड का जब 15 नवम्बर, 2000 को बँटवारा हुआ, तो विवाद था पेंशन के भुगतान को लेकर कि पेंशन का भुगतान कौन करेगा चूंकि जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये 15 नवम्बर, 2000 के पहले, अब उनका दायित्व हम वहन करेंगे या झारखंड करेगा ? क्योंकि राज्य अलग हो गया, कर्मचारी तो एक साथ थे । अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर विवाद चल रहा है बिहार और झारखंड के बीच में । बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 बना, बिहार का कहना था कि कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में दायित्व का निर्धारण होना चाहिए कि पेंशन का भुगतान कौन कितना करेगा । झारखंड का कहना था कि जनसंख्या के अनुपात में बिहार में कितनी आबादी है और झारखंड में कितनी आबादी है, उस अनुपात में हम पेंशन के दायित्व का भुगतान करेंगे । झारखंड हाई कोर्ट चली गई और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में, केन्द्रीय गृह सचिव को पहले इसके बारे में निर्णय देना था इसके बारे में, केन्द्रीय गृह सचिव ने यह निर्णय दिया कि जनसंख्या के अनुपात में नहीं बल्कि कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में पेंशन के दायित्व का निर्धारण होना चाहिए । इसके खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई । अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है । तबतक दोनों राज्यों के बीच यह सहमति बनी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आयेगा तब आयेगा, तत्काल जनसंख्या के अनुपात में झारखंड हमको पैसे का भुगतान करेगा । मैं सदन को बताना चाहूँगा कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2017-18 तक जनसंख्या अनुपात में कुल 1804 करोड़ रू0 झारखंड को बिहार को देना था जिसके विरूद्ध 1493 करोड़ रू0 झारखंड अभी तक भुगतान कर चुका है, यह जनसंख्या के अनुपात में है । अभी हमारा 310 करोड़ रू0 बाकी है । अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ गया तो वैसी स्थिति में झारखंड को 4930 करोड़ रू0 देना होता लेकिन चूंकि

अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है, मामला लम्बित है तो जनसंख्या के अनुपात में वे हमको पेंशन के दायित्व का भुगतान कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में यह कहा कि दोनों राज्य बैठकर सम्मानजनक समझौता कर लीजिये, दोनों राज्यों के मुख्य सचिव बैठे थे लेकिन कोई उसपर सहमति नहीं बन पाई । अभी वह मामला चल रहा है और बिहार का यह पक्ष है कि संख्या के अनुपात में पेंशन के दायित्व का निर्धारण होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि नई पेंशन योजना इस देश में लागू हुई है, 01 सितम्बर, 2005 के प्रभाव से । 01 सितम्बर, 2005 के पहले जो लोग सेवानिवृत होते थे, उनके पेंशन का पूरा दायित्व राज्य सरकार पर था लेकिन नई पेंशन योजना 01 सितम्बर, 2005 से लागू हुई जिसमें प्रावधान है कि कर्मचारी को जो वेतन मिलता है, उसका 10 परसेंट कटौती कर ली जायेगी । अगर 1000 रू0 वेतन मिलता है तो 100 रू0 उसकी कटौती कर ली जायेगी पेंशन फंड में और उतना ही पैसा राज्य सरकार देगी । 100 रू0 अगर उसकी कटौती हुई तो 100 रू0 राज्य सरकार देगी - 200 रू0 । यह पैसा एक पेंशन फंड में जमा कर दिया जायेगा जो ब्याज कमायेगा और उससे जब वह व्यक्ति सेवानिवृत होगा तो उस पेंशन फंड से उसके पेंशन का भुगतान किया जायेगा । यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू है जो 01 सितम्बर, 2005 के बाद कर्मचारी आये, उन्हीं पर यह व्यवस्था लागू है । पुराने कर्मचारियों पर पुरानी व्यवस्था है कि वे जब रिटायर करेंगे तो पूरा दायित्व राज्य सरकार का होगा । नई व्यवस्था के अन्तर्गत 10 परसेंट वे देंगे और 10 परसेंट राज्य सरकार देगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि नई पेंशन योजना के तहत 01 अप्रील, 2019 तक 1,51,466 कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं और इनको वह सारा लाभ मिलेगा, ग्रेज्युटी हो, ग्रुप बीमा हो, मृत्यु सह सेवानिवृति का अनुदान हो या विशेष पारिवारिक पेंशन हो लेकिन अब राज्य का दायित्व केवल आधा-आधा रह गया है, आधा आप दीजिये और आधा हम देंगे । यह प्रणाली पूरे देश में लागू हो गई है । लेकिन मैं सदन को बताना चाहूँगा कि पिछले माह भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कर्मचारी देगा 10 परसेंट और केन्द्र की सरकार देगी 14 परसेंट, यानी 100 रू0 में से 10 रू0 देगा वह, पहले जहाँ केन्द्र की सरकार 10 रू0 देती थी तो केन्द्र 14 रू0 देगा, यानी कर्मचारी से अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ।

... क्रमशः ...

टर्न-27/आजाद/16.07.2019

..... क्रमशः .....

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : अब बिहार सरकार के सामने यह प्रस्ताव आया है और बिहार सरकार इसपर बहुत जल्द निर्णय लेगी कि हमारा क्या निर्णय होगा, केबिनेट के सामने प्रस्ताव जायेगा, इसलिए यह नई पेंशनदायी योजना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने उस विषय को रखा है । यह बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, यह वित्त विभाग के अन्तर्गत काम करता है । यह जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, उसमें संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि 2018-19 में 525 करोड़ रू0 का बजट में प्रावधान किया गया था और इस साल बजट में 831 करोड़ रू0 का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए प्रावधान किया गया है । 2018-19 में

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सुशील कुमार मोदी,उप मुख्यमंत्री : सुन लीजिए, एक मिनट, आप बैठ जाईए । अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में हमारा टारगेट था 50हजार, 45497 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके विरूद्ध 43336 आवेदनों को स्वीकृति दी गई, जिसमें 1157 करोड़ रू0 अन्तरनिहित है और अभी तक 34999 आवेदकों को 307 करोड़ रू0 ऑनलाईन उनके खातों में ट्रांसफर किया जा चुका है और 2019-20 में 12939 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके विरूद्ध 315 करोड़ रू0 की राशि निहित है ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने संक्षेप में वाणिज्यकर विभाग और वित्त विभाग दोनों विभागों से जुड़ी जो कुछ उपलब्धियां हैं उसको सदन के सामने रखने का प्रयास किया। धन्यवाद ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो हमलोग दे रहे हैं स्टुडेंट को, उसके टेकनिकल इंजीनियरिंग.....

अध्यक्ष : हो गई बात, यह बात तो आप सुबह में ही बोल चुके हैं । अब मंत्री, भवन निर्माण विभाग । अब सरकार का उत्तर होने दीजिए न । अब इसपर सवाल जवाब नहीं न होता है, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया ।

अब माननीय मंत्री ।

सरकार का जवाब

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन एवं वर्ष 2019-20 के लक्ष्यों को सभा पटल पर रखने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय, 12 माननीय सदस्यों ने आज के इस वाद-विवाद में भाग लिया । माननीय सदस्य श्री आलोक मेहता जी, वशिष्ठ सिंह जी, राजीव रंजन जी, मनोहर जी, समीर महासेठ जी, सचीन्द्र जी, विजय प्रकाश जी, चन्द्रसेन प्रसाद, अत्री मुनी जी, महबूब आलम जी, भगवती देवी जी और निरंजन कुमार मेहता जी, हम उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि उन्होंने जो सुझाव दिया है, उसको हमारा विभाग इनकॉरपोरेट करेगा आगे आने वाले वर्ष में ।

अध्यक्ष महोदय, निर्माण चाहे भवन का हो, सड़क का हो या फिर समाज का हो एक अच्छी सोच, समावेशी विचारधारा एवं समग्र विकास के अटूट विश्वास के साथ सम्पूर्ण समर्पण उसके लिए जरूरी है परंतु जब इन सभी के साथ युग निर्माण का संकल्प हो तो युगद्रष्टा एवं मौलिक चिंतन के साथ दृढ़निश्चयी कालपुरूष का आगाज चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय, 2005 में बिहार में इसी सोच को मूर्तरूप प्रदान करने वाले श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के विकास हेतु शासन की बागडोर संभाली गयी । उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर सुशासन, पारदर्शिता, समावेशी विकास के सिद्धांतों पर कानून का राज स्थापित करने और न्याय के साथ विकास की अवधारणा को शासन का मूल मंत्र बना दिया। परिणाम स्वरूप जो बिहार पूरे देश में Help less State के नाम से जाना जाता था और पूरे बिहार को लोग बीमार और एक ऐसा राज्य मानते थे, जहां कि कुछ नहीं हो सकता है । उसको एक Most Happening State बनाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, आप बिहार के 2005 के कालखंड का उसके पूर्व के समरूप अवधि के कालखंड से तुलना कीजियेगा तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा ।

मिर्जा गालिब कहते हैं :-

''दर्द जब दिल में हो, तो दवा लीजिए
दिल ही जब दर्द हो, तो क्या कीजिए । ''

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसीलिए तो उधर से इधर आ गये कि उधर परेशान थे, कुछ हो नहीं रहा था इसीलिए तो इधर आ गये । आप भी आ जाईए ।

अध्यक्ष महोदय, पूर्व में शासन, जंगल राज, सरकारी भवनों की जर्जर स्थिति एवं आशाविहीन सोच का पर्याय माना जाता था । वर्तमान का बदला हुआ परिदृश्य देखिये तो अब विश्वस्तरीय निर्माणों एवं मजबूत भवनों की श्रृंखला नजर आती है ।

आज तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से वहां के मुख्य अभियंता एवं वरीय पदाधिकारीगण हमारे भवन निर्माण कौशल से सबक लेने एवं कार्यप्रणाली सीखने आते हैं ।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान दौर में आधारभूत संरचनाओं की बुनियाद पर बिहार के बहुआयामी, पर्यावरणोन्मुखी विकास में कदम से कदम मिलाकर नया बिहार बनाने के सरकार के निर्णय के प्रति भवन निर्माण विभाग प्रतिबद्ध है ।

भवन निर्माण विभाग का अदर्श सूत्र वाक्य है, ''भौतिक संरचना के सतत विकास में ही निर्माण का जयघोष प्रतिध्वनित होता है । '' हम सतत विकास के सिद्धांत में यकीन रखते हैं ।

भवन निर्माण विभाग, सरकार के सरकारी कार्यालय एवं आवासीय भवनों के निर्माण, रख-रखाव एवं प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है । मुझे यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि भवन निर्माण विभाग द्वारा विगत वित्तीय वर्ष में संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करते हुए भौतिक लक्ष्यों की वांछित उपलब्धि हासिल की गई है । इस दौरान कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है और समय पर कार्य पूर्ण हो इस हेतु कुशल अनुश्रवण की व्यवस्था की गयी ।

अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने Henry FORD के महान विचार ''Don't find the fault, Find the remedy'' को क्रियान्वित किया है। उसका परिणाम यह है कि जहां भवन निर्माण विभाग हेतु वर्ष 2006-07 में राज्य योजना मद में 58.64 करोड़ रूपया राशि उपबंधित थी, पिछले वर्ष 2018-19 में राज्य के योजना मद में यह राशि बढ़कर 3136.64 करोड़ थी एवं व्यय का प्रतिशत 83.57 था ।

हाल के वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने अत्यधिक तेजी से प्रगति की है । वर्ष 2006-07 में विभाग द्वारा खर्च की गयी कुल राशि लगभग 19

करोड़ रूपये मात्र थी । जो तेजी से बढ़ती हुई वर्ष 2018-19 में कुल 2621 करोड़ तक पहुँच गयी है । यह प्रमाणित करता है कि किस तरह से अपने कार्यकाल में भवन निर्माण विभाग अपने कार्य को प्रगति देने का काम किया है ।

हमारे नेता इस बात में यकीन करते हैं कि Infrastructure is all about building assets for the State. It is part of nation building. उनका यह भी मानना है कि अर्थव्यवस्था के विकास का वाहन आधारभूत संरचना है ।

उनकी इस सोच के अनुरूप भवन निर्माण विभाग ने वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत सरकार के सात निश्चयों के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में महात्मा बुद्ध, गाँधी और जैन का प्रदेश रहा था, वहां पर जो सरकारे पहले थी, लम्बे समय तक जिनको मौका दिया गया, वे इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का, निर्माण करने का काम किया और 2005 के बाद युगद्रष्टा मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है ।

(व्यवधान)

इस प्रदेश में पॉलिटेकनिक कॉलेज बनाने का काम किया है और इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने का काम किया है । आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वह कैसे सशक्त हो, कैसे मजबूत हो, हमारे आने वाली पीढ़ी 21वीं सदी के नवनिर्माण में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए सुनिश्चित करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 31 जिलों में प्रति इकाई 73.13 करोड़ के लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण कराया जा रहा है। इस वर्ष भवन निर्माण विभाग द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल एवं पूर्णिया का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा वैशाली, कटिहार, सहरसा, बाँका, कैमूर, बेगुसराय, सीतामढ़ी, बख्तियारपुर, बक्सर, सासाराम, जमुई एवं शेखपुरा इत्यादि की स्वीकृत योजनाओं का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । साथ ही पॉलिटेकनिक कॉलेजों के निर्माण के क्रम में नवादा, अररिया, सीवान, गोपालगंज, गया एवं शेखपुरा का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है । पुनः विभिन्न

अनुमंडलों एवं जिलों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के निर्माण कार्य को तेजी प्रदान की गयी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को विकास से कोई मतलब नहीं है, विपक्ष के लोग दिशाविहीन हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए बार-बार विपक्ष जो इस प्रदेश में विकास के कार्य किये जा रहे हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं ।

महोदय, इस विभाग ने सात निश्चय के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु मात्र 100 दिनों के अन्दर 31 जिलों में 3000 स्कवायर फीट से 6000 स्कवायर फीट का डी0आर0सी0सी0 भवन का निर्माण कार्य पूरा किया ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया)

मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के सी0ई0ओ0 कहते हैं Moving fast with stable Infrasturcture की बात करते हैं । हम इस कथन को भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं । उससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कौशल विकास एवं अन्य योजनाओं से लाभार्थियों को सेवा प्रदान किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018-19 में सभी विभागों के सरकारी एवं आवासीय भवनों के रख-रखाव क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं । राज्य स्तर एवं जिला मुख्यालयों के प्रमुख भवनों के रख-रखाव की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुए हैं । हमारा डेलीवरी सिस्टम सक्षम एवं प्रभावी हो इसके लिए हर स्तर पर सरकार के स्तर से समुचित व्यवस्था तैयार रखना सरकार का महत्वपूर्ण दायित्व है ।

अध्यक्ष महोदय, उसी क्रम में राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था एवं आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 65 प्रखंडों में 763.42 करोड़ रूपये की लागत से भवन निर्माण एवं आर0आई0डी0एफ0 योजना के तहत 101 प्रखंडों में 818.12 करोड़ की लागत में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का निर्माण पूरी तत्परता से किया जा रहा है ।

..... क्रमशः .....

टर्न–28/शंभु/16.07.19

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : क्रमशः...बंगले का दिसम्बर 2019 तथा 89 और बंगले का मार्च 2020 तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की संभावना है । पुनः आर ब्लॉक में बन रहे कुल 75 एम0एल0सी0 बंगले में से 55 लगभग पूरी तरह तैयार हो चुके हैं । साथ ही दिल्ली में आवासीय सुविधाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए नये बिहार सदन का निर्माण कार्य प्रगति पर है । गर्दनीबाग स्थित आवासीय परिसर का विकास एवं बापू टावर के निर्माण के लिए भी कार्रवाई की जा रही है । मुझे Samuels Butler की पंक्ति याद आती है कि Every man's work whether it be literature or music or picture or architecture ort anything else is always a portrait of himself. माननीय मुख्यमंत्री के परिकल्पना के अनुरूप बनाये जा रहे सभी भवनों उनके व्यक्तित्व के दर्पण के रूप में नजर आता है । जिसमें अतीत पर गौरव के साथ वर्तमान में इतिहास निर्माण का संकल्प नजर आता है । उसी क्रम में बिहार की ऐतिहासिक धरोहरों और पुरातात्विक स्थानों के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से एक ऐसे संग्रहालय की परिकल्पना की गयी जो आनेवाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली इतिहास से अवगत कराये तथा स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक के आधार पर निर्मित हो । इसी संदर्भ में विश्व स्तरीय बिहार संग्रहालय का निर्माण किया गया । अपनी विशिष्टताओं के लिए इसकी चर्चा देश–विदेश में हो रही है एवं इसे राष्ट्रीय संरक्षा परिषद् National Safety Council द्वारा 2016 में सर्वोत्तम सुरक्षित निर्माण श्रेणी में सुरक्षा पुरस्कार, संग्रहालय के डिजाइन को 2018 में आइ0एफ0 डिजाइन जर्मनी, International Best Indentity पुरस्कार, क्यूरिस डिजाइन ब्लू एलिफैन्ट पुरस्कार दिया गया है । यह प्रमाणित करता है कि बिहार में भी इन्टरनेशनल स्टैण्डर के जो बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है उसको देश ही नहीं इन्टरनेशनल स्तर पर रिकोग्नीशन मिल रहा है । इसकी खासियत यह भी है कि इस संग्रहालय में Children gallery के साथ हिस्ट्री गैलरी भी निर्मित है एवं सभी उम्र के व्यक्तियों के द्वारा इसे सराहा जा रहा है । महोदय, हमारे विजनरी मुख्यमंत्री महोदय अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरित हैं एवं उनके द्वारा बिहार के इस पुनर्जागरण काल में निर्मित भवन अपने ऐतिहासिक एवं महान व्यक्तियों को श्रद्धांजलि के रूप में अर्पण भी है । भारत के इतिहास में जब हम सफल एवं महान शासकों की बात करते हैं तो उसके मौर्यवंशी सम्राट अशोक का नाम आता

है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऐतिहासिक गांधी मैदान के पास लगभग 12. 50 एकड़ जमीन में सम्राट अशोक के नाम पर सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के रूप में एक ऐसे ही निर्माण की परिकल्पना की गयी एवं उसे साकार रूप दिया गया । यह भवन वास्तुशिल्प के एक सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में सराहना पा रहा है । इसमें फ्रांस के एफिल टावर की तरह स्टील का इस्तेमाल किया गया है । उसके साथ मौर्यकालीन वास्तुकला में निर्मित सभ्यता द्वार गेटवे ऑफ इंडिया से ज्यादा ऊँची इमारत है जो बिहार की गौरवशाली परम्परा और संस्कृति को प्रदर्शित करनेवाली संरचना है । उक्त परिसर में बापू को याद करते हुए 5000 क्षमता के वास्तुशिल्प का नायाब नमूना के रूप में बापू सभागार का निर्माण किया गया है । साथ ही उसमें ज्ञान भवन है जिसमें 800 सीट की क्षमता का प्रेक्षागृह, बहुद्देशीय सभागार और विभिन्न क्षमता के कॉन्फ्रेंस हॉल है । आज उस परिसर में सम्राट अशोक की प्रतिकात्मक मूर्ति एवं सेन्ड स्टोन से निर्मित अशोक स्तंभ एवं जतीन दास जैसे कलाकारों के महात्मा गांधी पर बनाई गयी आकृतियां मौजूद है जो आनेवाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है । अध्यक्ष महोदय, नीति आयोग, विनिर्माण उद्योग के द्वारा स्थापित सी0आइ0डी0सी0 Construction Industry Development council द्वारा नवीन और इनोवेटिव तकनीक का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, दक्ष कर्मियों का उपयोग, पर्यावरण पर इसका प्रभाव, ग्रीन तकनीक का उपयोग, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के विभिन्न उपायों के मूल्यांकन के आधार पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केन्द्र, पटना को दसवां विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । महोदय, You cannot build a great building on a weak foundation. You must have a solid foundation if you are going to have a strong super structure. सरदार पटेल आधुनिक भारत के निर्माता एवं लौह पुरूष के रूप में विख्यात हैं । उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम पर निर्मित पुलिस भवन अधिक तीव्रतावाले भूकंप से बचने के लिए आज LRB तकनीक Lead Rubber bearing का इस्तेमाल कर Base Isolation पर आधारित बिहार का पहला एवं भारत का 6वाँ बिल्डिंग है। यह आपको जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह भवन 9 तीव्रता के भूकंप में भी मजबूती से खड़ा रहेगा एवं इसमें Emergency Operation हेतु 12 दिनों का बैकअप की व्यवस्था मौजूद है । इस भवन को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं

National Viswakarma पुरस्कार से नवाजा जा चुका है । इसके छत पर आवश्यकतानुसार हैलीकॉप्टर भी उतारा जा सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिए । सभी प्रतिपक्ष के सदस्य मेरी समझ से आपको सहयोग करने के लिए ही जल्दी चले गये हैं, वर्ना सामन्य रूप से तो वे 5 मिनट पहले जाते थे । अभी आपको उन्होंने विशेष रूप से अपनी बात कहने के लिए अच्छा-खासा समय दिया है । इसलिए इत्मीनान से अपनी बात कह डालिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, इस भवन की एक और खासियत इसमें अपनायी गयी अत्याधुनिक जल प्रबंधन तकनीक है । संपूर्ण परिसर zero water discharge system पर आधारित है तथा इसमें 53. 41 लाख लीटर प्रतिवर्ष की क्षमता वाले सात Rain water harvesting pit बने हुए हैं । महोदय, अभी तक हमारी पाठ्य पुस्तकों में पटना के संबंध में कुम्हरार के भग्नावशेष एवं गोलघर के बारे में चर्चा है । अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह कालखंड आधारभूत संरचना, सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से बिहार के पुनर्जागरण का काल है जिसमें अतीत के गौरवशाली धरोहरों के अनुरूप नये Iconic structure भी Create किये जा रहे हैं । हमने 10वें गुरू के 350वें एवं 351वें प्रकाश पर्व को पूरी दुनिया के साथ श्रद्धा से मनाया है एवं साथ ही 48 करोड़ की लागत से पटना सिटी में प्रकाश पुँज भवन का निर्माण कराया जा रहा है । महोदय, प्रत्येक भवन अपने निर्माण काल के Socio economic एवं political परिदृश्य का Cultural ambassador होता है । जहां एक तरफ 145.14 करोड़ की लागत से महाबोधि कन्वेंशन सेन्टर गया का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । वहीं दूसरी ओर 301.40 करोड़ की लागत से बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप निर्माणाधीन है । वैशाली में आधुनिक भारत में पहली बार पूर्णत: स्टोन मशीनरी पर आधारित भवन बनाया जायेगा जिसमें कोई छड़ अथवा सीमेन्ट आदि का उपयोग नहीं होगा । भगवान बुद्ध की पवित्र अस्थियों को भी इसमें रखा जायेगा । महोदय, Leader ship is not about next election it is about the next generation. माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से राजगीर में 01 लाख 24 हजार 400 वर्गफीट है क्षेत्रफल में International spotrs Academy Cum Cricket Stadium का निर्माण किया जा रहा है । जिसमें 40000 क्षमता का एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं फुटबॉल स्टेडियम तथा लगभग 24

विभिन्न इनडोर एवं आऊट डोर गेम्स हेतु प्रावधान किया गया है । इसमें छः स्पोर्ट्स हॉल बनाये जायेंगे जिसमें मुक्केबाजी, वेट लिफ्टिंग, भॉली बॉल, बैडमिन्टन, बिलियर्ड्स, आर्चरी ऐंड शूटिंग, कबड्डी, जूडो, ताइक्वान्डो आदि जैसे खेल तथा खिलाड़ियों के आवासन, स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी आदि से सुसज्जित संपूर्ण समेकित सुविधाएं मुहैय्या करायी जायेगी । साथ ही पटना में 387 करोड़ की लागत से डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम साइन्स सिटी का निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, वर्ष-2018-19 में सभी विभागों के सरकारी एवं आवासीय भवनों के रख-रखाव क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं । राज्य स्तर एवं जिला मुख्यालयों के प्रमुख भवनों के रख-रखाव की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दृष्टिगोचर हुए हैं । महोदय, भवन निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है । बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा न्यायालयों, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया है जो अगले वित्तीय वर्ष में और गति प्राप्त करेगा । भवन निर्माण निगम द्वारा दशरथ मांझी श्रम संस्थान, अ0जा0/अ0ज0जा0 आवासीय विद्यालयों, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावासों, स्वास्थ्य केन्द्रों, भंडारण क्षमता के विकास हेतु गोदामों के निर्माण, विरासत स्थलों के सरंक्षण हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन उत्कृष्ट समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ संपन्न किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग ने अपने प्रबंधन में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ावा के साथ संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित किया है । मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वर्ष 2019-20 में भी बेहतर तरीके से कार्यों का प्रबंधन जारी रहेगा ताकि राज्य के अग्रेतर विकास में भवन निर्माण विभाग की रचनात्मक भागीदारी जारी रह सके । विभाग के द्वारा निर्माण एवं प्रशासन कार्यों को समयबद्ध एवं जवाबदेह बनाने हेतु इस दिशा में ई-गवर्नेन्स के तहत कई e-initiatives लिये गये हैं । इस दिशा में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की ऑनलाइन मोनेटरिंग हेतु प्रोजेक्ट....क्रमशः

टर्न–29/ज्योति/16–07–2019

क्रमशः

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : Monitoring Information System, आवासीय भवन आवंटन हेतु ई–निवास पोर्टल, ज्ञान भवन एवं अधिवेशन भवन की ऑनलाईन बुकिंग व्यवस्था, संवेदकों का ऑनलाईन निबंधन, e-Tendering आदि कदम उठाए गए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, पूरी दुनिया मे यूनाईटेड नेशन ऑर्गेनाईजेशन के Sustainable Cities and Communities की अवधारणा जिसका मूल मंत्र Making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable के अनुरुप निर्माण पर जोर दिया जा रहा है । भवन निर्माण विभाग के द्वारा भी यही कोशिश की जा रही है कि हमारे अधिकतर भवन ग्रीन बिल्डिंग हो सके। इसलिए हमारा प्रयाास Sustainable site Design, water quality and conservation, Energy and Environment, Indoor Environmental quality एवं Materials and Resources को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप रखने की है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी शनिवार को आपके दोनों सदनों द्वारा इस प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पूरी चिन्ता व्यक्त करी । उसी के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री के निदेशानुसार भवन निर्माण विभाग के Plinth Area में शामिल सभी भवनों (कार्यालय व आवासीय) में Rain water harvesting system लगाने की कार्य योजना विभाग ने तैयार कर ली है तथा अक्तूबर 2019 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य बनाया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण विभाग के द्वारा मुख्य सचिवालय के सौन्दर्यीकरण हेतु अनेक कला कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में मुख्य सचिवालय के लॉबी, कॉरीडोर में कलाकृतियों का प्रदर्शन तथा पूरे कॉरिडोर में लिंटर स्तर पर दो फीट चौड़ी मिथिला कला पेंटिंग स्ट्रीप को स्थायी तौर पर प्रदर्शित किया जायेगा ।

हम चाहते हैं जो हमारी आने वाली विरासत है जो हमारा आने वाला जेनरेशन वह हमारी वैभव और विरासत को देखे और आने वाले समय में गौरवशाली अपने आप को महसूस करे । अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त भवनों के समुचित मेंटेनेंस हेतु भवन निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय एर्जेन्सी CPWD की तर्ज पर एक नई अनुरक्षण एवं मरम्मती नीति तैयार की जा रही है ।

इसमें ऑनलाईन शिकायत पोर्टल एवं 24 घंटे कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण योजनाएं निर्माणाधीन एवं प्रक्रियाधीन हैं ।

पटना में नया समाहरणालय भवन, मुंगेर में वानिकी कॉलेज, विश्वेश्वरैया भवन का जीर्णोद्धार, सिंचाई भवन का जीर्णोद्धार, विकास भवन का जीर्णोद्धार, परिवहन भवन का निर्माण, विकास प्रबंधन संस्थान, बिहटा का निर्माण एवं बापू टावर, गर्दनीबाग का निर्माण, ये सब योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं और अभी तक जो हमारे यहाँ निर्माणाधीन योजनाएं हैं जिसमें विधायक आवासन, ए.पी.जे.अब्दुल कलम साईंस सिटी, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, गया, बिहार सदन, नई दिल्ली, बेतिया एवं मोतिहारी में प्रेक्षा गृह, प्रकाश पुंज भवन, पटना तथा पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण ।

अध्यक्ष महोदय, हमारा मानना है कि भवन महज ईंट और सिमेंट की संरचना मात्र नहीं होती । यह अपने समय को, अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त करती है । भवन कोई ''डेट स्पेस'' नहीं होता है । यह वह स्पेस है जहाँ लाखों कर्मचारी अपने जीवन का ज्यादातर हिस्सा काम करते हुए बिताते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में पदधारक होते हैं एवं जनप्रतिनिधि देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक आदि बनते हैं । लेकिन पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी संस्थाओं का सृजन करता है जिससे आने वाली पीढ़ी गौरवान्वित हो एवं ऐसी संस्थाएं ज्ञानवर्द्धक बने, उस व्यक्ति को विश्वकर्मा या सृजनकर्ता नहीं, युगद्रष्टा कहना उचित होगा ।

मैं अपने आपको गौरवशाली मारनता हूँ कि मुझे एक युगद्रष्टा के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है ।

आने वाली पीढ़ी माननीय श्री नीतीश कुमार जी को याद करेगा जिन्होंने न केवल बिहार जैसे पिछड़े राज्य में विकास की पटकथा लिखी, बल्कि संस्थाओं का निर्माण कर बिहार की तस्वीर बदल कर तकदीर बदलने की कहानी लिख रहे हैं ।

अंत में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं, भवन निर्माण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल रु. 5375.0622 करोड़(तीरपन अरब पचहत्तर करोड़ छः लाख बाईस हजार रुपये) का बजट प्रस्ताव सदन के पटल पर विचारार्थ उपस्थापित करता हूँ जिसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में रु. 951.8687 करोड़(नौ अरब एकावन करोड़ छियासी लाख सतासी

हजार रुपये) एवं रु. 4423.1935 करोड़ (चौवालिस अरब तेईस करोड़ उन्नीस लाख पैंतीस हजार रुपये) के योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यह कहता हूँ :

'' मेरे जुनून का नतीजा जरुर निकलेगा,
इसी स्याह समन्दर से नूर निकलेगा ।।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद । हम सदन से आग्रह करते हैं कि आज का जो बजट पेश किया गया है उसको स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करेंगे ।

हम माननीय सदस्य से आग्रह करते हैं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ । क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(माननीय सदस्य –अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/– रुपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ :

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' भवन निर्माण विभाग'' के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 53,75,06,22,000/–(तिरपन अरब पचहत्तर करोड़ छः लाख बाइस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 16, जुलाई 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 35 है अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 17, जुलाई 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।